Thursday, 27 April, 1978

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

4th Session

6th Lok Sabha

सत्यमेव जयते

[खंड 14 में अंक 41 से 50 तक हैं
Vol. XIV contains Nos. 41 to 50]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : चार रुपये

Price : **Four Rupees**

विषय-सूची CONTENTS

अंक 45, गुरुवार, 27 अप्रैल, 1978/7 वैशाख, 1900 (शक)
No. 45, Thursday, April 27 1978/Vaisakha 7, 1900 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*तारांकित प्रश्न संख्या 884 से 886, 889, 891 और 893 से 895	*Starred Questions Nos. 884 to 886, 889, 891 and 893 to 895.	1—14
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
तारांकित प्रश्न संख्या 887, 888, 890 892 और 896 से 903	Starred Questions Nos. 887, 888, 890, 892 and 896 to 903. . . .	14—22
अतारांकित प्रश्न संख्या 8320 से 8380, 8382 से 8428, 8430 से 8457, 8459 और 8461 से 8464,	Unstarred Questions Nos. 8320 to 8380, 8382 to 8428, 8430 to 8457, 8459 and and 8461 to 8464.	22—105
नियम 377 के अधीन मामले	Matters under Rule 377— . . .	106—107
(1) 21-4-1978 को यात्री गाड़ी में डकैती का समाचार	(i) Reported Robbery in Passenger Train on 21-4-1978 . . .	106
श्री युवराज	Shri Yuvraj	106
(2) बी०आई०टी० मेसरा (रांची में विषाक्त भोजन खाये जाने के मामलों के समाचार	(ii) Reported cases of Food Poisoning in B.I.T. Mesra (Ranchi) . .	106
डा० रामजी सिंह	Dr. Ramji Singh . . .	106
(3) आयेविल्ले पांडिचेरी के विदेशी नागरिकों पर गुंडों द्वारा हमले के समाचार	(iii) Reported Attacks by hooligans on foreign residents of Auroville, Pondicherry	106
श्री विजय सिंह नाहर	Shri Bijoy Singh Nahar . .	106
(4) बैंकिंग सेवा आयोग की वर्तमान स्थिति	(iv) Present Status of Banking service Commission	107
श्री सौगत राय	Shri Saugata Roy . . .	107
(5) दुर्ग से वाराणसी तक एक एक्सप्रेस गाड़ी चलाने की मांग	(v) Demand for running Express Train from Durg to Varanasi	107
श्री मोहना भैया	Shri Mohan Bhaiya . .	107
सभा पटल पर रखे गए पत्र	Papers laid on the Table . . .	108
लोक लेखा समिति—	Public Accounts Committee . .	108
78वां और 81वां प्रतिवेदन	Seventy-eighth & Eighty First Reports pesented.	108
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति—	Committee on Public Undertakings—	108
10दां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश	Tenth Report and Minutes presented	108
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचि त जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति	Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes— .	109

किसी नाम पर अंकित यह † इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign † marked above the name of a Member indicate that the qution was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	Subjects	पृष्ठ/Pages
21वां और 23 वां प्रतिवेदन	Twenty-first and Twenty-third Reports presented.	109
कोल इण्डिया लिमिटेड के कर्मचारियों की शिकायतों के बारे में याचिका	Petition Re. Grievances of Employees of Coal India Ltd. . . .	109
6 अप्रैल, 1978 को कांग्रेस (आई) के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा बिना टिकट यात्रा के संबंध में आकाशवाणी द्वारा प्रसारित समाचार के बारे में वक्तव्य	Statement Re-Reposted AIR Broadcasts alleging ticketless tra0el by some Congreee (I) workers on 6th April, 1978	109
श्री जगबीर सिंह	Shri Jagbir Singh . .	109
कार्य मंत्रणा समिति—	Business Advisory Committee— .	109—110
16वां प्रतिवेदन	Sixteenth Report adopted.	109
विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1978	Appropriation (No. 3) Bill, 1978 —	110—116
विचार किये जाने का प्रस्ताव—	Motion to consoder—	110
श्री एच० एम० पटेल	Shri H.M. Patel .	110
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu .	110
श्री केशवराव धोंडगे	Shri Keshavrao Dhondge .	112
श्रीमती पार्वती कृष्णन	Shrimati Parbathi Krishnan .	112
श्री ए० के० राय	Shri A.K. Roy	112
श्री अण्णासाहिब गोटखिंडे	Shri Annasaheb Gotkhinde . .	113
श्री पी० अंकिनीडू प्रसाद राव	Shri P. Ankineedu Prasada Rao .	113
श्री वसंत साठे	Shri Vasant Sathe . . .	114
श्री वयालार रवि	Shri Vaylar Ravi	114
श्री सौगत राय	Shri Saugata Roy . . .	114
श्री के० टी० कौसलराम	Shri K.T. Kosalram . . .	115
खण्ड 2 से 4 और अनुसूची तथा खण्ड 1 पास किए जाने के लिए प्रस्ताव	Clauses 2 to 4 and Schedule and Clause 1 Motion to pass—	116
श्री एच० एम० पटेल	Shri H.M. Patel	116
वित्त विधेयक 1978	Finance Bill, 1978— .	116—133
विचार किए जाने का प्रस्ताव—	Motion to Consider—	
श्री एच० एम० पटेल	Shri H.M. Patel . . .	116—133
श्री आर० वेंकटारमन	Shri R. Venkataraman . . .	119
श्री हरिकेश बहादुर	Shri Harikesh Bahadur . . .	121
श्री टी० ए० पाई	Shri T.A. Pai	123
श्री एम० पी० सिंह	Shri M.P. Sinha	124
श्री आर० डी० राम	Shri R.D. Ram	125
श्री जी० एम० बनतवाला	Shri G.M. Banatwalla . . .	125
श्री चन्द्रपाल सिंह	Shri Chandra Pal Singh . . .	126
श्री कुंवर महमूद अली खां	Shri Kunwar Mahmud Ali Khan .	126
श्री डी० जी० गवई	Shri D.G. Gawai	128
श्री धीरेन्द्र नाथ बसु	Shri Dhirendranath Basu . .	129
श्री भारत भूषण	Shri Bharat Bhushan . . .	130
श्री एम० सत्यनारायण राव	Shri M. Satyanarayan Rao . .	131
श्री पवित्र मोहन प्रधान	Shri Pabitra Mohan Pradhan . .	132
श्री राम नरेश कुशवाहा	Shri Ram Naresh Kushwaha . .	132

लोक सभा वाद-विवाद (संक्षिप्त अनूदित संस्करण)

LOK SABHA DEBATES (SUMMARISED TRANSLATED VERSION)

लोक सभा

LOK SABHA

गुरुवार, 27 अप्रैल, 1978/7 वैशाख, 1900 (शक)

Thursday, April 27, 1978/Vaisakha 7, 1900 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।

Mr. Speaker in the Chair

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

चिकित्सा शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति

*884. **श्री धर्मवीर वशिष्ठ** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्राक्कलन समिति ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सम्बन्धी अपने छठे 'की गई कार्यवाही' प्रतिवेदन (1977-78) में अपने पहले तर्क को पुनः दोहराया है और सरकार से आग्रह किया है कि चिकित्सा शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति संसद के सामने पेश की जाये ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले पर भारतीय चिकित्सा परिषद् से विचार विमर्श किया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav) : (a) Yes, Sir.

(a) to (d) The Government of India are vigorously implementing the scheme of 'Reorientation of medical education' in accordance with the Plan of Action on the report of the Group on medical education and support manpower in all the medical colleges which aims at, inter-alia, the involvement of medical colleges in the direct delivery of health care and medical services to the community in the form of a well-knit referral service complex system. The salient features of the said scheme have been embodied in the Medical Council of India Regulations on undergraduate maeical curriculum wherefor it becomes mandatory as a statutory requirement to the medical colleges to involve themselves in a greater way to make medical education sub-servient to the needs of the community at large. In a nutshel the long and short-term objective of this measure is the Government's solemn resolve to render medical education in the country an instrument of bringing about the requisite atti-

tudinal change in the outlook and priorities amongst medical profession and inculcation of a spirit of dedication to the community. The Government are, therefore, of the view that before any more vital and major changes are precipitately brought into the existing undergraduate medical curriculum, the scheme of 'Reorientation of medical education' which has already been put into operation should be given a fair trial, so that an appraisal of the result and achievements engandered under the scheme could be carried out. It is, therefore, inopportune to spell out the National Policy on medical education at this juncture as recommended by the Estimates Committee.

श्री एल० के० डोले : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न संख्या 884 पर एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। इस प्रश्न के भाग (क) में लिखा है :—

"(क) क्या यह सच है कि प्राक्कलन समिति ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सम्बन्धी अपने छठे ' की गई कार्यवाही' प्रतिवेदन (1977-78) में अपने पहले तर्क को पुनः दोहराया है और सरकार से आग्रह किया है कि चिकित्सा शिक्षा पर राष्ट्रीय 'पुलिस' संसद् के सामने पेश की जाए" ।

यहां उक्त प्रश्न में 'नीति' शब्द के स्थान पर 'पुलिस' शब्द गलती से छप गया है ।

Shri Dharam Vir Vasishta : The hon. Minister has said that stress is being laid on the scheme of 'Reorientation of medical education' and that the salient features of the scheme have been embodied in the Medical Council of India Regulations on under graduate medical curriculum. May I know the details of the salient features which have been imbodied In the Medical Council of India and what is the reaction of Medical Association of India thereto ?

Shri Jagdambi Prasad Yadav : Sir, we have Informed the Committee that the Government of India had made careful plan of Action on the report of the Group on medical education and support man power in accordance with the recommendation of the said group the main object of which was to bring about a radical change in medical educationl system. This Plan of Action was approved after consideration in a meeting of Central Health and Family Welfare Council held in April 1976. The Health Ministers of various States/Union Territories participated in this meeting and thus this policy can be termed as a national policy.

The question of involvement of medical colleges for community health purposes and reorientation of medical education was also considered in this meeting. The main points in this regard are that in every three blocks of each district of medical college where they are situated or in the neighbouring districts where phased development facilities have been provided during the last four or five years steps for the prevention of diseases, health improvement have......

अध्यक्ष महोदय : आपने सदस्य महोदय के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है । वह जानना चाहते हैं कि मुख्य मुख्य बाते क्या है और उनके प्रति चिकित्सा परिषद् की क्या प्रतिक्रिया है ।

Shri Jagdambi Prasad Yadav : I am telling the salient features itself. I am giving information regarding the proposals and suggestions given by the group and being implemented by us.

Shri Dharm Vir Vasishta : I don't want information regarding implementation. You have said in the answer to the Question that the scheme of 'Reorientation of medical education' is being implemented vigorously. By the term it has also been embodied in the

Medical Council of India Regulations means that the salient features there have been embodied there what I want to know is which salient features of 'Reorientation of Medical Council' have been embodied in the Medical council of India Regulations and what is the reaction of Medical Council of India thereto ?

Shri Jagdambi Prasad Yadav : I am giving the salient features of the points which we have accepted. Three blocks have been attached to each college. I have also explained the facilities which have been provided therein. The full responsibility of regarding prevention of diseases, health care and medical services should be thrown on them. In order to implement the ideas contained in the Plan of Action guidelines on Action of Plan have also been prepared. This plan has been prepared in consultation with the Ministry of Planning and Finance.

The salient features enumerated by me have not been opposed by the Medical Counci of India.

Shri Dharm Vir Vasistha : I had asked what was their reaction in this regard and not whether they had opposed them or not ?

At the same time I would like to know whether Government would like to pounder over before changing under graduate curriculum every time and the national policy? I would also like to know how much time you are likely to take to consider the policy of Reorientation of Medical Education after which you will decide what is the policy of NationalMedica Education ?

Shri Jagdambi Prasad Yadav : The Reorientation Programme has been started recently. The results of it can be seen after one or two years. After seeing the results we will decide about the nation al policy on medical education. At present, health is a State subject. Therefore, before deciding about policy on medical education we will have to involve the States and Sta tutory and autonomous bodies and discuss the matter with them. Therefore we will have to give a fair trial to reorientation programme which has already been put into practice. It is only after that that we will decide which sort of policy should be evolved.

अध्यक्ष महोदय : आपने यह नहीं बताया है कि चिकित्सा परिषद् की क्या प्रतिक्रिया है ।

Shri Jagdambi Prasad Yadav : I have already said that the commission has not opposed the policy which in other wards means that it has supported it and it is because of this support that the action of attaching three blocks to each college has been taken.

Dr. Baldev Parkash : Seeing the environments of the country the doctors do not go to rural areas and according to the medical graduates course, after F.Sc. of intermediate it takes five years to complete that course. May I know whether in order to see that maximum number of persons could be trained and sent to rural areas, there is any other course under consideration of Government as it was then previously, i.e., after matriculation by undergoing three year's course one become entitled for under graduate degree?

Shri Jagdambi Prasad Yadav : It is well known that the present medical education system especially allopathic system is not favourable to the rural people. So we have thought.

अध्यक्ष महोदय : उनका प्रश्न दूसरा है। क्या आप उनके सूझाव से सहमत हैं। यह एक छोटा सा प्रश्न है।

Dr. Baldev Parkash , In takes six years more but in the case of the foamer thə perisd will be renucen by six yeays.

Shri Jagdambi Prasad Yadav : I have said in detail to clarify these points. My aim was to consider further the points raised by hon. Members and think how improvements could be effected in this system.

श्री एल० के० डोले : इस प्रश्न से एक और प्रश्न उत्पन्न होता है। मंत्री महोदय ने कहा है "मुझे आशा है कि चिकित्सा विभाग यथासम्भव कार्यवाही करेगा।" परन्तु जहां तक परिवारों के कल्याण का सम्बन्ध है उसके बारे में सरकार का क्या दृष्टिकोण है ? जनसंख्या वृद्धि के बारे में भी सरकार का क्या दृष्टिकोण है मैं जानना चाहूंगा ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न सम्बन्धित प्रश्न से नहीं उठता। प्रश्न कुछ प्रस्तावों के बारे में है।

श्री एडुआर्डो फलीरो : क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी निकायों ने यह सुझाव दिया है कि चिकित्सा, दंत चिकित्सा और नर्सिंग के व्यवसाय का पर्यवेक्षण करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की तरह पूंजी देने हेतु चिकित्सा शिक्षा आयोग का गठन किया जाए।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न इस प्रश्न से नहीं उठता।

Blast Furnaces un Bokaro Steel Plant

*885. **Shri Ram Vilas Paswan** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether the two blast furnaces of the Bokaro Steel Plant were banked one after the other for the last two months and the third one is beng worked by the officers there; and

(b) if so, the reasant therefor ?

The Minister of Steel and Mines (Shri Biju Patnaik) : (a) Blast Furnaces No. 1 and 2 of the Bokaro Steel Plant were banked during the following periods only and not for two months :—

Blast Furnace No. 1—from March 8 to March 17, 1978.

Blast Furnace No. 2—from March 9 to March 28, 1978.

However, the third Blast Furnace continued to be operated by the workers.

(b) The operators electrically operated travelling cranes and mobile equipment as well as high pressure welders of the Plant Struck work from February 27, 1978 to March 27, 1978.

Shri Ram Vilas Paswan : The hon. Minister has conceded the banking of the blast furnaces of Bokaro Steel Plant though he differs on its period of closure. May I know the loss suffered on account of closure of the plant for such a long period and the reasons for the workers going on strike and whether it was legal or illegal ? What action has been taken by Government in the matter ?

श्री बीजू पटनायक : माननीय सदस्य ने दो प्रश्न पूछे हैं । हड़ताल के कारण कितना घाटा हुआ ? हड़ताल की अवधि में कारखाने में 4.81 करोड़ रुपये के उत्पादन की हानि हुई और श्रमिकों को इस अवधि में लगभग 8.42 लाख रुपये की मजदूरी की हानि हुई । हड़ताल गैर-कानूनी थी । मेरे विचार में यह अनावश्यक थी क्योंकि आपरेटरों को एक ऐसा वेतनमान देने की मांग की गई थी, जो अन्य इस्पात कारखानों में कहीं भी नहीं दिया जा रहा है । इसलिए इस समय मैंने बिहार के मुख्य मंत्री से प्रार्थना की कि वे सम्पूर्ण समस्या पर विचार करें, मामले को निपटाएं तथा अन्य इस्पात कारखानों में, जैसे रूरकेला या भिलाई, दिये जा रहे वेतनमानों के आधार पर वेतनमान आदि निर्धारित करें ।

Shri Ram Vilas Paswan : Mr. Speaker, Sir, I feel that you must have realised the seriousness of my question since a loss of Rs. 5 crores is involved. With your permission may I know from the hon. Minister whether government considers it proper to deal with the law and order cases in Steel Plants as is the case with other industries? Are you going to do something in this regard ? Is it the opinion of Government that there should be one union in one industry.

श्री बीजू पटनायक : क्या यह प्रश्न इस प्रश्न से उत्पन्न होता है ? कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है । मैं गलती पर श्रमिकों के विरुद्ध कड़ा रुख नहीं अपनाना चाहता था क्योंकि उन्होंने गैर-कानूनी हड़ताल की थी । उन्हें यह समझा दिया गया है कि इस प्रकार की चीजों को चलने नहीं दिया जायेगा । हड़ताल करने के लिए, जिसे बिहार के उप श्रम आयुक्त ने गैर-कानूनी घोषित कर दिया था, श्रमिकों को मजदूरी की हानि दण्ड होना चाहिये ।

श्री ए० के० राय : क्रेन चालकों की हड़ताल का कारण कोई नई मांग नहीं थी । उनकी मांग केवल इतनी थी कि कांग्रेस के शासनकाल में बिहार के श्रम मंत्री द्वारा दिये गये मध्यस्थता पंचाट को क्रियान्वित किया जाये । प्रबन्धक भी इस बात के लिये हस्ताक्षर करके अपनी सहमति दे चुके थे कि वे श्रम मंत्री के फैसले को क्रियान्वित करेंगे । लेकिन प्रबन्धकों ने उसे क्रियान्वित नहीं किया । मुझे आश्चर्य होता है कि एक कानूनी पंचाट की क्रियान्विति न किये जाने के कारण की गई हड़ताल गैर-कानूनी कैसे हो गई । वास्तव में प्रबन्धकों की कार्यवाही गैर-कानूनी है । यदि श्रमिकों की मांग स्वीकार कर ली जाती तो कितना अतिरिक्त व्यय होता ?

श्री बीजू पटनायक : बिहार सरकार के उप श्रम आयुक्त एवं समझौता अधिकारी ने 27 फरवरी, 1978 को एक संदेश द्वारा हड़ताल को गैर-कानूनी घोषित किया था ।

श्री ए० के० राय : केवल न्यायाधिकरण को ही हड़ताल को गैर-कानूनी घोषित करने का अधिकार है ।

श्री बीजू पटनायक : वे समझौता अधिकारी भी हैं । कोई अधिकृत नोटिस नहीं दिया गया था, इसलिए इसे गैर-कानूनी घोषित किया गया था । यह केवल व्यय का ही नहीं सिद्धान्त का भी प्रश्न है । समूचे इस्पात उद्योग में भिन्न-भिन्न आपरेटरों के लिये भिन्न-भिन्न वेतनमान हैं । मैं समझता हूं कि बोकारो इस्पात कारखाने ने बहुत उदारता दिखाई कि वर्गोन्तत करने से पहले स्थानीय लोगों को कई वर्ष तक, प्रशिक्षण दिया । इसीलिए यह धमकी दी गई है । मेरी राय में उन्हें अपने यहां उच्च पदों पर अन्य कारखानों से प्रशिक्षित आपरेटर लेने चाहियें थे । उन्होंने इन नये लोगों को प्रशिक्षण प्राप्त करने और पदोन्नत होने का अवसर दिया । अचानक इन लोगों ने कहना शुरु कर दिया कि चूंकि प्रशिक्षण के दौरान अन्य काम कर रहे थे, उन्हें वही वेतनमान मिलना चाहिये, जो गलत है । अतः सभी यूनियन नेता इस बात के लिये सहमत हुए कि रूरकेला और भिलाई में जाकर देखा जाये कि वहां पर क्या स्थिति है और मुझे कोई संकेत नहीं है कि यह विवाद हल हो जायेगा ।

श्री ए० के० राय : क्या यह सच है कि बिहार के श्रम मंत्री ने एक पंचाट दिया था और उसे क्रियान्वित कराने के लिये हड़ताल की गई थी ?

श्री बीजू पटनायक : भूतपूर्व श्रम मंत्री ने समूचे मामले पर विचार-विमर्श करके एक पंचाट दिया और तब इन लोगों ने विरोध प्रकट किया इसका आधार गलत था और मंत्री महोदय इस पर पुनर्विचार करने के लिए सहमत हो गये। उसके बाद सरकार का पतन हो गया। वास्तविक स्थिति यही है। अतः श्री ए० के० राय के लिये जो सारी स्थिति जानते हैं, इसे तोड़ मरोड़ कर रखना उचित नहीं है।

डाक्टरों, विशेषज्ञों नर्सों और सहायक कर्मचारियों का प्रशिक्षण

*886. **श्री डी० जी० गवई** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डाक्टरों, विशेषज्ञों, नर्सों और सहायक कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए एक संतुलित नीति बनाई है जिससे वे सब मिल कर एक टीम के रूप में कार्य कर सकें; और

(ख) इस सम्बन्ध में मंत्रालय द्वारा क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) गावों के लोगों को स्वास्थ्य की मिली-जुली सेवायें प्रदान करने के अभिप्राय से भारत में 1958 से स्वास्थ्य दल को प्रशिक्षण दिया जाता रहा है। यह प्रशिक्षण प्राइमरी हैल्थ सेन्टरों में काम करने वाले सभी कर्मचारियों अर्थात् चिकित्सा अधिकारियों, स्वास्थ्य परिचारिकाओं, सहायक नर्स मिडवाइफों, मिडवाइफों और सफाई निरीक्षकों को ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्रों में सामूहिक रूप से प्रशिक्षण दिया जाता है। उनके विशिष्ट दायित्व निर्धारित किये जाते हैं और वे किस-किस क्षेत्र में काम करेंगे उसे भी समुचित ढंग से अंकित कर दिया गया है ताकि उन्हें एक सुसंगठित दल का रूप दिया जा सके। बहुधन्धी कार्यकर्ता योजना के अन्तर्गत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्रों के मुख्य प्रशिक्षकों अर्थात् प्रिंसिपल स्वास्थ्य शिक्षक, समाज विज्ञान शिक्षक, जन स्वास्थ्य नर्सों के शिक्षक को केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण दिया जाता है। वे आगे प्राइमरी हेल्थ सेन्टरों के चिकित्सा अधिकारियों और खण्ड विस्तार शिक्षकों को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण का मिला-जुला प्रशिक्षण देते हैं तथा ये कार्मिक प्राइमरी हेल्थ सेन्टरों के स्तर पर स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (पुरुष और महिला) तथा स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों (पुरुष और महिला) को प्रशिक्षण देते हैं और उनमें से प्रत्येक को यह भी समझाते हैं कि लोगों को मिली-जुली चिकित्सा सुविधायें प्रदान करने में उनका क्या क्या योगदान होना चाहिए। जन स्वास्थ्य रक्षक योजना के अन्तर्गत भी प्राइमरी हैल्थ सेन्टरों के स्टाफ को, जिनमें स्वास्थ्य परिचारिका, सहायक नर्स मिडवाइफ, सफाई निरीक्षक, खण्ड विस्तार शिक्षक आदि भी शामिल हैं, सामुहिक रूप से प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे जन स्वास्थ्य रक्षकों को कारगर ढंग से प्रशिक्षित कर सकें।

प्रत्येक वर्ग के कर्मचारियों के कर्तव्यों और उनके दायित्वों को निर्धारित करने के लिए सरकार ने कदम उठाये हैं तथा प्रत्येक वर्ग के लिये वर्क-मेनुअल तैयार किये जा रहे हैं। प्रशिक्षण संबंधी पाठ्य-चर्या भी तैयार कर ली गई है और उसे सभी केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थानों, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्रों और प्राइमरी हैल्थ सेन्टरों, आदि में भेज दिया गया है।

Shri D. G. Gawai : While speaking at the silver jubilee celebrations of the medical college at Patna on 25th February our President had emphasised the need for a balanced policy for the training of persons engaged in medical services. Did the ministry of Health not ever oppose the President that such a policy was being pursued ?

Shri Jagdambi Prasad Yadav : Mr. Speaker, Sir, it does not arise of it.

Shri D.G. Gawai : When the proposed work manuals are likely to be ready so that every person may know his responsibility ?

Shri Jagdambi Prasad Yadav : Some of the work manuals have been completed and the remaining would also be ready within a specified time.

Chowdhry Balbir Singh : Will the hon. minister kindly let us know if a refresher course for one or two months or a seminar is proposed to be organised for the registeored medical practioners working in villages so that they may look after the health of the people in a much better way ?

Shri Jagdambi Prasad Yadav : In pursuance of a resolution passed at the conference of Deans and Principals of Medical Colleges held in April, 1976 refresher courses for general practioners were proposed to be conducted with Central assistance to states but the response of State Governments was not favourable. However, we are engaged in giving the maximum knowledge of medical jurisprudence.

Shri Kachrulal Hemraj Jain : : The question was whether government have formulated a balanced policy for training medical practioners, specialists, nurses and auxilaries so that they could function as a team and the steps taken by the ministry in this regard. May I know whether there is scuh a policy if not, by when the same would be ready ?

Shri Jagdambi Prasad Yadav : I have already stated that there is a balanced policy. I think that it quite clear.

ग्रामीण कर्मचारियों के लिए कर्मचारी राज्य बीमा योजना

*889. **श्री के० राममूर्ति : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा योजना को ग्रामीण कर्मचारियों पर लागू करने की सम्भावना के बारे में जांच पूरी कर ली है जैसा कि दिनांक 22-12-1977 के तारांकित प्रश्न संख्या 520 और दिनांक 30-3-78 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4945 के उत्तरों में उल्लेख किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह) : (क) और (ख) यह मामला अभी विचाराधीन है ।

श्री के० राममूर्ति : यह प्रश्न ग्रामीण लोगों को कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत लाने के बारे में है । इस वर्ष कृषि कर्मकारों ने 1250 लाख टन अनाज पैदा किया जो कि एक रिकार्ड है । ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी संख्या बहुत अधिक है । इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ग्रामीण लोगों पर कर्मचारी राज्य बीमा योजना लागू करके सामाजिक सुरक्षा योजनाओं आदि का प्रोत्साहन देना चाहेगी ?

डा० राम कृपाल सिंह : हम ग्रामीण कर्मकारों के बहुत शुक्रगुजार हैं क्योंकि इतना अधिक उत्पादन उनके श्रम का ही परिणाम है । अब तक हमारे देश में सामाजिक सुरक्षा योजना नगरों में ही प्रधान रही है और वह संगठित श्रमिकों के हित में ही रही है, अब हम ग्रामीण कर्मकारों के लिए भी

योजना बनाने के लिए गम्भीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं किन्तु अभी तक कोई स्पष्ट कार्यक्रम नहीं बना पाएं हैं ।

श्री के० राममूर्ति : यह सरकार हमेशा गांवों को विकास करने की बात करती है । चालीस प्रतिशत धन का आंवटन भी कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास कार्य के लिए किया जाता है । सरकार कहती है कि यह मामला अभी विचाराधीन है । इससे यह पता चलता है कि वह ग्रामीण लोगों को केवल मुंह से ही हमदर्दी जाहिर कर रही हैं । क्या सरकार इस सभा को स्पष्ट रूप से यह आश्वासन देगी कि वह इस मामले की जांच करने के लिए एक समिति बनाएगी और उस समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाएगी ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि वह योजना बना रहे हैं ।

डा० राम कृपाल सिंह : माननीय सदस्य कहते हैं कि हम केवल मुंह से ही प्यार करते हैं । ऐसी बात नहीं है । हम तह दिल से महसूस करते हैं कि ग्रामीण कार्मिकों के लिए कुछ ठोस चीज की जाए । जहां तक समिति बनाने की बात का सम्बन्ध है मंत्रालय स्तर पर हम इसके लिए कोई योजना बनाने के लिए विचार कर रहे हैं । इस के बाद ही कोई कार्यवाही की जाएगी ।

श्री पूर्णनारायण सिंह : क्या कर्मचारी राज्य बीमा योजना ग्रामीण क्षेत्रों में बागान कर्मकारों पर भी लागू की जाएगी । जहां कर्मचारी राज्य बीमा योजना द्वारा दी जाने वाली चिकित्सा सहायता की मात्रा बागान स्वामियों द्वारा दी जाने वाली चिकित्सा सहायता से अधिक हो वहां क्या उस पर विचार किया जाएगा ?

अध्यक्ष महोदय : यह बात इस प्रश्न के अन्तर्गत नहीं आती ।

श्री वयालार रवि : मुझे पूरा यकीन है कि मंत्री महोदय को इस बात का पता है कि ग्रामीण कर्मकारों को कर्मचारी राज्य बीमा योजना की बहुत आवश्यकता है किन्तु उनके लिए इसकी व्यवस्था नहीं की गई है । दूसरी ओर यह संगठित श्रमिकों पर थोपी गई है जिन्हें द्विपक्षीय करारों के अन्तर्गत पहले ही चिकित्सा लाभ मिल रहा है । यह अच्छी बात नहीं है । इस बात को देखते हुए क्या आप सम्पूर्ण अधिनियमिति पर विचार कर यथासम्भव शीघ्र इस सदन के समक्ष एक व्यापक योजना रखेंगे ?

डा० राम कृपल सिंह : जहां तक इस योजना को थोपने की बात का सम्बन्ध है यह बात सही नहीं है ।

श्री वयालर रवि : सही कैसे नहीं है । यह हकीकत है । मैंने इसे कर्मचारियों पर थोपे जाने पर आपत्ति की थी और मैंने मंत्री महोदय को इस सम्बन्ध में एक पत्र भी भेजा था । श्री बर्मा बताएं कि क्या यह सही नहीं है ।

डा० राम कृपाल सिंह : जहां तक चिकित्सा सुविधाओं का सम्बन्ध है हम राज्य सरकार द्वारा सिफारिश किए जाने पर ही किसी विशेष क्षेत्र में इसका विस्तार करते हैं । अतः केन्द्रीय सरकार द्वारा इसके थोपे जाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

माननीय सदस्य ने कर्मचारी राज्य बीमा योजना के कार्यसंचालन में सुधार करने की बात कही थी । यह सही है, हम कर्मचारी राज्य बीमा योजना के कार्य संचालन का पुनर्विलोकन कर रहे हैं ।

Shri R. D. Ram : The hon. Minister has thanked the workers for the achievements of production. May I know what government propose to do for agricultural labourers. Have they made any scheme for them so that they could also thank the Government?

Dr. Ram Kirpal Singh : We have many schemes for agricultural labourers. In case the hon. Speaker permits me I can explain them in detail and tell what we are going to do.

श्री दीनेन भट्टाचार्य : कर्मचारी राज्य बीमा योजना एक अशदायी योजना है और जो व्यक्ति इस योजना के अन्तर्गत आते हैं उन्हें अंशदान देना होता है । अंशदान देने के बाद भी उन्हें चिकित्सा सम्बन्धी तथा अन्य लाभ नहीं मिल पाते हैं । वे इसकी बुराई कर रहे हैं । अतः क्या इस योजना को ग्रामीण लोगों पर लागू करते समय आप इसे गैर-अंशदायी बनाएंगे ?

डा० राम कृपाल सिंह : केवल तभी कुछ कहना सम्भव होगा कि यह अंशदायी होगी या गैर-अंशदायी जब यह पूरी तरह से तैयार हो जाएगी ।

जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि उन्हें चिकित्सीय लाभ नहीं मिल रहे हैं और वे बुराई कर रहे हैं यह सही नहीं है । वे बुराई नहीं कर रहे हैं । यह उनपर एक आरोप लगाया जा रहा है कि वे चिकित्सीय लाभ का अनुचित लाभ उठा रहे हैं ।

जो उन्होंने इस बात का संकेत दिया है कि औषधियों तथा अन्य चीजों की कमी है मैं उन्हें आश्वासन देता हूं कि हम भेषज संहिता में भी संशोधन कर रहे हैं और हम उन्हें अधिक लाभ देने जा रहे हैं ।

खनिजों के लिए हिमाचल प्रदेश में भारतीय भूगर्भ-सर्वेक्षण विभाग द्वारा सर्वेक्षण

*891. **श्री बालकराम :** क्या इस्पात और खान मंत्री 17 नवम्बर, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 743 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1977-78 में कटाई के दिनों में (फील्ड सीजन) भारतीय भूगर्भ-सर्वेक्षण विभाग द्वारा हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में भिन्न-भिन्न खनिजों जैसे चूना पत्थर, जिप्सम, खनिज नमक, ऐंटिमोनी अयस्क और क्वार्टजाइट आदि के लिए सर्वेक्षण किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है और राज्य में अनुमानित खनिज सम्पदा कितनी है ; और

(ग) समृद्ध खनिज सम्पदा वाले ऐसे स्थानों का पता लगाने और उनका विदोहन करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) से (ग) भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण एक निरन्तर चलने वाला कार्य है । भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण के चालू फील्ड सीज़न (अक्तूबर 1977 से चालू) के कार्यक्रम में शिमला जिले में सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर ; मंडी जिल में खनिज मिट्टी; कूल्लू, कांगड़ा और मंडी जिले में स्लेट तथा लाहौल-स्पीति जिले के वाड़ा सिगंड़ी ग्लेशियर के आस पास एन्टीमनी-सीसा-जस्ता हेतु खोज कार्य शामिल हैं ।

अब तक हुई खोजों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश के विभिन्न भागों में जिन महत्वपूर्ण खनिज भंडारों का अनुमान लगाया है, उनमें लगभग 9,000 लाख टन चूना पत्थर, 13 लाख टन जिप्सम, 12,000 टन बैराइटस और लगभग 3000 टन एन्टीमनी अयस्क शामिल हैं ।

सीमेंट कारपोरेशन ग्राफ इंडिया, सिरमौर जिले के राजबन में 3 लाख टन क्षमता का एक सीमेंट कारखाना स्थापित कर रही है । हिमाचल प्रदेश सरकार और ग्रधिक सीमेंट कारखाने स्थापित करने की संभावनाओं पर भी विचार कर रही है, मैसर्स एसोसिएटेड सीमेंट कम्पनी लि० को एक ग्राशय पत्र मंजूर किया गया है ।

कुछ क्षेत्रों के जिप्सम भंडारों का सीमेंट उत्पादन (राजबन में) हेतु इस्तेमाल किया जाएगा; मंडी जिले के पहाड़ी नमक भंडारों का मैसर्स हिन्दुस्तान साल्ट लिमिटेड द्वारा दोहन किया जा रहा है । राज्य सरकार ने ऊना जिले में क्वार्टजाइट/सिलिका सैंड और चम्बा जिले में मैगनेसाइट के लिए खनन पट्टों को मंजूर किया गया है ।

Shri Balak Ram : In answer to part (a) and (b) of my question the hon. Minister has said that investigations of these minerals will be carrid out. I would like to know when the investigations will be carried out and by what time this work would be started ? I would also like to know the allocations made by the Central Government for this purpose for this year and the ensuing year ?

श्री बीजू पटनायक: जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, हम देश के विभिन्न भागों के लिए पृथक पृथक बजट नहीं रखते हैं । एक साधारण बजट होता है और जहां कहीं भी कोई काम करना होता है, ग्रावश्यक ग्रादेश दे दिए जाते हैं ।

जैसाकि माननीय सदस्य ने विवरण में देखा होगा पहले ही 9000 टन चूना पत्थर का पता लग चुका है । इसकी और ग्रधिक मात्रा का पता लगाने की कोई जरूरत नहीं है जब कि यह ही 100 से 200 वर्षों तक के लिए काफी है । किसी भी उद्योग की स्थापना के लिए यह काफी है ।

जैसा कि हमने विवरण में कहा है सीमेंट कारपोरेशन ग्राफ इंडिया सिरमौर जिले के राजबन में दो लाख टन क्षमता का एक सीमेंट कारखाना स्थापित कर रही है । हिमाचल सरकार भी कुछ कारखाने स्थापित करने की सम्भावनाओं पर विचार कर रही है । ग्रब कारखाने स्थापित करने के लिए इस का प्रयोग करने का काम राज्य सरकार तथा ग्रन्य विभागों का है ।

Shri Balak Ram : I would also like to know when the cement Corporation of India is going to set up a cement plant at Rajban in Sirmur District and how many persons are likely to get employment therein. May I also know the names of minerals for the survey of which efforts are being made by the Central Government and the assistance likely to be given to Himachal Pradesh Government for this purpose and in which form ?

श्री बीजू पटनायक: जो जानकारी मेरे पास है मैं पहले ही दे चुका हूं । हिन्दुस्तान साल्ट लिमिटेड द्वारा पहाड़ी नमक का दोहन किया जाएगा, सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया सीमेंट का कारखाना स्थापित कर रही है तथा राज्य सरकारें कुछ कारखाने स्थापित करने के लिए विचार कर रही है । परन्तु यदि माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया कारखाने का विस्तार करने जा रही है या नहीं तथा राज्य सरकारें क्या कर रही हैं तो प्रश्न समुचित मंत्रालय को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए ।

Shri Bharat Bhushan : May I know whether the hon. Minister is aware that magnesite is being mined in Kumaon and apart from this there are deposits of iron and lime there.....

ग्रध्यक्ष महोदय: कुमायूं हिमाचल प्रदेश में नहीं है । ग्रतः यह प्रश्न नहीं उठता ।

Shri Bharat Bhushan : The whole hill area is inter-conected. All the Members of this House do not belong to Himachal Pradesh. They are from different states. Moreover there is not much distance between Himachal Pradesh and Kumaon.

अध्यक्ष महोदय: यह प्रश्न ही नहीं उठता । अगला प्रश्न ।

Shri Bharat Bhushan : I am asking a point connected with Himachal Pradesh.

अध्यक्ष महोदय: मैं पहले ही अगले प्रश्न पर पहुंच चुका हूं ।

एल्यूमिनियम पिंडों का उत्पादन करने वाली कम्पनियां

***893. श्री सरत कार:** क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कुल कितनी तथा कौन-कौन सी कम्पनियां एल्यूमीनियम पिंडों का उत्पादन कर रही हैं तथा उनका अलग-अलग उत्पादन कितना है;

(ख) ये कम्पनियां किस सामान्य प्रक्रिया के अनसार उपभोक्ताओं को एल्यूमीनियम सप्लाई करती हैं तथा क्या सरकार को ज्ञात है कि बड़ी संख्या में व्यक्तियों और फर्मों को जिनको सरकार द्वारा सप्लाई आवंटित की गई है, इन कंपनियों से माल नहीं मिल रहा हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) :

(टनों में)

(क) कम्पनी का नाम	1977-78 में उत्पादन
1. भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लि०	131,681
2. इंडियन एल्यूमिनियम कम्पनी लि०	65,927
3. हिन्दुस्तान एल्यूमिनियम कारपोरेशन लि०	62,199
4. मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी	18,731
	178,538

(ख) एल्यूमिनियम के वितरण पर कोई नियंत्रण नहीं है, सिवाए इसके कि एल्यूमिनियम उत्पादक को अपने कुल मासिक उत्पादन की 50 प्रतिशत मात्रा 'नेवी धातु' (इलैक्ट्रिकल कंडक्टर ग्रेड) के रूप में केबुल और कंडक्टर निर्माण यूनिटों को देनी होती है । उत्पादकों द्वारा एल्यूमिनियम सप्लाई की मात्रा का सरकार द्वारा यूनिट-वार आवंटन नहीं किया जाता ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

श्री सरत कार: क्या इन कम्पनियों में अधिकतम लक्ष्य तक उत्पादन हो रहा है ? यदि यह फालतू या अधिकतम नहीं है और लक्ष्य से कम है, तो क्या सरकार को वितरण पर नियंत्रण करने पर विचार नहीं करना चाहिये ताकि छोटे यूनिट कच्चे माल से वंचित न हो ?

श्री बीजू पटनायक: बिजली की कमी के कारण कारखाने पूर्ण क्षमता तक उत्पादन नहीं कर रहे हैं । इसीलिए सरकार ने गत वर्ष लगभग 30,000 टन एल्यूमीनियम के आयात की अनुमति दी है ।

जहां तक छोटे यूनिटों का सम्बन्ध है, उत्पादकों द्वारा नियतन सामान्यतः डी०जी०टी०डी० और लघु विकास आयुक्त की सिफारिशों पर किया जाता है और सरकार नहीं समझती है कि वितरण निमंत्रण लागू करने का कोई पर्याप्त कारण है ।

श्री सरत कार : छोटे यूनिट बर्तन बनाने के लिये अपर्याप्त सप्लाई के बारे में गत एक से अभ्यावेदन कर रहे हैं । मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वे इस मामले में स्वयं हस्तक्षेप करें । क्या देश में नये एल्यूमीनियम उद्योगों की स्थापना का कोई प्रस्ताव है ताकि भविष्य में कोई कठिनाई न हो ।

श्री बीजू पटनायक : जहां भी हमें पता चलता है कि एल्यूमीनियम प्रयोग करने वाले छोटे यूनिटों को कच्चा माल नहीं मिल रहा है, वहां सरकार हस्तक्षेप करती है और यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि कमी की अवधि में उन्हें एल्यूमीनियम मिले । आगामी महीनों में काफी मात्रा में आयातित धातु मिलने लगेगी, आयात शुरू होने पर कमी नहीं रह जायेगी । सरकार नये एल्यूमीनियम कारखाने खोलने पर भी विचार कर रही है जैसाकि मैं पिछले सप्ताह इस में बता चुका हूं ।

श्री एस० आर० दामाणी : क्या यह सच है कि 1976-77 की तुलना में 1977-78 में उत्पादन काफी कम रहा और यदि हां, तो इसके क्या मुख्य कारण हैं तथा क्या इस वर्ष के दौरान उत्पादन बढ़ाया जायेगा और यदि हां, तो कितनी क्षमता के लिये नये लाइसेंस दिये गये और कब तक उत्पादन शुरु हो जायेगा ?

श्री बीजू पटनायक : मैं गत सप्ताह इन प्रश्नों का उत्तर दे चुका हूं । इस वर्ष के अन्त तक कुल अधिष्ठापित क्षमता 3,16,000 टन होगी । इस समय यह 2,66,000 टन है । गत वर्ष उत्पादन 1,78,000 टन था, अर्थात् अधिष्ठापित क्षमता का लगभग 70 प्रतिशत । इसका कारण बिजली की कमी थी । कर्नाटक ने 50 प्रतिशत कटौती की है । उन्होंने बिजली की दर बढ़ाकर दुगनी कर दी है । न केवल एल्यूमीनियम कारखाने बल्कि छोटे इस्पात कारखाने भी बन्द हो जाएंगे । कुद्रेमुख इस्पात कारखाने को लगभग एक करोड़ रुपयों का घाटा होगा । इस समय नये इस्पात कारखाने लगाने का कोई प्रश्न नहीं है ।

Shri Bhanu Kumar Shastri : May I know the percentage of cut in power and that of fall in production. Do they correspond ? I know that in certain states some industries manage to consume power inspite of cut.

श्री बीजू पटनायक : उत्तर प्रदेश ,कर्नाटक और मध्य प्रदेश में बिजली की कमी है । उत्पादन को कमी प्रत्यक्षतः बिजली के कमी के अनुपात में ही है ।

भयकर रोगों का मुकाबला करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन को बैठक

*894. **श्री यशवन्त बोरोलें : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक संस्था ने भयंकर रोगों का मुकाबला करने के उपायों पर विचार करने हेतु राजधानी में हाल ही में अपनी बैठकें की थीं ; और

(ख) यदि हां, तो विचार-विमर्श करने के बाद विश्व के इस भाग में इस चुनौती का मुकाबला करने हेतु क्या व्यावहारिक उपाय तय किये गये ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी हां । विश्व स्वास्थ्य संगठन को आयुर्विज्ञान अनुसंधान संबंधी क्षेत्रीय सलाहकार समिति का चौथा अधिवेशन 3 से 6 अप्रैल, 1978 के बीच नई दिल्ली में सम्पन्न हुआ था ।

(ख) अधिवेशन की विस्तृत रिपोर्ट भारत सरकार को अभी तक प्राप्त नहीं हुई है ।

श्री यशवन्त बोरोले : विश्व स्वास्थ्य संगठन की इन क्षेत्रीय सलाहकार समितियों में, जहां तक भारत का संबंध है, किन प्रमुख रोगों पर चर्चा हुई ?

Shri Jagdambi Prasad Yadav : The subjects discussed were as follows: —

Chronic diseases of the lever including cancer of the levei. Dengu fever, leprosy, Malaria, Medical Research, Alternative systems of Medical Facilities.

The committee also discussed the following matters in detail:
Conventional Medicines.

Research for the development of a suitable technology for improvement of healthy atmosphere at the viliage level.

Medical Ethics includ]ng Humanities. Special Programme for research and training in Tropical Diseases. Preparation of a coordinated iniensive regional research programmes.

श्री यशवन्त बोरोले : इस विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप कितनी वित्तीय सहायता विशेषज्ञ ज्ञान और दवाइयां प्राप्त होंगी ?

Shri Jagdambi Prasad Yadav : A detailed report is still awaited. The complete information will be given on receipt of it.

Shri Hukmdeo Narain Yadav : The number of the blind, lepers and T.B. patients in India is highest in the world. Incidence of these diseases is on the increase. The number of cases of diabetes is also rising . May I know the suggestions made by the World Health Organistion to check the incidence of these disease, particularly blindness and leprosy, incidence of which is highest in villages and the steps proposed to be taken on a large scale in this direction and has any scheme been prepared for the purpose ?

अध्यक्ष महोदय : यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता है ।

Shri B.P. Mandal : There is Kalasar and malaria epidemic in our country. Was any discussion held with W.H.O. about this and if so, the assurance received ?

Shri Jagdambi Prasad Yadav: There is no question of discussion with W.H.O. The question is about the matters discussed of the RegionalConference on Medical Research. I have placed the agenda before you. I can answer other points only on receipt or a detailed report.

चीनी प्रतिनिधिमंडल का नेताजी संग्रहालय देखने जाना

*895. **श्री समर गुह :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीनी प्रतिनिधिमंडल, जिसने हाल में भारत की यात्रा की थी, कलकत्ता में नेताजी संग्रहालय, नेताजी भवन देखने गया था ;

(ख) क्या उन्होंने वहां नेताजी के चित्रों और उनकी निजी वस्तुओं को देखने में बहुत रूचि ली थी;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ; और

(घ) नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए उन्होंने जो टिप्पणियां की उनके बारे में तथ्य क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) जी हां, विदेशों के साथ मैत्री के लिए चीनी लोक संघ का जो प्रतिनिधि मंडल मार्च, 1978 में भारत आया था, उसके कुछ सदस्य 22 मार्च, 1978 को कलकत्ता के नेताजी भवन में नेताजी संग्रहालय देखने गए थे।

(ख), (ग) और (घ) : सरकार की उपलब्ध सूचना के अनुसार नेताजी अनुसंधान ब्यूरो के कार्यकारी निदेशक श्री शिशिर कुमार बोस की अध्यक्षता में नेताजी भवन के अधिकारियों ने चीनी प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को नेताजी संग्रहालय दिखाया। चीनी प्रतिनिधिमंडल के जिन सदस्यों ने संग्रहालय देखा उन्होंने अपने स्वागत-सत्कार के लिए ब्यूरो को धन्यवाद दिया। सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के संबंध में चीनी प्रतिनिधिमंडल ने कोई टिप्पणी की थी।

श्री समर गुह : माननीय मंत्री जी ने कलकत्ता के सभी समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ यह समाचार नहीं देखा है कि उन्होंने नेता जी को भारतीय मुक्ति आन्दोलन के एक महान् नेता के रूप में श्रद्धांजलि अर्पित की है। मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि यह बताया जाता है कि रूस पहुंचने के कुछ समय बाद तक नेताजी मुक्त थे, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता श्री गैलाशेर ने भी ब्रिटिश पार्लियामेंट में बताया था कि 1946 में नेताजी श्री डी वलेश से मिलने आयारलैंड गये थे। इसके अतिरिक्त नेताजी की 'दी इण्डियन स्ट्रगल' नामक पुस्तक के प्रकाशक श्री पुलिन सील ने एक सार्वजनिक वक्तव्य में कहा था कि नेताजी को एक बौद्ध भिक्षु के रूप में देखे गये थे। चीनियों के साथ उनके अनेक फोटो प्रकाशित हुए हैं। यहां तीन ऐसे फोटो हैं जिन्हें श्री कामत ने जब पंडित जवाहर लाल नेहरु को दिखाया था, तो नेहरु जी ने इस सभा में स्वीकार किया था कि इन फोटो में एक व्यक्ति की शक्ल नेताजी से मिलती थी। क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि चीन सरकार के साथ हमारे सम्बन्धों में सुधार को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार इन फोटुओं के बारे में जांच पड़ताल करायेगी ? ऐसा प्रतीत होता है कि 1948 या 1949 में किसी समय नेताजी मंगोलियाई शिष्टमण्डल के साथ चीन गये थे। क्या सरकार चीन सरकार से इन फोटुओं के बारे में नेताजी की पहचान करायेगी और पता करेगी कि क्या उन्हें उनके बारे में कोई जानकारी है ?

श्री समरेन्द्र कुण्डू : समर बाबू ने एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न रखा है। नेताजी के बारे में उन्होंने इस सभा में काफी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। यदि वे इस बारे में हमें लिखेंगे तो हम चीन सरकार से इस बारे में बातचीत करने पर विचार करेंगे।

श्री समर गुह : दो महीने पहले नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ने एक सार्वजनिक वक्तव्य में स्पष्ट रूप से कहा था कि भारत सरकार के पास जानकारी है कि 1949 में नेताजी सोवियत संघ गये थे, क्या सरकार इसके बारे में भी जांच करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : आप उस पर भी विचार करेंगे।

श्री समरेन्द्र कुण्डू : यदि वे हमें लिखेंगे तो हम विचार करेंगे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय संगठन

*887. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या विदेश मंत्री 6 अप्रैल, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5318 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार की पहल पर मानव अधिकार आयोग द्वारा किये गये सर्वसम्मत निर्णय के अनुसार मानव अधिकारों और व्यक्तियों की मूल स्वतन्त्रताओं को संरक्षण देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कुछ संगठन बनाए गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) और (ख) : मानव अधिकार आयोग ने हाल ही में अपना विचार विमर्श पूरा किया है जिसके दौरान उसने भारत सरकार की पहल पर सर्वसम्मति से एक निर्णय को स्वीकार करते हुए विभिन्न सरकारों से यह अनुरोध किया है कि वे व्यक्तियों के मानव अधिकारों और मूलभूत स्वतन्त्रता को संरक्षण देने के लिए राष्ट्रीय संगठनों की स्थापना करें। इस निर्णय पर संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद् तथा संयुक्त राष्ट्र की आगामी महासभा द्वारा समर्थन प्राप्त करना होगा। इस प्रक्रिया के पूरे होने के बाद ही ये सिफारिशें विभिन्न सरकारों को औपचारिक तौर से भेजी जाएंगी। इस बीच सरकार सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों के परामर्श से इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए उनका अध्ययन कर रही है।

Rise in the Price of Anti-Diptheria Serum

*888. **Dr. Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that due to excessive rise in the prices of anti-diptheria serum, many children die for want of medical treatment; and

(b) if so, the steps being taken by Government to make available medical treatment to the common man free of cost ?

Minister of State in the Ministry of Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav) : (a) The price of diptheria anti-toxin (bulk) as notified on 19-4-1974 has not been revised subsequently. The prices of diptheria anti-toxin formulations have also not been generally revised since 1970, although the Central Research Institute, Kasauli have with effect from 1-2-1977 marginally increased the price of smaller ampoules. The question of many children dying for want of medical treatment due to excessive rise in the prices of antidiptheria serum, therefore, does not arise.

(b) Medical treatment to the common man for diptheria is provided free of cost in infectious diseases hopsitals.

Sale of Products of Bhilai Steel Plant

*890. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to lay a statement showing :

(a) the details of the goods manufactured by Bhilai Steel Plant which are purchased by traders from there from time to time;

(b) the number of cases in which orders for supply of goods have been received but goods have actually not been supplied so far during the last 3 years;

(c) whether some of these cases have been referred to arbitration and filed in courts by the traders who have not been supplied goods against their orders even after depositing money; and

(d) if so, the number of such cases at present and the expenditure incurrd by Bhilai Steel Plant on these cases ?

The Minister of Steel and Mines (Shri Biju Patnaik) : (a) The following items manufactured by Bhilai Steel Plant are purchased by traders from there directly:—

1. Industrial Scrap items ; and
2. Nut. Pearl. Breeze and mixed coke.

(b) The information in respect of above items is being collected and will be laid on the Table of the House.

(c) and (d) No case has been referred to arbitration. One case relating to supply of mixed coke is pending in Court. Total expenditure incurred by the Plant in this case will be known only after the disposal of the case.

Installation of Automatic Telephones in Bihar

*892. **Shri Ishwar Chaudhry** : Will the Minitter of **Communications** be pleased to state :

(a) the details of the Districts in Bihar in which automatic telephones remain to be installed;

(b) whether Government propose to provide direct dialling system in Gaya whieh is the place of pilgrimage of Buihddsts from all over the world; and

(c) if so, the details of the District in which such a system is likely to be introduced in 1978-79 ?

Minister of State in the Ministry of Communications (Shri Narhari Prasad Sai) : (a) the details are indicated in attached statement.

(b) Yes, Sir. However, the proposal is held up due to non-availability of a suitable piece of land for setting up of the exchange.

(c) It will not be possible to commission automatic exchange at any District Headquarter in Bihar during the current financial year.

Statement

Details of District Headquarters in Bihar where Automatic Exchanges remain to be installed.

Sl. No.	Name of the Exchange	Capacity	Working connections.	Waiting List.
1.	Aurangabad	100	71	..
2.	Beharsharif	360	329	..
3.	Begusarai	480	327	..
4.	Bettiah	360	311	..
5.	Bhagalpur	1440	1431	33
6.	Dumka	240	201	1
7.	Gaya	1680	1511	..
8.	Giridih	480	430	3
9.	Gopalganj	100	79	..
10.	Hazipur	200	172	..
11.	Madhubani	200	125	..
12.	Nawadah	100	94	..
13.	Purnia	300	289	..
14.	Saharsha	300	294	..
15.	Sitamarhi	480	325	..
16.	Siwan	290	255	..

No. B : Automatization of these exchanges is being programmed during the Sixth Plan. Out of these, four exchanges viz. Bettiah, Saharsha, Sitamarhi and Siwan are likely to be commissioned during 1979-80.

बेरोजगारी की समस्या को हल करने के उद्देश्य से औद्योगिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रणाली में परिवर्तन

*896. **श्री सुरेन्द्र विक्रम : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने बड़े पैमाने पर व्याप्त बेरोजगारी को निश्चित अवधि में प्रभावशाली ढंग से हल करने के उद्देश्य से औद्योगिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रणाली में आवश्यक परिवर्तन करने के लिये अब तक क्या ठोस कार्यवाही की है ;

(ख) क्या रोजगार सूचना और काम दिलाने सम्बन्धी प्रणाली में भी परिवर्तन करने का प्रस्ताव है; और

(ग) क्या ऐसे क्षेत्रों में भी नये रोजगार कार्यालय स्थापित किये जायेंगे जहां अब तक उनकी स्थापना नहीं की गई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य और श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) 1. इस समय 356 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 53 व्यवसायों में, जिन में कुल मिला कर 1,55,225 सीटों की क्षमता है, संस्थानात्मक प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है । इस प्रशिक्षण का उद्देश्य उद्योग में अपेक्षित मूल कौशलों की पूर्ति करना है ।

2. शिक्षुता अधिनियम, 1961 के अधीन भी 103 व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। 1,50,974 शिक्षु इस प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ।

3. दो त्रिपक्षीय निकाय हैं—राष्ट्रीय वृत्तिक व्यवसाय प्रशिक्षण परिषद्, जो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण की योजनाओं का पुनरीक्षण करती है; तथा केन्द्रीय शिक्षुता परिषद् जो शिक्षु प्रशिक्षण की योजनाओं का पुनरीक्षण करती है । इन परिषदों की सिफारिशों के अनुसार प्रशिक्षण के कार्यक्रमों और विषयों में परिवर्तन किए जाते हैं ।

4. आटो इलैक्ट्रिशियन, स्कूटर रिपेयरर, टाइपराइटर मेकैनिक, सिलाई मशीन मैकैनिक, ट्रैक्टर और मोटर वाहन मेकैनिक आदि जैसे विशेषित क्षेत्रों में स्व: रोजगार और रोजगार को बढ़ावा देने की दृष्टि से कुछ राज्य सरकारों ने कुछ चुने हुए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अल्पकालीन पाठ्यक्रम आरम्भ किए हैं। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उत्तीर्ण उम्मीदवारों को उन की नियोज्यता को सुधारने तथा उन में अपने वर्कशाप स्थापित करने के लिए आत्म विश्वास पैदा करने के लिए इन क्षेत्रों में विशेषित प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है ।

5. सरकार औद्योगिक और व्यवसायिक प्रशिक्षण में और परिवर्तन करने की आवश्यकता के प्रति जागरूक है और उस प्रयोजन के लिए उन्होंने उच्च शक्ति प्राप्त विशेषज्ञ या समिति नियुक्त की है जो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षणार्थियों और शिक्षुओं के प्रशिक्षण की कोटि में सुधार करने के लिए उपायों और साधनों की सिफारिश करेगी। शिक्षुता प्रशिक्षण और औद्योगिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों दोनों के पूर्वाभिमुखीकरण की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देगी ताकि देश के ग्रामीण क्षेत्रों तथा ऐसे क्षेत्रों से आने वाले व्यक्तियों के कौशल के दर्जे को बढाने की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में ये कार्यक्रम सहायता दे सकें। समिति महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों के प्रशिक्षण की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखेगी।

(ख) हाल ही में सरकार ने राष्ट्रीय रोजगार सेवा संबंधी समिति स्थापित की है, जो इसके कार्यकरण में सुधार करने के लिए, विशेषकर (i) इसे बदली हुई परिस्थितियों और आवश्यकताओं के लिए अधिक अनुकूल बनाने ;

(ii) रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत व्यक्तियों की नियुक्तियों को बढाने;

(iii) प्रतिकूल स्थिति वाले और विकलांग वर्गों की नियुक्ति सेवाओं के मामले में विशेष उपाय सुझाने; और

(iv) ग्रामीण रोजगार समस्या को प्राथमिकता देने के बारे में सरकार की बदली हुई योजना नीतियों से उद्भूत ग्रामीण श्रमिकों के रोजगार की समस्या के साथ निपटने के लिए रोजगार सेवा को सहयोजित करने की दृष्टि से, सलाह देगी और उपयुक्त उपायों की सिफारिश करेगी।

(ग) रोजगार कार्यालय सीधे राज्य सरकारों के प्रशासनिक और वित्तीय नियंत्रण के अधीन हैं। यह संबंधित राज्य सरकारों का काम है कि वे ऐसे क्षेत्रों में, जिन में यह सेवा अभी तक लागू नहीं की गई, नये रोजगार कार्यालय खोलने के प्रश्न पर विचार करें।

जाम्बिया को विरोधपत्र

*897. **श्री चित्त बसु** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने जाम्बिया के प्रधान मंत्री द्वारा लगाये गये इस आरोप के प्रति विरोध प्रकट किया है कि सरकार भूतपूर्व प्रधान मंत्री के विरुद्ध प्रतिशोध की नीत का पालन कर रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त विरोध पर जाम्बिया सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) और (ख) जी हां,। राजनयिक माध्य मों से यह बताया गया था कि इस विषय पर जाम्बिया के प्रधान मंत्री द्वारा "लदंन टाइम्स" को भेजा गया पत्र आपत्तिजनक था और हमारी संवैधानिक व्यवस्था को समझने की कमी के बराबर था। इस संबंध में राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री दोनों ने खेद व्यक्त किया था। इस पर राष्ट्रपति कौंडा ने जो खेद व्यक्त किया था उसकी सूचना जाम्बिया के हाई कमिश्नर द्वारा हमारे प्रधान मंत्री को दी गई थी।

परिवार नियोजन कार्यक्रम

*898. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत एक वर्ष के दौरान विभिन्न परिवार नियोजन कार्यक्रमों के कार्य निष्पादन में काफी गिरावट आई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार इन कार्यक्रमों को लोकप्रिय बनाने के लिये नये सिरे से कोई कार्यवाही कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) 1977-78 इससे पिछले वर्ष की तुलना में मुखसेव्य गोली कार्यक्रम और जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य कार्यक्रम को छोड़कर परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्य कार्यों में कमी हुई है। पिछले वर्ष (अप्रैल 1976—फरवरी, 1977) की तुलना में वर्ष 1977-78 (अप्रैल, 1977 फरवरी, 1978) में परिवार कल्याण कार्यक्रम के क्षेत्र में हुए कार्य का ब्यौरा अनुबन्ध-1 और 2 में दिया गया है।

(ख) 1976-77 में परिवार कल्याण कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में, खासकर कुछ राज्यों में नसबंदी के बारे में मिली जोर जबरदस्ती की अनेक शिकायतों के कारण परिवार कल्याण कार्यक्रम को बड़ा धक्का लगा है।

(ग) और (घ) लोगों में छोटे परिवार के सिद्धान्त को लोकप्रिय बनाने के लिए शैक्षिक तथा प्रेरणात्मक प्रयासों को सुदृढ बनाया गया है। गर्भ रोधन के सभी तरीकों की पर्याप्त सेवाएं और सुविधाएं,

जिनमें पुरुषों तथा महिलाओं के नसबंदी आपरेशन भी शामिल हैं, उपलब्ध करा दी गयी है। जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने और उन्हें सुदृढ़ करने की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। गांवों में प्रसव कराने वाली दाइयों को प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम बड़े पैमाने पर आरम्भ कर दिया गया है और हाल ही में जन स्वास्थ्य रक्षक योजना को भी चलाया गया है। आशा है कि इनसे लोगों, विशेषतया ग्राम वासियों को छोटे परिवार के सिद्धान्त की जानकारी मिलेगी तथा वे इसे अपनाने लगेंगे। विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में ग्राम विचार नेताओं के लिये विशेष विषय-परिचायक शिविर लगाये जा रहे हैं।

विवरण—1

वर्ष 1977-78 (अप्रैल, 1977 से फरवरी, 1978 तक) परिवार कल्याण कार्यक्रम में हुए कार्य का ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है :—

(आंकड़े अनन्तिम)

तरीके	कार्य-निष्पादन		1977-78 (अप्रैल 1977 से फरवरी 1978 तक) तथा पिछले वर्ष की इसी अवधि में प्रतिशत बढ़ोत्तरी (+) अथवा कमी (—)
	1977-78 (अप्रैल, 1977 से फरवरी, 1978)	1976-77 इसी अवधि में	
1. स्वैच्छिक नसबंदी आपरेशन* . .	785,748	8,057,833	(–) 90.2
2. लूप निवेशन . . .	262,175	532,312	(–) 50.7
3. समकक्ष प्रचलित गर्भ निरोधक उपयोगकर्ता	2,731,645	3,499,719	(–) 21.9
4. समकक्ष मुखसेव्य गोली उपयोगकर्त्ता	71,062	53 848	(+) 27.8
5. गर्भपात चिकित्सकीय समापन .	184,491	235,491	(—) 21.7

*स्वैच्छिक शब्द विशेष रूप से अप्रैल, 1977 से हुए काम पर लागू होता है।

विवरण—2

अप्रैल 1977 से फरवरी, 1978 की अवधि में मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत हुए कार्य का विवरण इस प्रकार है :—

(आंकड़े अनन्तिम)

रोगक्षमीकरण	उपलब्धि		प्रतिशत बढ़ोतरी (+) अथवा कमी (—)
	1977-78 (अप्रैल, 1977 से फरवरी 1978)	1975-77 (इसी अवधि में)	
1	2	3	4
(क) (1) गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं का टेटनेस से रोग-क्षमीकरण	2,601,354	1,547,046	(+) 67.0

1	2	3	4
(2) स्कूलपूर्व आयु के बच्चों के लिए डी० पी० टी०	5,780,413	2,950,563	(+)94.2
(3) स्कूली बच्चों के लिए डी० टी०	4,875,541	1,745,063	(+) 175.9
(ख) अपविषणज अरक्तता का रोग निरोध			
कुल महिलाए	5,859,616	3,396,888	(+)70.6
बच्चे .	5,267,959	2,384,600	(+)119.1
(ग) विटामिन 'ए' की कमी के कारण होने वाले अन्धेपन के विरुद्ध रोग निरोधन			
कुल (पहली और दूसरी मात्रा)	10,045,939	5,051,075	(+)97.7

Mini Steel Plants in Karnataka

*899. **Shri Ram Sewak Hazari :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether mini steel plants in Karnataka are on the verge of closing down;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the action being taken to ensure that these plants continue to function and p ower is supplied to them at lower rates ?

The Minister of Steel and Mines (Shri Biju Patnaik) : (a) to (c) It is a fact that the mini steel plants in Karnataka face a difficult situation on account of very steep increase of almost 100 per cent in power tariff and because of serious power shortage. I have invited the personal attention of the Chef Minister, Karnatak to the seriousness of the situation. His reply is awaited.

लौह अयस्क खानों के कर्मचारियों का जबरन छुट्टी किए जाने का भय

*900. **श्री प्रद्युमन बल :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि जैसा कि 27 फरवरी, 1978 को उन्होंने बर्नपुर में कहा था कि विदेशी खरीदारों द्वारा माल उठाने में 20 प्रतिशत कटौती कर दिये जाने के फलस्वरूप लौह अयस्क खनन कार्य में लगे लगभग एक लाख कर्मचारियों की जबरन छुट्टी की जाने वाली है ;

(ख) अब तक कितने कर्मचारियों की जबरन छुट्टी की गई है ;

(ग) विश्व के इस्पात बाजारों में मंदी के विशेष कारण क्या हैं ; और

(घ) इस समस्त स्थिति पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) और (ख) विश्व में इस्पात उद्योग में अत्यधिक मन्दी के कारण जापान तथा दूसरे देशों द्वारा लौह अयस्क के आयात में कटौती करने के कारण लौह-अयस्क निकालने वाले कुछ मजदूरों की जबरी छुट्टी की जाने की आशंका है। जन मजदूरों की जबरी छुट्टी करनी पड़ेगी उनकी ठीक-ठीक संख्या अन्य बातों के साथ-साथ इस बात पर निर्भर करेगी कि जापान तथा अन्य देशों को वास्तव में कितना माल भेजा जाता है।

(ग) इस्पात उद्योग में मन्दी सारे विश्व भर में आई है। यह मन्दी आर्थिक तथा औद्योगिक विकास की गति धीमी पड़ने, इस्पात की मांग में कमी होने, विश्व में तेल के मूल्यों में असाधारण वृद्धि होने के कारण अत्याधिक मुद्रास्फीति, लाभ के स्तरों में कमी होने और इस उद्योग के पुनरुत्थान की सम्भावना के बारे में अविश्वास की भावना आदि जैसे कई संश्लिस्ट कारणों से आई है।

(घ) सरकार विश्व में इस्पात उद्योग में आई मंदी के कारण, जिससे हमारे लौह-अयस्क के निर्यात पर प्रभाव पड़ा है, कम से कम छंटनी करने के लिए सभी सम्भव उपाय कर रही है।

Regularisation of Workers in Factories

*901. **Shri Rajendra Kumar Sharma** : Will the Minister of **Parliamentary Affairs and Labour** be pleased to lay a statement showing:

(a) the number of workers working in factories in the public and private sectors separately in the country, State-wise;

(b) the number of workers out of them working on daily wages; and

(c) whether Govrnment propose to regularise them ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Labour (Shri Ravindra Varma) : (a) A statement showing the provisinal figures relating to the number of workers in factories both in public and private sectors, state-wise for the period 1974 to 1977, is attached. [Placed in Library Sec No. L.T. —2207/78].

(b) & (c) Presumably the reference is to casual workers who are generally employed on daily wages. The information regarding their number in the public and private sector factories is not available. Guidelines contained in the Model Standing Orders circulated to the employing Ministries is so far as Departmental Undertakings of the Government of India are concerned, provide for the regularisation of a casual worker who has completed six months of continuous service within the meaning of Section 25B(2) (b) of the Industrial Disputes Act, 1947. While Government's policy is generally to encourage regularisation of casual employees, the actual situation in each industry or unit would depend on the particular circumstances of each case.

विदेशों में गये डाक्टरों और इंजीनियरों की संख्या

*902. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1977 से मार्च, 1978 तक कितने डाक्टर और इंजीनियर अल्जीरिया, अरब तथा खाड़ी के देशों को गये ;

(ख) इस समय कितने डाक्टरों के आवेदन-पत्र अनिर्णीत पड़े हैं ;

(ग) अनिर्णीत आवेदन-पत्रों का कब तक निपटान किये जाने की संभावना है ; और

(घ) उन्हें इन देशों में क्या वेतन और अन्य सुविधाएं मिल रही हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) अप्रैल, 1977 और मार्च, 1978 के बीच अल्जीरिया, अन्य अरब तथा खाड़ी के देशों के लिए भारत सरकार से इन देशों की सरकार में प्रतिनियुक्ति के आधार पर विदेशों में नियोजन के लिए 910 डाक्टर और 288 इंजीनियर चुने गये थे। इन डाक्टरों और इंजीनियरों के नाम कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा प्रायोजित किए गए थे। उन डाक्टरों एवं इंजीनियरों की ठीक-ठीक संख्या बताना संभव नहीं है, जो इस अवधि के दौरान अपने नियोजन का कार्यभार संभालने के लिए वास्तव में विदेश के लिए रवाना हुए।

(ख) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की नामिकाओं पर विभिन्न विषयों के लिए पंजीकृत डाक्टरों की कुल संख्या (31-3-78 तक) 11,006 थी।

(ग) यह बताना संभव नहीं है कि बाकी आवेदनों के कब तक निपटाए जाने की संभावना है क्योंकि विदेशों में नियोजन के लिए इन डाक्टरों के नामों का प्रस्ताव नामिकाओं में उनके पंजीकरण की तारीख के व्यवस्था-क्रम से तथा उनके अनुभव और उनकी योग्यताओं के अनुरूप विदेशी सरकारों/अभिकरणों से मांग आने पर किया जाता है।

(घ) इन देशों में काम करने वाले भारतीय विशेषज्ञों के वेतनमान और परिलब्धियां अलग-अलग देशों में तो अलग-अलग हैं ही, लेकिन एक ही देश के भिन्न-भिन्न संगठनों में भी अलग-अलग हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त ये परिलब्धियां प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध विशेषज्ञ की योग्यताएं और उसके अनुभव पर भी निर्भर करती हैं। बहरहाल, द्वीपक्षीय भर्ती के सभी मामलों में इस बात का सुनिश्चय कर लिया जाता है कि भारतीय विशेषज्ञ के लिए प्रस्तावित सेवा-शर्तें उचित और पर्याप्त हों।

Dispensary for P&T Employees

*903. **Shri Ganga Bhakt Singh : Will** the Minister of **Communication** be pleased to lay a statment showing.

(a) whether facility of a dispensary is provided by Posts and Telegraphs Department for its employees ;

(b) if so, the names of the cities in the country in which this facility is being provided by the Department; and

(c) the names of the cities in Uttar Pradesh in which this facility is available ?

The Minister of State in the Ministry of Communications (Shri Narhari Prasad Sai) : (a) Yes, Sir, at some stations.

(b) and (c) Two lists are placed on the table of the House. [Placed in Library. See No. L.T.—2208/78].

सफदरजंग अस्पताल में जूनियर तथा सीनियर रेजीडेंट डाक्टर

8320. **श्री दुर्गाचन्द : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सफदरजंग अस्पताल में जूनियर तथा सीनियर रेजीडेंट डाक्टर केवल दिल्ली विश्वविद्यालय मेडिकल कालेज के विद्यार्थियों से लिये जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार द्वारा नियुक्त करतार सिंह समिति ने वर्ष 1974 में यह सिफारिश की थी कि प्रथम वर्ष तथा द्वितीय वर्ष के जूनियर रेजीडेंट डाक्टरों का चयन विधिवत रूप से गठित चयन समिति द्वारा योग्यता के आधार पर किया जाएगा और जूनियर रेजीडेंट डाक्टरों की अनुबंध सेवा के आधर पर किया जाएगा ;

(घ) यदि हां, तो प्रथम वर्ष के जूनियर रेजीडेंट डाक्टरों को योग्यता के आधार पर न लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय मेडीकल कालेज से लेने के क्या कारण हैं ;

(ङ) गत चार वर्ष के दौरान, वर्षवार, सफदरजंग अस्पताल में कितने जूनियर रेजिडेन्ट डाक्टरों को दिल्ली विश्वविद्यालय मेडिकल कालेज से लिया गया है ; और

(च) ऐसी नियुक्तियों को रोकने तथा करतार सिंह समिति की सिफारिशों के अनुसार योग्यता के आधार पर चयन करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जहां तक प्रथम वर्षीय जूनियर रैजीडेंटों का सम्बन्ध है, सफदरजंग अस्पताल में जो इन्टनी के प्रशिक्षण के लिए कालेज आफ मेडिकल साईसेंस के साथ सम्बद्ध है, प्रथम वर्षीय जूनियर रेजीडेंटों की नियुक्ति के मामले में इस कालेज के छात्रों को पहले तरजीह दी जाती है। यदि कोई रिक्त पद नहीं भरे जाते है तो उन्हें अन्य संस्थाओं के पात्र इन्टनों से भर लिया जाता है। द्वितीय और तृतीय वर्षीय जूनियर रेजीडेंसी के दाखिलें दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा किए जाते है। सीनियर रेजीडेंसी की नियुक्ति अखिल भारतीय आधार पर की जाती है।

(ख) सफदरजंग अस्पताल में प्रथम वर्ष में जूनियर रेजीडेंसी में नियुक्ति के मामले में यूनिवर्सिटी कालेज आफ मेडिकल साइन्सेन्स से एम० बी० बी० एस० परीक्षाएं उत्तीर्ण करने वाले इन्टनों की तरजीह देने का कारण यह है कि अन्य संस्थाओं में भी यह प्रथा है कि कालेज के छात्रों को उसी अस्पताल में दाखिला दिया जाता है जिस अस्पताल से वह कालेज सम्बद्ध होता है। चूंकि सफदरजंग अस्पताल यूनिवर्सिटी कालेज आफ मेडिकल साइन्सेस के साथ उसके छात्रों के क्लिनिकल प्रशिक्षण के लिए सम्बद्ध है इस लिए उस अस्पताल में प्रथम वर्षीय जूनियर रेजीडेंसी में नियुकित के मामले में ऐसे छात्रों को तरजीह देना न्यायोचित है।

(ग) जी, हां। तथापि, द्वितीय वर्षीय जूनियर रेजीडेंसी के लिए चयन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाता है न कि प्रथम वर्षीय जूनियर रेजीडेंटों की तरह विधिवत गठित चयन समिति द्वारा।

(घ) चूंकि दिल्ली की अन्य चिकित्सा संस्थाए अपने अपने सम्बद्ध अस्पतालों में प्रथम वर्षीय जूनिर रेजीडेंसी नियुक्त के मामले में अपने अपने इन्टनों को तरजीह देते हैं, इसलिए यह महसूस किया गया था कि यदि प्रथम वर्षीय जूनियर रेजीडेंसी के प्रशिक्षण के लिए सफदरजंग अस्पताल में उपलब्ध सुविधाएं यूनिवर्सिटी कालेज आफ मेडिकल साइन्सेस के छात्रों को न दी जाए तो यह उक्त कालेज से सम्बंधित छात्रों के हित के प्रतिकूल होगा।

(ङ) सफदरजंग अस्पताल में प्रथम वर्षीय रेजीडेंटों के रूप में लिए गए छात्रों की सख्या 1977 में 72 और माच 1978 के अन्त तक 96 थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी कालेज आफ मेडिकल साइसेस से एम० बी० बी० एस० छात्रों का प्रथम बैच 1977 में ही उपलब्ध हुआ था।

(च) भाग (घ) में दिए गए उत्तर को देखते हुए सफदरजंग अस्पताल में प्रथम वर्षीय जूनियर रेजीडेंसी में भर्ती की नीति में कोई परिवर्तन करने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

केरल में तूफान से पीड़ित लोगों को राहत देना

8321. **श्री समर मुखर्जी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल, तमिलनाडु और आन्ध्र प्रदेश में तूफान से पीड़ित व्यक्तियों को राहत देने के लिए सरकार द्वारा दी गई चिकित्सा सहायता का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या तूफान से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए अन्य देशों ने भी सहायता के काम में सहयोग देने की पेशकश की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) केन्द्रीय सरकार ने केरल तमिलनाडु और आन्ध्र प्रदेश राज्यों में तूफान पीड़ितों की राहत के लिए तत्काल प्राथमिकता के आधार पर निम्नलिखित चिकित्सा सहायता की है:—

केरल : (i) हैजा नियंत्रण का कार्यक्रम के अधीन 25,000 रु० के मूल्य की मुफ्त् औषधियां।

(ii) पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अधीन इंडियन ड्रग्स एण्ड फर्मास्युटिकल लि० ने राज्य को 40,000 रुपये के मूल्य की अत्यावश्यक औषधियां प्रदान की हैं।

(iii) भारत सरकार ने आपाती स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधा के लिए 4.00 लाख रुपये की अग्रिम योजना सहायता मंजूर की है।

तमिलनाडु: (i) 5,41,000 रुपये के मूल्य की आवश्यक औषधियां रोगाणुनाशी, कीटनाशी और चिकित्सा-उपकरण तथा 51,875 रुपये के मूल्य की वैक्सीन भूगतान के आधार पर सप्लाई की गई है।

(ii) इंडियन ड्रग्स और फार्मास्युटिकल्य लि० ने राज्य को 2,50,000 रुपये की 'मूल्य की आवश्यक औषधियां प्रदान की हैं।

(iii) भारत सरकार ने आपाती स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधा के लिए 25,00 लाख रुपये की अग्रिम योजना सहायता मंजूर की है।

आन्ध्र प्रदेश: (i) 42,10,285.32 रुपये के मूल्य की आवश्यक औषधियां रोगाणुनाशी, कीटनाशी और चिकित्सा उपकरण तथा 88.375 रुपये के मूल्य की वैक्सीन भुगतान के आधार पर सप्लाई की गई।

(ii) इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि० ने राज्य को 2,60,000 रु० के मूल्य की आवश्यक औषधियां प्रदान की है।

(iii) भारत सरकार ने आपाती स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधा के लिए एक करोड़ रुपये की अग्रिम योजना सहायता मंजूर की है।

(iv) राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली से एक जेट वैक्सीन वाली टीम पीड़ित आबादी को सामूहिक रूप से टीका लगाने के लिए भेजी गई थी।

उपर्युक्त के अलावा, वित्त मंत्रालय ने आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप राज्य/संघ शासित क्षेत्र में 87,840 रुपये मेंके मूल्य की कांनफिस्केटिड इंग्जैक्शन सूइयों के 732 ग्रुस 5: 3: 1: 1: के अनुपात में वितरण करने के आदेश भी जारी किए हैं।

(ख) और (ग) जी हां। इंगलैंड की सरकार ने 18,000 पौंड की आवश्यक औषधियां उपहार में दी हैं, जिन्हें बाद में विनाश की प्रचण्डता और उससे प्रभावित आवादी को ध्यान में रखते हुए आंध्र प्रदेश, तामिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप सरकारों को 5: 3: 1: 1 के अनुपात में बांट दिया गया है।

भारत सरकार के अनुरोध पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आंध्र प्रदेश के लिए एन्टी-गैस गैंगरीन सीरम की 200 शीशियां भेजीं, क्योंकि देश में इनकी पर्याप्त मात्रा तत्काल उपलब्ध नहीं थी।

ब्रिटिश रेडक्रास ने भी 4,000 पौण्ड की एन्टी-गैस गैंगरीन सीरम की 10 मि० ली० वाली 500 शीशियां भेजी हैं और इन्हें 350: 150 के अनुपात के आंध्र प्रदेश और तामिलनाडु को वितरित किया गया है।

तूफान राहत कार्य के लिए 1041 कि० ग्रा० की औषधियों के 33 बंडल महानिदेशक, सप्लाई विंग भारतीय उच्चायोग लंदन से भी प्राप्त हुए हैं ।

न्यूनतम मजूरी अधिनियम में संशोधन

8322. **श्री के० प्रधानों : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने न्यूनतम मजूरी अधिनियम में संशोधन करने के बारे में प्राप्त प्रस्तावों पर इस बीच कार्यवाही करनी आरम्भ कर दी है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) समय-समय पर मज़दूरी में संशोधन करने के अंतरालों में कभी, अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया को संक्षिप्त करके मज़दूरी-दरों में संशोधन की अधिक तेज़ विधि, उल्लंघन के लिए दंड व्यवस्था में वृद्धि आदि के सम्बन्ध में न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम, 1948 में संशोधन के कुछ प्रस्ताव विचाराधीन हैं ।

Expansion of Telephone Exchange in Jaora City

8323. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether the allotment of new connections' in Jaora City in Ratlam District is not possible as there is no spare capacity;

(b) whether many persons not included in the waiting list are desirous of getting telephone connections but they have not got their demands registered by depositing the requisite amount as there is no definite period after which one may get a connection; and

(c) whether the expansion of the above exchange is essential; and if so, the details of the action to be taken in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Communications (Shri Narhari Prasad Sai) : (a) Yes Sir.

(b) Government is unable to comment in this regard.

(*e*) It is hoped to commission a 100 lines expansion from 200 to 300 lines during the current financial year to meet the future growth of demands.

औषध निर्माता

8324. **श्री ओम प्रकाश त्यागी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी कम्पनी को औषध निर्माण लाइसेंस देते समय इस बात का पता लगाना आवश्यक है कि विशेष राय देने के लिये कम्पनी में 'फार्मासिस्ट' हैं या नहीं ,

(ख) क्या केन्द्रीय औषध नियंत्रण संगठन यह सुनिश्चित करने के लिये, कि क्या औषधियां योग्य 'फर्मासिस्ट' की देखरेख में उत्पादित की जा रही हैं या नहीं, औषध निर्माता कम्पनियों के यहां समय-समय पर जांच करता है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमों के उपबन्धों के अंतर्गत निर्माता को औषधि निर्माण के पर्यवेक्षण के लिए सक्षम

तकनीकी स्टाफ नियुक्त करना आवश्यक हैं जिनमें से कम से कम एक कर्मचारी ऐसी हो जो पूर्णकालिक कार्यकर्ता हो और जिसके पास औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमों के नियम 71 और 76 के अंतर्गत निर्धारित अर्हताएं हों अर्थात फार्मेसी में डिग्री अथवा मुख्य विषय के रूप में रसायन सहित विज्ञान में डिग्री अथवा रसायन इंजीनियरी या रसायन प्रौद्योगिकी या चिकित्सा-शास्त्र में डिग्री ।

(ख) जब भी केन्द्रीय औषधि निरीक्षक निर्माण परिसरों का निरीक्षण करते हैं तो वे इस बात की जांच करते हैं कि क्या निर्माण कार्य किसी ऐसे सक्षम तकनीकी कर्मचारी की निगरानी में चल रहा है जिसे यथास्थिति इस कार्य के लिए औषधि नियमों के नियम 71 या 76 के अंतर्गत स्वीकृत किया गया है ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

Development of Medical Facilities in Tribal and Rural Areas of Gujarat

8325. **Shri Chhitubhai Gamit :** Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state :

(a) whether Gujarat Government have submitted any proposal for the development of medical facilities in tribal and rural areas of the State;

(b) if so, the details of the proposed schemes and the total amount earmarked therefor;

(c) the amount earmarked in the year 1978-79 for the development of medical facilities in rural and tribal areas in Gujarat and the details thereof; and

(d) the details of concrete steps being taken by the Government of India to take immediate action on the proposals of Gujarat Government for the development of medical facilities ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Welfare : (Shri Jagdambi Prasad Yadav) : (a) Yes.

(b) and (c) : An outlay of Rs. 105.14 lakh has been earmarked for the year 1978-79 under the Minimum Needs Health Programme for the State.

(d) The Government of India have already agreed to an allocation of Rs. 105.14 lakh during 1978-79 for developing health services in rural and tribal areas under the Minimum Needs Health Programme. A ceiling of Rs. 76.11 lakh has been fixed for tribal sub-plan. A central assistance for Rs. 13.00 lakh has also been agreed to for the tribal areas of Gujarat.

औषध नियंत्रक

8326. **श्री गोबिन्द मुण्डा :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने औषध नियंत्रण व्यवस्था को सुदृढ करने के लिए पूर्णकालिक औषध नियंत्रक नियुक्त करने के लिए राज्य सरकारों को अनुदेश दिया था;

(ख) किन राज्यों ने अब तक पूर्णकालिक औषध नियंत्रक नियुक्त नहीं किए हैं ;

(ग) प्रत्येक राज्य के संबन्ध में अनुदेशों का पालन न किये जाने के कारणों और स्पष्टीकरण का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) प्रत्येक राज्यों के लिए पूणकालिक औषध नियंत्रक नियुक्त करना कब तक संभव होगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् ने अप्रैल, 1974 में हुई अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ साथ ऐसे एक पूर्ण-कालिक अधिकारी की नियुक्ति की सिफारिश की थी जो औषधियों के निर्माण और उनके परीक्षण आदि के तकनीकों को तकनीकी दृष्टि से जानता हो। इस सिफारिश का उनका उद्देश्य यह था कि इससे औषध नियंत्रण के कारगर उपाय सुनिश्चित हो सकेंगे। इस प्रस्ताव को कार्यान्वियन के लिए राज्य सरकारों को भेजा गया था। फिर जनवरी, 1978 में नई दिल्ली में हुए केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् और केन्द्रीय परिवार कल्याण परिषद् के चौथे संयुक्त सम्मेलन में यह सिफारिश की गई थी कि राज्यों को चाहिए कि वे अपने औषध नियंत्रण तन्त्रों को पुनर्गठित करें ताकि उसमें औषधियों के निर्माण और परीक्षण के काम को तकनीकी दृष्टि से जानने वाला एक पूर्णकालिक अधिकारी औषध नियंत्रण संगठन का कार्यभारी हो सके। केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् द्वारा पारित इस प्रस्ताव को आवश्यक कार्यवाही के लिए राज्यों को भेज दिया गया है।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार यह मालूम हुआ है कि कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और संघ शासित क्षेत्र गोवा ने पूर्णकालिक औषध नियंत्रण नियुक्त कर दिए हैं। शेष राज्यों में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अधिकारी औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम का पालन करवाने का काम देखते हैं।

(ग) और (घ) इस संबन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

महाराष्ट्र और कानपुर में उद्योगों को बन्द होने से रोकने के बारे में केन्द्रीय सरकार का हस्तक्षेप

8327. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बढ़ी संख्या में उद्योगों के बन्द हो जाने, तालाबन्दी की घोषणा किये जाने और कमचारियों को हड़ताल पर जाने के लिये उकसाने के बारे में महाराष्ट्र राज्य कामगार कर्मचारी परिषद् से अभ्यावेदन प्राप्त हुए है जिनमें केन्द्रीय सरकार से हस्तक्षेप का अनुरोध किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी तथ्य क्या हैं ;

(ग) क्या कानपुर में विभिन्न उद्योगों के बन्द किये जाने और उनमें तालाबन्दी किये जाने के बारे में उत्तर प्रदेश में कार्मिक संघों से इसी प्रकार के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें केन्द्रीय सरकार द्वारा हस्तक्षेप का अनुरोध किया गया है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबन्धी तथ्य क्या हैं और महाराष्ट्र और कानपुर में लगभग कितने कर्मचारी बेरोजगार है ; और

(ङ) इस बारे में क्या कायवाही करने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) यद्यपि इस परिषद् से ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ, तथापि, श्रम मंत्रालय को समय-समय पर विभिन्न पक्षों से कुछ ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे हैं, जिनमें महाराष्ट्र के बम्बई-थाना-बालापुर क्षेत्रों के एककों में हुई हड़तालों, तालाबन्दियों और कामबंदियों के संबन्ध में केन्द्र के हस्तक्षेप के लिए अनुरोध किया गया था। इस क्षेत्र में औद्योगिक संबन्धों के बारे में स्थिति की ओर राज्य सरकार का ध्यान दिलाया गया है। अभी तक महाराष्ट्र सरकार से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) जी हां। हाल ही के कुछ महीनों के दौरान कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे जिनमें कानपुर स्थित मिलों में हुई कामबन्दियों और तालाबन्दियों में केन्द्र से हस्तक्षेप करने के लिए अनुरोध किया गया था।

(घ) और (ङ) जैसा कि 14 अप्रैल, 1978 को लोक सभा में उद्योग मंत्री द्वारा बताया गया था, सरकार ने उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन स्वदेशी काटन मिल कं० लि०, कानपुर के सम्पूर्ण ग्रुप का प्रन्बन्ध सभाल लिया है ।

2. जे० के० मैन्युफैक्चरर्स कानपुर और जे० के० इकेक्ट्रानिक्स, कानपुर के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यथा-सूचित स्थिति इस प्रकार है:—

जे० के० मैन्युफैक्चरर्स, कानपुर (2,383 कर्मचारी) हानि होने के कारण पहली अक्तूबर, 1977 से बंद कर दी गई थी। औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट राज्य प्राधिकारी ने इस मिल को बन्द करने की अनुमति देने से इंकार कर दिया और राज्य के औद्योगिक संबन्ध तंत्र ने गैर-कानूनी कामबंदी के आरोप में नियोजक के विरुद्ध अभियोजन चलाया । इस मामले में नियोजक ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय से रोधनादेश प्राप्त कर लिया । जहां तक जे० के० इलेक्ट्रानिक्स, कानपुर (नियोजित श्रमिक 145) का संबन्ध हैं, जो वित्तीय कठिनाइयों तथा हानि के कारण 18 सितम्बर, 1977 को बंद कर दी गई थी ; संबंधित श्रमिकों ने दिसम्बर, 1977 में नियोजकों के साथ सुलाह कर लिया था और लगता है कि उन्होंने इस प्रतिष्ठान की बंदी का विरोध भी किया है ।

एमरजेंसी बार्डों में चिकित्सा सुविधाएं

8328. **श्री माधवराव सिन्धिया** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृप करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में प्रत्येक अस्पताल में रोगियों की देखभाल के लिए विशेषकर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों के तुरन्त इलाज हेतु पुलिस कर्मचारी नियुक्त होते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि अस्पताल में डाक्टर पुलिस कर्मचारियों की औपचारिकताओं को रिपोर्ट के अभाव में प्रभावित व्यक्ति की दशा बहुत गंभीर होते हुए भी कोई डाक्टरी सहायता (प्राथमिक उपचार भी) नहीं देते हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इन कानूनी अनिवार्यताओं/परिपाटियों के कारण ऐसे व्यक्ति चिकित्सा सहायता दिए जाने से पूर्व मर जाते हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस कानूनी प्रक्रिया में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी हां।

(ख) जी, नहीं। पुलिस की औपचारिकताओं के पूरा होने की प्रतीक्षा किए बिना आवश्यक चिकित्सा सहायता दी जाती है ।

(ग) और (घ) यह प्रश्न नहीं उठते।

कालवा में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना

8329. **श्री आर० के० महालगी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को थाणा मैन्युफैक्चरस एसोसिएशन के चेयरमैन की ओर से दिनांक 20 फरवरी, 1978 का अभ्यावेदन मिला है जो कालबा में पृथक स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज की प्रस्तावित स्थापना के बारे में हैं ;

(ख) सरकार ने क्या कार्यवाई की है और क्या उसकी जानकारी संबन्धित एसोसियेशन को दे दी गयी है ; और

(ग) यदि अब तक कोई कार्यवाई नहीं की गई है तो निर्णय कब तक किये जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय): (क) जी हां।

(ख) इस अभ्यावेदन पर सावधानीपूर्वक विचार किया गया था किन्तु तकनीकी और आर्थिक कारणों से इस पर सहमति नहीं हो सकी। थाणा मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के चेयरमैन के पास 20-4-78 को इसका उत्तर भेज दिया गया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Supply to Malathion to Gujarat

8330. Shri Dharmasinhbhai Patel : Will the Minister of Health and Family Welfare be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Gujarat Government has asked the Central Government. to supply "Malathion" instead of D.D.T. for the eradication of Malaria from Gujarat;

(b) if so, when the demand for "Malathion" was made and the quantity of "Malathion" which has been demanded;

(c) when and for what quantity will this demand be met and in what manner it is proposed to be met ; and

(d) whether "Malathion" is more effective than D.D.T. for the destruction of mosquitoes which spread Malaria and the prices of both the insecticides ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Welfare (Shri Jagdambi-Prasad Yadav) : (a) Yes.

(b) The State Government have requested for the supply of about 35,000 M.T. of Malathion 25% w.d.p. between June and November, 1977.

(c) As indiscriminate use of Malathion on large scale poses some hazards, it is proposed to go slow on the use of this insecticide for the present. It has been decided to make available 2275 M.T. of Malathion 25% w.d.p. only to Gujarat for use in 1978-79 spray operations.

(d) D.D.T. is effective where the vectors for Malaria are susceptible to it. Malathion is effective where the malaria sector has shown resistance to D.D.T. and BHC.

The cost of D.D.T. 75% is Rs. 11200 per M.T. and that of Malathion 25% p.w.d. Rs. 10,000 per M.T. To protect one million population with DDT 75%— two rounds of spray are required. The annual cost of this insecticide only will be about Rs. 11.20 lakhs. To protect the same population with the use of Malathion 25% w.d.p. (Three rounds of spray) the cost of the insecticide only will be about Rs. 90 lakhs.

Telephone Connections in Bihar

†8331. Shri Surendra Jha Suman : Will the Minister of Communications be pleased to state :

(a) the number of villages in Bihar which have a population of 4 thousand or more where telegraph and telephone facilities have not so far been provided ; and

(b) the time by which this facility will be provided to those villages ?

The Minister of State in the Ministry of Communications (Shri Narhari Prasad Sai): (a) the number of villages in Bihar which have a population of 4000 or more where telegraph and telephone facilities have not been provided so far is 901 and 981 respectively.

(b) According to the present policy of the Department, places with a population of 5000 or more in ordinary areas and 2500 or more in hilly and backward areas will be provided with telephone and telegraph facilities even on loss without any condition of minimum revenue. The number of such villages in Bihar which do not have telegraph and telephone facilities is 1826 and 1934 respectively. Efforts are being made to provide these facilities at most of these places during the five year period 1978-83. At other places, P.C. Os. can be provided if the proposals are financially viable or the losses are made good by interested parties.

Treatment of Dumb Children

8732. **Shri Hargoevnd Verma :** Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state :

(a) the number of dumb children registered for treatment with the Central Government institutions ;

(b) whether Government propose to make arrangements for the stay of these children in these institutions itself with a view to give them proper treatment ; and

(c) if so, when and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad vadav) : (a) to (c) Information is being collected and will be laid o)n the Table of the Sabha.

बोकारो स्टील लिमिटेड द्वारा गरीब हरिजनों की भूमि पर कब्जा

8333. **श्री ए० के० राय :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बोकारो स्टील लिमिटेड ने बोकारो में एक हवाई पट्टी के निर्माण के लिये गरीब हरिजनों की भूमि पर कब्जा कर लिया है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या उन गरीब हरिजनों को न तो कोई मुआवजा दिया गया है और न नौकरी ; जहां तक कि उन्हें कोई नोटिस भी नहीं दिया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) से (ग) हवाई-पट्टी के लिये भूमि बिहार सरकार द्वारा अर्जित की गई थी और हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को सौंप दी गई थी, जिसने वर्ष 1962 में हवाई-पट्टी का निर्माण किया था। अपेक्षित जानकारी उपलब्ध नहीं है और राज्य सरकार से प्राप्त की जा रही है । जानकारी प्राप्त हो जाने पर सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

भारत से बाहर भेजे गये हवाई पार्सल

8334. **श्री नाथू सिंह :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 मार्च, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4920 के उत्तर में दिये गये कुल आंकड़ों में से पहली और तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं के अंतिम वर्षों में (विदेश भेजे गये) भारत से बाहर कुल कितने हवाई पासल भेजे गये ;

(ख) पहली और तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं के अंतिम वर्षों में क्रमशः कुल कितने पार्सल भूमाग द्वारा भारत से बाहर भेजे गये ; और

(ग) क्या वह 1974 के लकसोन पार्सल पोस्ट करार जिससे विदेशों को कार्माशियल मर्केन्डाइज कामर्शियल नमूनों और विदेशों को भेजे जाने वाले उपहार पार्सलों का निर्यात प्रभावित होता है कि एक प्रति (अथवा तत्संबन्धी विवरण) सभा-पटल पर रखेंगे ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) पहली पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष में (अर्थात् 1955-56 में) भारत से बाहर भेजे गए हवाई पार्सलों की कुल संख्या अलग से उपलब्ध नहीं है । तीसरी पंचवर्षीय योजना के अतिम वर्ष में (अर्थात् 1967-68 में) भारत से बाहर भेजे गए हवाई पार्सलों की कुल संख्या 171,472 थी।

(ख) पहली पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष (अर्थात् 1955-56) में भारत से बाहर भेजे गए स्थल पार्सलों की कुल संख्या अलग से उपलब्ध नहीं है । तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष (अर्थात् 1967-68) में भारत से बाहर भेजे गए स्थल पार्सलों की कुल संख्या 307,578 है ।

(ग) विश्व डाक संघ लौसेन कांग्रेस 1974 का पार्सल डाक समझौता एक ऐसा करार है जो विश्व डाक संघ के सदस्य देशों के बीच, जो इस करार से आबद्ध है, डाक वस्तुओं के आदान-प्रदान को शासित करता है । इस करार में केवल डाक से संबन्धित पार्सलों अर्थात् पार्सलों की श्रेणियों जैसे कि साधारण पार्सल, बीमा पार्सल वितरण पर नकदी पार्सल, नाजुक पार्सल, विभागीय पार्सल आदि के आदान-प्रदान की शर्तें निर्धारित की गई हैं । इसी प्रकार उनका वर्गीकरण प्रेषण या वितरण के तरीकों के अनुसार, जैसे कि हवाई पार्सल, तुरंत पार्सल आदि, किया जाता है। इसलिए पार्सलसम्बन्धी इस करार का वाणिज्यिक माल, वाणिज्यिक नमूने और उपहार पार्सलों के रूप में बाहरी देशों को निर्यात किए गए पार्सलों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है । पार्सलों की ऐसी श्रेणियों के पार्सलों की निर्यात संबन्धी शर्तें मुख्य नियंत्रक, आयात और निर्यात, द्वारा निर्धारित की जाती हैं।

नैमित्तक श्रमिकों को नियमति करना

8335. **श्री नरेन्द्र सिंह :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच नहीं है कि वर्तमान नियमों के अन्तर्गत दैनिक निर्धारित मजूरी पर रखे जाने पर नैमित्तिक श्रमिकों को, जो दो वर्ष में अवकाश दिवसों सहित 480 दिन काम करते हैं, विभाग विशेष की नियमित सिब्बंदी में खपा लिया जाता है ;

(ख) क्या वह जानते हैं कि दैनिक निर्धारित मजूरी पर रखे जाने वाले उन नैमित्तिक श्रमिकों को, जो रक्षा मंत्रालय के मुख्य प्रशासनिक कार्यालय के कार्यालय में 5 वर्ष से अधिक समय से काम कर रहे हैं और जिनके कार्य की अवधि 480 दिन से अधिक हो गई है, नियमित सिब्बंदी में खपाया नहीं गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया है और उन श्रमिकों को खपाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) से (ग) रक्षा मंत्रालय से प्राप्त हुई सूचना के अनुसार मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के कार्यालय में इस समय 10 नैमित्तिक श्रमिक नियोजित है जिन्होंने पांच से अधिक वर्षों की सेवा पूर्ण कर ली है, परन्तु उन्हें अभी तक वर्ग "घ" के नियमित रिक्त स्थानों में खपाया नहीं गया । या तो वे गत दो वर्षों के प्रत्येक वर्ष में 240 दिनों की सेवा संबंधी

पात्रता की शर्तों को पूरा नहीं करते या वे नैमित्तिक श्रमिकों के रूप में नियुक्त होने के समय निर्धारित आयु की अपेक्षा अधिक आयु के थे। गत एक वर्ष या कुछ ऐसी हो अवधि के दौरान वर्ग "घ" के नियमित रिक्त स्थानों के सामने उन बारह नैमित्तिक श्रमिकों को पहले ही नियुक्त किया जा चुका है, जो मुख्य प्रशासनिक अधिकारो के कार्यालय में 5 से अधिक वर्षों से कार्य कर रहे थे और जो पात्रता संबन्धी शर्तों को पूरा करते थे।

जस्ते की मांग

8336. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जस्ते की इस समय कितनी मांग है और छठी योजना के अन्त तक उसकी अनुमानित मांग कितनी होगी ;

(ख) वर्तमान मांग को किन स्रोतों से पूरा किया जा रहा है ;

(ग) जस्ते के उत्पादन के लिये निर्माणाधीन परियोजनाओं के कार्य में 31 मार्च, 1978 तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(घ) नये संयंत्र स्थापित करने के लिये यदि कोई प्रस्ताव है तो उनका ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) 1978-79 में जस्ते की अनुमानित मांग लगभग 1,02,000 टन होगी जिसके 1982-83 तक बढ़कर लगभग 1,32,000 टन हो जाने की आशा है ।

(ख) जस्ते की वर्तमान मांग की अधिक पूर्ति हिन्दुस्तान जिंक लि० (सरकारी क्षेत्र) तथा कोमिन्को बिनानी जिंक लि० (निजी क्षेत्र) के देसी उत्पादन से तथा शेष की पूर्ति आयात द्वारा की जाती है ।

(ग) मै० हिन्दुस्तान जिंक लि० की दोनों परियोजनाओं अर्थात् उदयपुर (राजस्थान) के निकटा देबारी में जिंक स्मैल्टर के विस्तार तथा विशाखा पत्तनम (आन्ध्र) प्रदेश में नए जिंक स्मेल्टर का काम पूर हो गया है तथा जस्ता पिंडों का उत्पादन शुरू हो गया है ।

(घ) नए जिंक स्मेल्टर स्थापित करने का प्रस्ताव इस समय न तो सरकार के विचाराधीन है और न ही निजी क्षेत्र में विचाराधीन हैं।

कर्मचारी कल्याण संघ, दिल्ली को मान्यता

8337. **श्री सी० एन० विश्वनाथन : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम विभाग के कर्मचारी कल्याण संघ (दिल्ली प्रशासन) की मान्यता के लिये कोई आवेदन-पत्र श्रम आयुक्त, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो कब से और अभी तक मान्यता न देने के क्या कारण हैं ; और

(ग) उपर्युक्त संघ को कब तक मान्यता दे दी जायेगी ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) जी हां ।

(ख) दिल्ली प्रशासन ने सूचना दी है कि श्रमायुक्त, दिल्ली के कार्यालय में श्रम विभाग कर्मचारी कल्याण ऐसोसिएशन (दिल्ली प्रशासन) से 27-6-77 तारीख का एक प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था और उसका 27-9-77 को उत्तर भेज दिया गया था जिसमें यह लिखा गया था कि भारत सरकार

विभिन्न सेवा संस्थाओं को मान्यता देने के आम प्रश्न पर विचार कर रही है। दिल्ली प्रशासन ने विभिन्न सेवा संस्थाओं को वस्तुतः मान्यता देने संबन्धी प्रक्रिया के बारे में सामान्य हिदायतें 27-10-77 को भेजी थीं। चूंकि इस एसोसियेशन ने इन हिदायतों के अनुसार पूरी जानकारी नहीं भेजी, इसलिए इसे अभी तक मान्यता प्रदान नहीं की गई।

(ग) इस एसोसिएशन से पूर्ण जानकारी प्राप्त होने पर इसे मान्यता देने के प्रश्न पर विचार किया जाएगा।

टेलीविजन के लाइसेंसों के नवीकरण के लिए सुविधा

8338. **श्री नटवर लाल बी० परमार :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में कुछ डाकघरों में इस सुविधा की व्यवस्था की गई है कि वहां टेलीविजन-मालिक अपेक्षित शुल्क देकर अपने लाइसेंसों का नवीकरण करा सकते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे डाकघरों की संख्या और नाम क्या हैं और वर्ष 1978 में इनमें कितने लाइसेंसों का नवीकरण किया गया और प्रत्येक डाकघर ने कितने लाइसेंस जारी किये ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) दिल्ली के सभी डाकघरों में टेलीविजन के लाइसेंस जारी करने की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(ख) ऐसे डाकघरों की संख्या 331 है। इन डाकघरों के नाम और इन डाकघरों द्वारा जारी किए गए टेलीविजन लाइसेंसों की संख्या प्रदर्शित करने वाली एक सूची संलग्न है [ग्रंथालय में रखी गई **देखिये** संख्या एल०टी०–2209/78]। 1 जनवरी से 31 मार्च, 1978 के दौरान 155341 टेलीविजन लाइसेंस जारी किए गए हैं।

होम्योपैथिक निर्माताओं द्वारा बनाया गया "कलर्ड डिसकेट्स"

8339. **डा० भगवान दास राठौर :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या होम्योपैथिक निर्माताओं द्वारा बनाया गया "कलर्ड डिसकेट्स" औषधि के समान होता है और उनका प्रयोग होम्योपैथिक क्रिया को, जो वैज्ञानिक रूप से इलाज किये जाने से होता है, रोक सकता है ;

(ख) इन कलर्ड डिसकेट्स द्वारा संदेहास्पद औषधि बनाने को रोकने और होम्योपैथिक इलाज की समुचित क्रिया सुनिश्चित करने के स्थान पर प्योर शूगर केन ह्वाइट डिसकेट्स की अनुमति देने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ग) उन होम्योपैथिक निर्माताओं को दंड देने के लिए क्या कार्यवाही की जायेगी जो "आर्गेनन आफ मेडीसन" एक्सरीज और औषधियों का निर्माण
जाता है ;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) होम्योपैथिक पद्धति में होम्योपैथिक दवाइयों में रंग नहीं मिलाया जाता। इस प्रकार रंगीन डिसकेट्स के उपयोग को होम्योपैथिक दवाइयां नहीं कहा जा सकता।

(ख) और (ग) औषध तकनीकी सलाहकार बोर्ड औषध और प्रसाधन नियम 1945 के अधीन इन मामले को जांच कर रहा है।

Impounding of Passports

8340. **Shri Hukmdeo Narain Yadav :** Will the Minister of External Affairs be pleased to State the names of the persons whose passports for going abroad were impounded after Janata Government came into power and the names of the persons, among those permitted to go abroad and the reasons for giving permission to them ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs †Shri (Samarendra Kundu) : Passports may be impounded under any of the grounds given in Section 10(3) of the Passports Act, 1967 ; these grounds include, among others, wrongful possession, suppression of material information, security of India, past conviction, existence of original proceedings or warrant of arrest or order of court prohibiting the departure from India. Orders impounding passports and permission to go abroad can be given by any Passport Issuing Authority either in India or abroad or the Central Government. Since a large number of authorities have to be contacted, the information is being collected and will be laid on the Table of the House.

केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अनुसार करौली के वक्तव्य का सच न पाया जाना संबंधी समाचार

8341. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**
चौधरी बलवीर सिंह :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 14 दिसम्बर, 1977 के इण्डियन एक्सप्रेस में 'कैरोलीज स्टेटमेंट नाट टू-सेज सी० बी० आई०' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर सरकार का ध्यान गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या राय है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी हां।

(ख) इस मामले में केन्द्रीय ब्यूरो की रिपोर्ट मिल गई है और अन्तिम निष्कर्ष पर पहुंचते हुए यह कहा गया है कि ऐसा लगता है कि वास्तव में 4-3-77 को किसी ने श्री जगजीवन राम की अस्पताल में भर्ती करने के मामले में डा० करौली पर प्रभाव डालने की कोशिश की थी। वैसे, डा० आर० के० करौली के कथन में बहुत सी विसंगतियां हैं और उनके द्वारा लगाए गए आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, इसलिए किसी व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करने का विचार नहीं है ।

रॉक फॉस्फेट की उपलब्धता

8342. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रॉक फॉस्फेट हमारे देश में उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो यह कहां-कहां उपलब्ध है; और

(ग) उर्वरक कारखानों को फॉस्फेटों के निर्माण के लिये इसकी कितनी मात्रा में जरूरत पड़ती है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) जी हां।

(ख) रॉक फॉस्फेट भंडारों के प्राप्ति-स्थलों की सूची संलग्न अनुबन्ध 'क' में दी गई है ।

(ग) देश में 1978-79 के दौरान लगभग 17.00 लाख टन रॉक फॉस्फेट की जरूरत होने का अनुमान है ।

विवरण

राक फास्फेट भंडारों के प्राप्ति स्थल

राज्य	**जिला और स्थान**
राजस्थान	**उदयपुर**
	मटून
	कनपुर
	करबारिया-का-गुढ़ा
	ढकन-कोटरा
	सीसरमा
	नीमच माटा
	बड़गांव
	झामर कोटरा
	जैसलमेर
	बिरमानिया
उत्तर प्रदेश	**देहरादून और टिहरी गढ़वाल**
	मालदेवटा
	दुरमाला
	मसराना
	पारीटिबा चयसरी
	झालीखाल
मध्य प्रदेश	**झाबुआ**
	केलकुआ
	खाटंबा
	छतरपुर
	सागर

एल्यूमीनियम युटेनसिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन से अनुरोध

8343. **डा० वसन्त कुमार पंडित :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एल्यूमीनियम यूटेनसिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने वित्त मंत्रालय से यह अनुरोध किया है कि मूल्य और आर्थिक सहायता का भार बर्तनों के ग्राहकों पर नहीं पड़ना चाहिए अपितु युक्तिसंगत ढंग से इसका बंटवारा होना चाहिए ; और

(ख) उपरोक्त मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) जी हां।

(ख) एल्युमिनियम उद्योग के वर्तमान लागत ढांचे का औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो अध्ययन कर रहा है। अध्ययन पूरा हो जाने पर अल्यूमिनियम विषयक मूल्य नीति पर पुनः विचार किया जाएगा।

छोटे और बड़े कारखानों का बन्द होना

8344. **श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में अब तक बड़े, मध्यम तथा छोटे पैमाने के बन्द हुए कारखानों की संख्या कितनी है ;

(ख) इन कारखानों के बन्द हो जाने से बेरोजगार हुए श्रमिकों की राज्यवार संख्या कितनी है ;

(ग) इन कारखानों के बन्द होने के क्या कारण हैं ;

(घ) बन्द हुए कारखानों की तथा उनमें नियुक्त श्रमिकों की संख्या की राज्यवार सूची क्या है ; श्रौर

(ङ) इन कारखानों को पुनः चालू करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) से (ङ) अपेक्षित सूचना राज्य सरकारों से एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने तक लोक सभा की मेज पर रख दी जाएगी।

चिकित्सा अधिकारियों का स्थायी किया जाना/पदोन्नति

8345. **डा० रामजी सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत लगभग 484 ऐसे सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी है, जिनको पिछले 10 अथवा 13 वर्षों से न तो स्थायी किया गया है अथवा न ही उन्हें पदोन्नति दी गई है ;

(ख) क्या पांच वर्ष की सेवा के पश्चात् विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक करने की नियमों में व्यवस्था है ; और

(ग) क्या विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आगे के लिये बढ़ा दी गई थी और यदि हां, तो कितनी बार और इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा 1-1-1965 को गठित की गई थी और इसे सितम्बर, 1966 में पुनर्गठित किया गया था। सेवा के पुनर्गठन के बाद, जी०डी०ओ०ग्रेड II से जी०डी०ओ० ग्रेड I में पदोन्नति के लिए प्रथम विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक मार्च, 1971 में हुई थी और विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश के आधार पर, जी०डी०ओ० ग्रेड I के कुछ अधिकारियों को मई, 1971 में और बाद में सितम्बर, 1972 में जी०डी०ओ० ग्रेड I में पदोन्नत किया गया था। तत्पश्चात् विभागीय पदोन्नति समिति की कोई बैठक नहीं हुई। इसका कारण यह है कि इसी बीच केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना से संबन्धित वेतन आयोग की सिफारिश प्राप्त हुई थी। तीसरे वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार, वर्तमान सामान्य ड्यूटी अधिकारियों को 1-1-73 से या तो वरिष्ठ श्रेणी 1 वेतनमान (रुपये 1100-1600) में या कनिष्ठ श्रेणी I वेतनमान (रुपये 700–1300) में रखा गया था। जिन जी०डी०ओ० ग्रेड I अधिकारियों ने पांच वर्ष की सेवा नहीं की थी उन्हे भी 1-6-73 अथवा 1-10-74 से वरिष्ठ श्रेणी I वेतनमान दे दिया गया था। वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार, जिस व्यक्ति ने कनिष्ठ श्रेणी I वेतनमान में पांच वर्ष की सेवा की हो वह भी वरिष्ठ श्रेणी I में रखे जाने का पात्र है, बशर्ते कि वरिष्ठ श्रेणी I के वेतनमान के पद उपलब्ध हों। जो व्यक्ति 1-1-73 से कनिष्ठ श्रेणी I वेतनमान में नियुक्त हुए थे, वे केवल 1-1-78 से वरिष्ठ श्रेणी I वेतनमान में श्रेणी I की नियुक्ति के पात्र थे। इस प्रयोजन के लिए दिसम्बर, 1977 के अंतिम सप्ताह में बैठक बुलाने का विचार था। किन्तु, यह बैठक नहीं बुलाई जा सकी। इसका कारण यह था कि सब पात्र अधिकारियों की 1977 की चरित्र पंजिकाएं उपलब्ध नहीं थीं। सामान्यतया, पिछले वर्ष की चरित्र-पंजिकाएं अगले वर्ष के 31 मार्च तक उपलब्ध हो जाती हैं। विभागीय पदोन्नति की बैठक हुई थी, जिसमें उन अधिकारियों के मामलों पर विचार किया

गया जिनकी आज तक की चरित्र-पंजिकाएं उपलब्ध थी। जितनी जल्दी संबन्धित अधिकारियों की 1977 की गोपनीय रिपोर्टें मिल जाएगी, उतनी जल्दी ही विभागीय पदोन्नति समिति की कुछ और बैठकें बुलाने का विचार है। केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अधिकारियों के संबन्ध में, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को सहभागी यूनिटों में कार्यरत अधिसंख्य अधिकारियों की गोपनीय रिपोर्टें प्राप्त करनी होंगी। इन सब यूनिटों को उनके नियंत्रण में कार्यरत अधिकारियों की गोपनीय रिपोर्टें शीघ्र भेजने के लिए स्मरण कराया जा रहा है।

नियमों के अंतर्गत ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि सरकारी सेवा में प्रवेश के 5 वर्ष बाद विभागीय पदोन्नति की बैठक बुलाई जानी चाहिए। अधिकारियों के स्थायी बनाने के बारे में, यह कहा गया है कि सुपरटाइम ग्रेड I, स्पेशलिस्ट ग्रेड I, सुपरटाइम ग्रैड II और स्पेशलिस्ट ग्रेड II की सब उपलब्ध स्थायी रिक्त पद इस मंत्रालय की विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा पहले ही भरे जा चुके हैं। जहां तक ग्रेड I और ग्रेड II के सामान्य ड्यूटी अधिकारियों को स्थायी बनाने का संबन्ध है, उन अधिकारियों को पहले ही स्थायी किया जा चुका है, जो इस सेवा के गठन के शुरू में नियुक्त किए गए थे। सभी सहभागी संगठनों के अनुरक्षण की अवस्था में स्थायी रिक्तियों की उपलब्धता की स्थिति की समीक्षा की जा रही है तथा समीक्षा के परिणामस्वरूप और अधिक अधिकारियों के स्थायी किए जाने की आशा है।

अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के कर्मचारी

8346. **श्री आर० एन० राकेश : क्या संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1977 के बाद प्रत्येक श्रेणी में कुल कितने पद भरे गये और उनमें अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लोगों की संख्या कितनी है तथा प्रत्यक श्रणी में कितने पद अनारक्षित किय गए तथा किन कारणों से और

(ख) प्रत्यक श्रेणी के पदों में कुल कितनी विभागीय पदोन्नतियां की गई पदों का दर्जा बढ़ाया गया और उनमें से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों को कितने-कितने पद मिले?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय) : (क) और (ख) जानकारी इकट्ठी की जा रही है, जिसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

ब्रिटेन द्वारा आप्रवास पर प्रतिबन्ध

8347. **श्री हरि विष्णु कामत : क्या विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान इस आशय की प्रस रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है कि ब्रिटन की संसदीय समिति ने अपनी सरकार से यह अनुरोध किया है कि आप्रवास पर कठोर प्रतिबन्ध लगाय जायें;

(ख) क्या ब्रिटेन सरकार ने उस समिति की रिफारिशों को स्वीकार कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है तथा ब्रिटेन में भविष्य में भारतीय आप्रवासियों पर तथा उस देश में इस समय रह रहे भारतीय राष्ट्रिकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डु) : (क) जी हां। ब्रिटिश संसद के दो प्रमुख दलों के दस सदस्यों की प्रवर समिति ने जातीय संबन्धों और आप्रवासन पर रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

(ख) ब्रिटिश सरकार ने अभी तक इस रिपोर्ट पर अपना निर्णय नहीं दिया है। लेकिन 6-4-78 को ब्रिटेन के गृह मंत्री श्री मेरलीन रीज़ ने ब्रिटिश हाउस आफ कामन्स में एक वक्तव्य दिया जिसमें उन्होंने कठोरतर आप्रवासन नियंत्रण के लिए प्रवर समिति की कई प्रमुख सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

धर्मार्थ संस्थाओं को उद्योग के रूप में घोषित करना

8348 **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उच्चतम न्यायालय द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रयोजन से हाल ही में 'उद्योग' की परिभाषा संबन्धी निर्णय के आशय का अध्ययन किया है ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उक्त परिभाषा के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को नियुक्त करने वाली धर्मार्थ संस्थाएं भी आती हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) (ख) (ग) औद्योगिक संबन्ध विधेयक के समग्र संदर्भ में पूरे मामले की जांच की जा रही है ।

American Arm supply to Pakistan

*8349 **Shri Ugrasen** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether United States of America has decided to supply 100-A-7 fighter planes to Pakistan and if so, reaction of Government of India thereto ;

(b) whether he is aware that United States of America has also agreed to supply nuclear processing plant to Pakistan ; and

(c) if so, Government's reaction thereto ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Samarendra Kundu) : (a) The Government is not aware of any such decision.

(b) No, Sir.

(c) Does not arisei

Manuals and forms in Hindi

8350. **Shri Nawab Singh Chauhan** : Will the Minister of **Parliamentary Affairs** and **Labour** be pleased to state :

(a) the total number of manuals and forms in use in his Ministry/Department ;

(b) the number out of them translated into Hindi and of those printed in bilingual form ;

(c) the reasons for not translating of printing in bilingual form the rest of them ; and

(d) by when they are likely to be prepared in bilingual form ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Labour (Shri Ravindra Verma) : (a) The main Ministry has not brought out any manual. It has, however, devised 13 forms.

(b) to (d) Of the 13 forms, 3 have been translated into Hindi and efforts are being made to have the remaining 10 forms printed in bilingual form within two or three months.

विदेश मंत्रालय में द्विभाषियों (इन्टरप्रेटर) की नियुक्ति

8351. **श्री यादवेन्द्र दत्त** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वह अपने मंत्रालय में द्विभाषियों का ऐसा पूर्णकालिक पद बनाने की योजना बना रहे हैं जिनका व्यय आदि भारत सरकार द्वारा वहन किया जायगा तथा भारत सरकार के अधीन रहेगें ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मोटी रूप रेखा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार सैनिक अधिकारियों को विदेशी भाषायें सीखने को प्रोत्साहित दिया जाने तथा दक्षता प्राप्त करने के पश्चात् उनकी सेवाओं को विदेश मंत्रालय द्विभाषियों के पदों पर अन्तरित कर दिया जायेगा ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डु) : (क) से (ख) विदेश मंत्रालय में द्विभाषिया संवर्ग गठित करने की स्वीकृति दी जा चुकी है और संवर्ग के भर्ती नियमों को संघ लोग सेवा आयोग के परामर्श से अतिन्म रूप दिया जा रहा है। दुभाषिये के प्रस्तावित संवर्ग में ग्यारह दुभाषिये सुपर टाईम स्केल (2000-125/2-2500 रुपये), उन्नीस वरिष्ठ स्केल, (1200-2000 रुपये) और पांच कनिष्ठ स्केल (700-1300 रुपये) में होंगें।

(ग) इन पदों को संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करके सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने का प्रस्ताव है।

तारांकित प्रश्न पर व्यय

8352. **श्री निर्मलचन्द्र जैन** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक तारांकित प्रश्न पर जिसका संसद में उत्तर दिया जाता है, न कि वह जो समयाभाव के कारण नहीं आ पाते, औसतन कितनी धनराशि खर्च की जाती है, और

(ख) सूचना एकत्र करने पर कितनी धनराशि खर्च की जातीं है और पूरक प्रश्नों सहित उसके उत्तर पर कितनी धनराशि खर्च की जाती है ?

संसदीय कार्य और श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) एक संसदीय प्रश्न पर हुए खर्च को आंकने के लिए कोई मानक आधार नहीं है। यह मुख्यतः प्रश्न के प्रकार, एकत्र की जाने वाली सूचना, आदि पर निर्भर करेगा। अतएव प्रत्येक मामले में लगी जनशक्ति और लगा समय भिन्न हो सकता है तथा इन कारणों पर निर्भर करता है। तथा कोई कर्मचारी-वर्ग केवल संसद प्रश्नों के उत्तर देने के लिये नियुक्त नहीं किया जाता है और मंत्रालयों के कर्मचारी वर्ग को औरकुछ मामलों में राज्य सरकारों या सरकारी क्षेत्र के संगठन, सरकारी उपक्रमों आदि के कर्मचारी वर्ग को इन प्रश्नों के लिये सूचना एकत्र करने का काम भी करना पड़ता है। अतएव एक संसद प्रश्न के उत्तर देने में खर्च की जाने वाली धनराशि का बताया जाना अन्यन्त कठिन है।

Telephone Stores

8353. **Shri R.L. Kureel :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state the names of the places, State-wise where there are telephone material stores indicating the quantity thereof and the number of godowns ?

The Minister of State in the Ministry of Communications (Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai) : The particulars asked for are furnished below :

Sl. No.	Name of State	Place where the Deport is located	Value of stores held (in Rs. lakhs in Feb. 78)	Depot feeds to
1	2	3	4	5
1.	Andhra	Secunderabad	92	Andhra Circle and Hyderabad District.
2.	Bihar	Patna	85	Bihar Circle and Patna Distt.

1	2	3	4	5
3.	Gujarat	Ahmedabad	100	Gujarat Circle, Ahmedabad, Surat & Baroda Distts.
4.	Karnataka	Bangalore	34 51(Branch)	Karnataka Circle & Bangalore District.
5.	Kerala	Ernakulam	109	Ernakulam Distt. & Kerala Circle.
6.	M.P.	Jabalpur	CTS Tabalpur } 207(Main) 081(Retail)	M.P. Circle and Indore Distt. Mah.
7.	Maharashtra	Bombay	CTS Bombay } 237(Main) 139(Retail) 148(Distt.)	Maharashtra Circle & Poona District. Bombay Distts.
		Nagpur	88	Nagpur District,
8.	Assam	Gauhati	129	North East Telecom. Circle.
9.	Delhi.	New Delhi	CTS Delhi } 71(Main) 86(Retail) 337(Distt.)	North West Telecom. Circle Chandigarh & Ludhiana Distt. Delhi Tele Distt.
10.	Orissa	Cuttack	53	Orissa Circle
11.	J & K	Jammu	113	J & K Circle
12.	Tamil Nadu	Madras	88(Main) 83(Retail) 141(Distt.)	Tamil Nadu Circle & Coimbatore District. Madras Tele Distt.
13.	U.P.	Lucknow	128	U.P. Circle, Kanpur & Lucknow Distt.
			711(Main)	West Bengal Circle.
14.	West Bengal	Calcutta	CTS Calcutta } 019(Retail) 335(Distt)	Calcutta Tele. Distt.
		Siliguri	036(Distt)	Northern Part. Distt. West Bengal.
15.	Rajasthan	Jaipur	163	Rajasthan Circle and Jaipur District.
			Rs. 3874 lakhs	

The above depots maintain stocks of the following:—

(i) Lines and Wires and Cables.

(ii) Carrier Equipments.

(iii) PBX Boards.

(iv) Teleprinters and accessories.

(v) Tents and Tools.

(vi) Consumable spares for above equipments.

The quantity of the stores depend upon the receipts and issue from time to time.

It may, however, be mentioned here that subject to availability of material from sources of supply sufficient, stocks to meet the annual requirement of Indentors are maintained by these depots.

तमिलनाडु में दिमागी बुखार

8354. **श्री एम० अरुणाचलम : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि तमिलनाडु में तथा विशेषकर तिरुनेवेली जिले में दिमागी बुखार फैल गया है ;

(ख) क्या दिमागी बुखार के कारण हुई मौत के बारे में उनको कोई जानकारी मिली है, और

(ग) यदि हां, तो इस रोग का उन्मूलन करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव,) : (क) जी हां ।

(ख) तमिलनाडु में तिरुनेलवेली जिले में 71 मौतें होने की सूचना मिली है।

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में निम्नलिखित कदम उठाए हैं :—

1. विषाणु अनुसंधान केन्द्र, पुणे के विशेषज्ञों का एक दल निम्नलिखित जांच कर रहा है :—

(1) रोग लक्षण संबंधी अध्यय ।

(2) कीटविज्ञान संबंधी अध्ययन ।

(3) मानवों में सिरमी सर्वेक्षण ।

(4) पशुओं और पक्षियों में सीरमी सर्वेक्षण ।

2. जन स्वास्थ्य निदेशालय, तमिलनाडु से एक और दल को विषाणु अनुसंधान केन्द्र दल की सहायता के लिये भेजा गया है।

3. पांडिचेरी के वेस्टर नियंत्रण अनुसंधान केन्द्र दल ने भी मच्छरों के जैविक नियंत्रण के दीर्घकालीन अध्ययन के लिये आंकड़े और सामग्री एकत्र करने का कार्य पूरा कर लिया है।

4. तिरुनेलवेली जिले के जिला स्वास्थ्य अधिकारी संबंधित ब्लाक के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सा अधिकारी मेडिकल कालेज के एक बाल चिकित्सक भी इस दल की सहायता करेंगे।

Arbitration award for dismissed Employees of Hindalco, Renukoot, (U.P.)

8355. **Shri Bhanu Kumar Shastri** : Will the Minister of **Parliamentary Affairs and Labour** be pleased to refer to the reply given to Unstared Question No. 5248 on the 28th July, 1977 re : arbitration award for dismissed employees of Hindalco Renukoot, (U.P.) and state :

(a) whether the arbitrator has given his award and if so, the salient features thereof; and

(b) if not, the main reasons for delay and by when it is expected to give his award ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Labour (Shri Ravindra Verma) : (a) & (b) According to information obtained from the State Government, the Arbitrator has not given his Award so far. The Arbitrator, it is reported, had fixed March 16-18, 1978, as the dates for hearing and cross-examination of witnesses. But the workers' side sought an adjournment. The new dates fixed for the hearing/cross-examination of witnesses are May 16—18, 1978.

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना जयपुर और पुणे में लागू किया जाना

8356. **श्री के० लकप्पा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना जयपुर और पुणे में लागू करने की योजना को कब स्वीकृति प्रदान की थी;

(ख) क्या यह योजना इन नगरों में लागू की गई है; और यदि हां, तो किन तिथियों से, और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) 11 जुलाई, 1977;

(ख) और (ग) : जयपुर और पुणे में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना आरंभ करने संबंधी अपेक्षित औपचारिकताएं अर्थात् औषधालयों के लिये उपयुक्त स्थान का अर्जन करने, राज्य सरकारों के साथ अस्पताल में भर्ती कर इलाज/विशेष जांचों का प्रबन्ध करने, दवाइयों और अन्य सामान प्राप्ति करने तथा स्टाफ की भर्ती का कार्य लगभग पूरा होने वाला है । जैसे ही ये कार्य पूर हो जायेंगें, इन स्थानों पर यह योजना कार्य करना शुरू कर दगी ।

मलेरिया

8357. **श्री शंकर सिंह जी बांधला :** क्या **स्वास्थ्य और कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977 में कुल कितने व्यक्ति मलेरिया रोग से लोग ग्रस्त हुए थ ;

(ख) वर्ष 1977 में मलेरिया रोग से कुल कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई ;

(ग) 1977 में मलरिया उन्मूलन कार्यक्रम पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई तथा उस कार्यक्रम पर कितने व्यक्तियों को लगाया गया तथा 1977 में उन पर कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(घ) यदि पूर्णतः उन्मूलन करने के लिये नहीं तो मलेरिया को रोकने के लिये क्या अन्य प्रभावकारी उपाय करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) 45, 65, 517 (अनन्तिम) ।

(ख) 62, जिनमें से अब तक केवल 16 मृत्युएं मलरिया से हुई साबित हुई हैं ।

(ग) भारत सरकार ने 1977-78 में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम पर अनुमानतः कुल 58 करोड़ रुपये खर्च किए थे । राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम में लगे व्यक्तियों की कुल सं० और उन पर 1977-78 में हुए खर्च से सम्बन्धित सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है । तथापि, इस कार्यक्रम पर जो कुल परिचालन खर्च हुआ, वह लगभग 21 करोड़ रुपए था ।

(घ) यद्यपि, इस रोग को जड़ से खत्म कर देना तकनीकी दृष्टि से संभव नहीं है, फिर भी सरकार ने इस रोग की रोकथाम के लिय एक अप्रैल, 1977 से एक संशोधित कार्ययोजना आरम्भ की है । इसके मुख्य उद्दश्य हैं :—

(1) मृत्यु की रोकथाम और बुखार की अवधि को कम करना ;

(2) मलेरिया से ग्रस्त क्षत्रों में मलेरिया की रोकथाम और मलेरिया रोधी उपाय करके औद्योगिक और कृषि उत्पादन को बनाए रखना ;

(3) अब तक प्राप्त उपलब्धियों को समेकित करना ;

इस संशोधित कार्य योजना की मुख्य-मुख्य बातें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

संबंधित कार्य योजना की मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हैं :—

1. राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की वर्तमान यूनिट का जिले की भौगोलिक सीमा के अनुरूप पुनर्गठन किया गया है। पहले जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को इस कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया था लेकिन इन यूनिटों का पुर्नगठन हो जाने के कारण उन्हें जिले में इस कार्यक्रम के लिय मुख्य रूप से जिम्मेदार बनाया गया है।

2. राज्यों को विभिन्न कीटनाशी दवाइयां, डी०टी०टी०, बी०एच०सी०, मेलथिआन 'की अधिक माला सप्लाई की गई है। की जा रही है। जहां पर रोग वाहकों पर डी०डी०टी०/बी०एच०सी० का कोई असर नहीं होत। उन यूनिटों/जिलों को वैकल्पिक कीटनाशक दवाइयां भी उपलब्ध की जा रही हैं।

3. उन सभी ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां प्रतिहजार जनसंख्या के पिछे दो या इससे अधिक रोगी हैं, कीटनाशी दवाइयों का छिड़काव किया गया है।

4. राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों को मलेरिया रोधी दवाइयां पर्याप्त माला में सप्लाई की गई हैं/की जा रही हैं। औषधियां आसानी से उपलब्ध कराने के लिये 1.13 लाख से भी अधिक औषधि वितरण केन्द्रों/ज्वर उपचार केन्द्रों की स्थापना कर दी गई है। जिन क्षेत्रों में परिजीवियों पर क्लोरोक्विन का कोई असर नहीं हुआ वहां पर कुनीन जैसी वैकल्पिक मलेरिया रोधी दवाई सप्लाई की गई है।

5. नगरीय मलेरिया कार्यक्रम के अन्तर्गत लार्वा रोधी कार्यों को तेज कर दिया गया है। 1977 में इस योजना को वर्तमान 28 शहरों के अलावा 38 और शहरों में लागू कर दिया गया है।

6. क्षेत्रीय स्टाफ के निगरानी कार्य को तेज कर दिया गया है।

7. मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के क्षेत्र में सैद्धांतिक और व्यावहारिक अनुसंधान करने के लिये कदम उठाये गये हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् के तत्वाधान में 14 अनुसंधान योजनाएं अर्थात् 8 आपरेशन अनुसंधान के लिये और 6 मलेरिया के प्रयोगशाला अनुसंधान के लिये आरम्भ की गई है।

8. ब्लड स्मीयरों का तत्काल परीक्षण तथा सक्रिय रोगियों पर तत्काल इलाज करने के लिये प्रयोगशाला सेवाओं को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर तक विकेन्द्रीकृत कर दिया गया है।

9. प्लासमीडियम फल्सीफेरम के संक्रमण को, जिसके कारण मस्तिष्कीय मलेरिया हो जाने से मौतें हो जाती हैं फैलने से रोकने के लिये विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता से देश के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के राज्यों में सघन कार्यक्रम आरम्भ किए गए हैं।

10. रोग के बारे में स्वास्थ्य शिक्षा देने के लिये और इसके नियंत्रण के लिये जनता का सहयोग प्राप्त करने के लिये निम्नलिखित कदम उठाये गए हैं:—

(1) क्लोरोक्विन की गोलियों के वितरण के लिए पंचायतों और स्कूल अध्यापकों को शामिल किया गया है।

(2) दूर दराज वाले पिछड़े क्षेत्रों में दवाइयों के डिपुओं को खोल दिया गया है। कुछ राज्य में यह कार्य जनजाति कल्याण विभाग के सहयोग से किया गया है।

(3) "दि हंट" नामक एक फिल्म जो हाल ही में तैयार की गई थी, उसे चौदह क्षेत्रीय भाषाओं में सारे देश में दिखाया जा रहा है।

(4) इस आशय के पोस्टर "बुखार–मलेरिया हो सकता है, क्लोरोक्विन गोलिया लीजिए" पंचायत-घरों, स्कूलों, प्राइमरी हैल्थ सैंटरों और सब सैंटरों में प्रदर्शित करने हेतु राज्य सरकारों को सप्लाई किए गए हैं।

(5) क्षेत्रीय भाषाओं में "मलेरिया में क्या क्या करना चाहिए" नामक एक पैम्फलेट भी तैयार किया गया है, जिसमें मलेरिया के लक्षणों, क्लोरोक्विन की मात्रा आदि का उल्लेख और उसे पंचायतों, स्कूलों के अध्यापकों, और अन्य स्वैच्छिक एजेंसियों में वितरित करने के लिए राज्यों को सप्लाई किया गया है।

(6) पंचायतों के अध्यक्षों और मंत्रियों को मलेरिया के बारे में विषय परिचायक प्रशिक्षण देने का भी विचार है ।

(7) चिकित्सा व्यावसायिकों के क्या क्या कार्य होने चाहिये, इसके बारे में भी फोल्डर तैयार करके राज्यों को सप्लाई किए गए हैं ताकि वे उन्हें चिकित्सा व्यावसायिकों में बांट दें। इसी प्रकार एक और पैम्फलेट "मलेरिया फिर क्यों ?" भी तैयार किया गया और उसे उप-आयुक्तों, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और खण्ड विकास अधिकारियों में बांटने के लिये राज्यों को सप्लाई कर दिया गया है ताकि उपर्युक्त अधिकारियों को मलेरिया संबंधी मौजूदा समस्याओं और प्रस्तावित कार्यवाही करने के बारे में जानकारी दिलाई जा सके।

(8) मलेरिया रोधी संदेश का प्रचार करने के लिये डाक और तार विभाग द्वारा 1977 में विशेष पोस्टल स्टेशनरी रिलीज की गई है।

Mineral Survey in Chhatarpur, M.P.

8358. **Shri Sukhendra Singh:** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to State:

(a) the names of the places in Chhatarpur in Madhya Pradesh where mineral survey is being conducted by Government ; and

(b) the details of the results obtained so far ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Karia Munda) : (a) Geological Survey of India is conducting investigations for basemetal mineralization around Pungawan, Salaiya, Silon and Jhamtoli in Chhatarpur district and for phosphorite in Hirapur-Mardeora area in parts of Chhatarpur and Sagar districts.

(b) Drilling carried out in Salaiya area has intersected a few thin zones of sulphide mineralization. The results so far available are not significant. Investigations for phosphorite in Hirapur-Mardeora area have indicated reserves of about 1.4 million tonnes with 17 to 33% phospherous pentoxide,

Research on Termination of Pregnancy by C.C. for Research in I.M. and Homoeopathy

8359. **Shri Chaturbhu :** Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state :

(a) whether Central Council for Research in Indian Medicine and Homoeopathy in the Ministry is conducting research in regard to termination of pregnancy and if so, the media of research of the said Council and whether the research is based on the facts mentioned in Ayurvedic books ;

(b) whether any success has so far been achieved by the Council and if so, the efforts made by Government to carry the benefits of this research to the people ; and

(c) the expenditure incurred on the research conducted so far and whether, as compared to Allopathy this expenditure and the success achieved in this regard is less or more?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Welfare : (Shri Jagdambi Prasad Yadav) : (a) The Central Council for Research in Indian Medicine and Homoeopathy have undertaken research to evolve an ideal and acceptable contraceptive agent, and not in the field of termination of pregnancy.

(b) & (c) Does not arise.

डाक तथा तार विभाग में लेखा परीक्षा और लेखा का पृथक् किया जाना

8360. **श्री सूरज भान** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच नहीं है कि इस समय डाक तथा तार निदेशालय में तीन भिन्न भिन्न विभाग (एम्पायर) यथा, इंजीनियरिंग, डाक तथा लेखा, कार्य कर रहे हैं, कभी कभी दुतरफा प्रयोजनों के लिये कार्य कर रहे हैं परन्तु उच्च श्रेणियों में अधिक पदों के लिये मंजूरी प्राप्त करके अपने अपने विभागों विस्तार करने में व्यस्त हैं जिसके परिणामस्वरूप लेखा विभाग में ऐसे पद विषम अनुपात में बढ़ गए हैं, जो विभाग इन बढ़ते हुए विभागों से बना हुआ है; और

(ख) क्या सरकार यह अध्ययन करने के लिये प्रशासनिक सुधार आयोग अथवा किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से स्वतंत्र जांच करेंगी कि क्या डाक शाखा में लेखा को लेखा-परीक्षक से पृथक करना वांछित उद्देश्य के अनुरूप रहा है और क्या इसकी प्राप्ति कर ली गई है और किस कीमत पर ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (नरहरि प्रसाद सुखदेव साय) :(क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं। इस तरह की जांच कराने की आवश्यकता नहीं समझी गई है।

पश्चिम एशिया के देशों के साथ आर्थिक सहयोग

8361 **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और पश्चिम एशिया के देश आपस में आर्थिक सहयोग करने के एक सघन कार्यक्रम को शुरू करने के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डु) : (क) जी हां,

(ख) भारत और पश्चिमी एशिया के देशों के बीच विद्यमान पुराने आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को हाल के वर्षों में बहुत महत्वपूर्ण स्थान मिला है। तेल की कीमत बहुत बढ़ जाने की वजह से इन देशों ने आर्थिक विकास के विशाल कार्यक्रम बनाए और चूंकि भारत को कीमत और किस्म दोनों ही दृष्टियों से अपेक्षाकृत सस्ती दरों पर सेवा और सामान मुहैया करने का अवसर मिला, इसलिये हमारे निर्यात में प्रभावशाली अभिवृद्धि हुई है जो 1973-74 में 177.98 करोड़ रुपये के मूल्य से बढ़कर 1976-77 में 703.88 करोड़ रुपये के मूल्य तक पहुंच गई ।

इसके अतिरिक्त भारत के इंजीनियरी, औद्योगिक निर्माण और परामर्श सेवा फर्मों को इन देशों में अधिकाधिक स्वीकार किया गया है और वे विभिन्न क्षेत्रों में अनुमानतः सोलह सौ करोड़ रुपये की संविदायें प्राप्त करने में सफल हुए हैं। हाल के वर्षों में भारत इस क्षेत्र के देशों को तकनीकी विशेषज्ञ तथा कुशल और अर्द्ध कुशल लोगों को भी भेज सका है। इन संबंधों को और मजबूत करने तथा इसके क्षेत्रों का विस्तार करने के उद्देश्य से उद्योग मंत्री तथा निर्माण आवास मंत्री के अतिरिक्त वाणिज्य एवं नागरिक

आपूर्ति राज्य मंत्री ने भी इस क्षेत्र के बहुत से देशों का दौरा किया है। इसके जबाब में सूडान, मिश्र ईराक, ईरान और यमन अरब गणराज्य, लीबिया तथा सीरिया से मंत्री और अधिकारी-स्तर के प्रतिनिधिमंडलों ने भारत की यात्रा की है। हाल ही में अर्थात् सितम्बर और नवम्बर 1977 में भारत-ईरान तथा भारत ईराक के संयुक्त आयोगों की भी लाभप्रद बैठकें हुई हैं।

Removing Defect of Telephone Line between Bhabhar and Ahmedabad

†8362. **Shri Motibhai R. Chaudhari:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether the telephone line between Bhabhar and Ahmedabad remains generally out of order and inspite of the fact that Government's attention has been drawn to it but the defect has not been removed so far; and

(b) whether immediate action will be taken in this regard for the convenience of the people ?

The Minister of State in the Ministry of Communications (Shri Narhari Prasad Sukhdeo sai) : (a) No, Sir. The performance of the telephone line has been satisfactory.

(b) The question does not arise.

धातुओं का मूल्य

8363. **श्री कचरुलाल हेमराज जैन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तराष्ट्रीय मंडी में धातुओं के मूल्य गिर गए हैं।

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि सरकारी उपक्रम हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड को अंतर्राष्ट्रीय मण्डी में धातुओं के मूल्य गिर जाने के कारण हानि उठानी पड़ेगी।

(ग) यदि हां, तो यह हानि कम करने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिये क्या प्रयास किए गए हैं कि यह उपक्रम अन्तर्राष्ट्रीय मण्डी की दरों पर सीसा तथा जस्ता तैयार करे ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) जी हां। 1977-78 में जस्ता और सीसे के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में घटने की प्रवृधि थी।

(ख) उपर्युक्त कारण से जस्ते के बिक्री मूल्य में कमी के फलस्वरूप 1977-78 के दौरान हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के लाभ में काफी कमी हुई ।

(ग) अपने लाभ पर उक्त प्रभाव को कम करने के लिये हिन्दुस्तान जिंक लि० लागत व्यय में कटौती के विभिन्न उपायों की तत्परता से खोज कर रहा है।

(घ) कम अयस्क, ऊंची बिजली दरों, बढ़ते हुए शुल्कों और ब्याज दरों आदि जैसी बाधाओं के बावजूद, हिन्दुस्तान जिंक लि० द्वारा अपनी उत्पादन लागत को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं जो इस प्रकार हैं :—

(1) अपशिष्ट धातु के शोधन के लिये लीचिंग विधि अपनाकर जस्ता प्राप्ति में सुधार करना;

(2) नए सीसा संयंत्र में नवीनतम प्रौद्योगिकी अपना कर सीसा धातु की प्राप्ति में वृद्धि करना;

(3) संयंत्र का अधिकतम उपयोग ;

(4) कीमती रसायन और मंहगे सामान के खपत मानकों पर निगरानी रखना;

(5) उत्पादन प्रक्रिया और उत्पादकता में सुधार हेतु प्रौद्योगिकी पर कारखाना-गत अनुसंधान और विकास।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का एक स्थापित करने के लिए मानदंड

8364. **श्री गणनाथ प्रधान :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी स्थान पर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का एकक स्थापित करने के लिये सरकार क्या मानदण्ड अपनाती है ;

(ख) क्या उडीसा की राजधानी भुवनेश्वर में इस प्रकार का एकक स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इसको किस तारीख तक स्थापित करने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जिन शहरों में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के परिवारों की संख्या 7500 या अधिक है, उन्हें केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत लाने के लिये विचार किया जा रहा है बशर्ते कि इस प्रयोजन के लिये पर्याप्त धन उपलब्ध किया जाए।

(ख) जी नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

मायोपिया (निकट दृष्टि) के इलाज के लिये सोवियत रूस के शल्य चिकित्सकों का सहयोग

8335. **श्री एस० एस० सोमानी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निकट दृष्टि अथवा मायोपिया, जिससे लाखों पुरुष, महिलायें और बच्चे प्रभावित होते हैं, आंख की मामूली शल्य क्रिया करने से ठीक हो सकती है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस संबंध में सोवियत शल्य चिकित्सक ने भारत को अपना सहयोग दिया है ;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में भारत सरकार द्वारा सोवियत रूस से मांगी गई सहायता का ब्यौरा क्या है और इससे भारतीय जनता को कितना लाभ हुआ है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) सोवियत संघ की नेत्र सर्जरी की प्रयोगात्मक और क्लीनीकी समस्याओं की मास्को वैज्ञानिक अनुसंधान प्रयोगशाला ने दावा किया है कि उसने निकटदृष्टिता या मायोपिया को ठीक करने की एक साल सरल सर्जरी खोज निकाली है। किन्तु भारत में ऐसे आपरेशनों के बारे में अभी प्रयोग किये जा रहे हैं।

(ख) और (ग) भारत सोविय विज्ञानक और तकनालॉजी सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत सोवियत नेत्र विशेषज्ञ के दो दल अप्रैल, 1977 और मार्च, 1978 में भारत में आए थे। इस दल ने सरोजिनी देवी नेत्र अस्पताल हैदराबाद में आपरेशन किए जिनमें निकट दृष्टिता को ठीक करने के आपरेशन भी शामिल थे और इसने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली और स्नाकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ में तकनीकों का प्रदर्शन किया और नेत्र विज्ञान पर लेक्चर भी दिए। सरोजनी

देवी नेत्र अस्पताल, हैदराबाद के नेत्र विज्ञान निदेशक के नेतृत्व में एक भारतीय दल नवम्बर/दिसम्बर, 1977 में सोवियत संघ गया और उसने एक संलेख (प्रोटोकल) पर हस्ताक्षर किए जिसमें निकटदृष्टिता को आपरेशन द्वारा ठीक करने के विषय को भी शामिल किया गया है जो दोनों के हित में है और इसके अनुसार सरोजिनी देवी नेत्र अस्तपाल हैदराबाद और नेत्र सर्जरी की प्रयोगात्मक और क्लीनिकी समस्याओं की मास्को वैज्ञानिक अनुसंधान प्रयोगशाला के बीच वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग हो सकता है। विज्ञान और तकनालोजी में सहयोग के इस भारत–सोवियत कार्यक्रम के अन्तर्गत भारतीय नेत्र-विज्ञानियों को नेत्र सर्जरी की तकनीकों का प्रशिक्षण प्राप्त करने और भविष्य में सोवियत विशेषज्ञों के भारत में आने की भी गुंजाइश है।

Ghegha Disease

8366. **Shri Vinayak Prasad Yadav :** Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in Saharsa District in Bihar and especially in Bakkiarpur, Salkhuja and other blocks, hundreds of persons have suddenly developed Ghegha disease (swelling of neck) and it is assuming an epidemic form day by day;

(b) whether it is also a fact that the people have informed the senior-local doctor in this regard but no arrangements for medical treatment are being made by the State Government; and

(c) if answers to parts (a) and (b) above be in the affirmative whether Central Government will send a team of doctors for investigation ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Welfare (Shri Jagdamb Prasad Yadav) : (a) to (c) Required information is being collected from the State Govt. and will be laid on the Table of the Sabha as soon as available.

विदेशों में संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों में काम कर रहे भारतीय

8367. **श्री लखन लाल कपूर :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि कितने भारतीय नागरिक विदेशों में संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न एजेंसियों, सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में या विदेशी सरकारों के अधीन काम कर रहे हैं।

(ख) संयुक्त राष्ट्र के संगठनों और उसकी सहायक संस्थाओं में अन्डर सेक्रेटरी और असिस्टैंट सेक्रेटरी जनरल के पद पर उन्हें प्रति वर्ष औसतन कितना वेतन और अन्य परिलब्धियां मिलती हैं ;

(ग) क्या उनकी इस आय पर आयकर लगता है यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का संयुक्त राष्ट्र संघ में या उससे संबंधित एजेंसियों में काम कर रहे भारतीय नागरिकों के वेतन और परिलब्धियों पर आयकर लगाने का विचार है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र कुण्डू) : (क) अद्यतन प्रकाशित सूचना के अनुसार 1975 में संयुक्त राष्ट्र और उसके विभिन्न अभिकरणों में 816 भारतीय कार्यरत थे। विदेशों के निजी और सार्वजनिक संगठनों तथा सरकारों द्वारा भारतीय नागरिकों के नियोजन के संबंध में हमें जानकारी नहीं है।

(ख) संयुक्त राष्ट्र में नियोजित अन्डर सेक्रेटरी जनरल का संकल वार्षिक वेतन 76,030 अमरीकी डालर और असिस्टैंट सेक्रेटरी जनरल का संकल वार्षिक वेतन 67,430 अमरीकी डालर है।

(ग) तथा (घ) तथ्य एकत्र किए जा रहे हैं।

कम्प्यूटरों/इन्वेस्टीगेटरों की नियुक्ति

8368. **श्री मोहन सिंह तुर :**
श्री बसन्त साठे :

क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भर्ती और पदोन्नति के नियमों तथा उनमें किये गये संशोधनों के अनुसार, श्रम मंत्रालय और श्रम ब्यूरो, शिमला में कम्प्यटरों और इन्वेस्टीगटरों की वरीयता सूचियां प्रत्येक वर्ष नियमित रूप से कोटावार जारी की गई है; और

(ख) क्या डी०जी०ई०टी० के क्लर्कों और कर्मचारियों को मंत्रालय और श्रम ब्यूरो, शिमला में कम्प्यूटरों/इन्वेस्टीगेटरों के पदों पर नियुक्त किया गया है जिससे इस संगठनों में कार्य कर रहे ऐसे कम्प्यूटरों और इन्वेस्टीगेटरों का अहित हुआ है जिनके पदोन्नति के अवसर केवल उन्हीं के लाईन में है और यदि हां, तो इस असंतुलन को दूर करने के लिये यदि कोई कार्यवाही करने का विचार है तो उसका ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) **कम्प्यूटर्स :** श्रम ब्यूरो के कम्प्यूटरों के बारे में इस प्रयोजन के लिये निर्धारित कोटे के अनुसार वरीयता सूची जारी कर दी गई है। जहां तक श्रम मंत्रालय के कम्प्यटरों का सम्बन्ध है, उनकी वरीयता को अंतिम रूप देने के मामले पर विचार शुरू कर दिया गया हैं।

इन्वेस्टीगेटर्स ग्रेड-2 : चूंकि ग्रेड-दो के कुछ इन्वेस्टीगेटरों ने हिमाचल प्रदेश न्यायालय में रिट याचिका दायर कर रखी है, इसलिये श्रम ब्यूरो के ग्रेड-दो इन्वेस्टीगेटरों के सम्बन्ध में वरीयता सूची को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। जहां तक श्रम मंत्रालय के ग्रेड-दो के इन्वेस्टीगेटरों का सम्बन्ध है उनकी वरीयता सूची के कुछ समय पूर्व अंतिम रूप दिया गया था और अब उसे अद्यतन किया जा रहा है।

(ख) भर्ती नियमों के अधीन उच्च श्रेणी लिपिक/आशुलिपिक ग्रेड-तीन/अवर श्रेणी लिपिक कम्प्यूटरों/ग्रेड-दो इन्वेस्टीगेटरों के रूप में नियुक्त किए जाने के पात्र हैं। उन नियमों के अधीन कम्प्यूटर भी ग्रेड-दो इन्वेस्टीगेटरों के रूप में पदोन्नति पाने के पात्र हैं। इसे दृष्टि में रखते हुए इस मंत्रालय और श्रम ब्यूरो में कम्प्यूटरों/इन्वेस्टीगेटरों के सेवा सम्बन्धी हितों को कोई खतरा नहीं है।

Medical facilities to P. & T. Employees working in Rural Areas

8369. **Shri Daya Ram Shakya : Will the Minister of Communications** be pleased to state :

(a) the arrangements made for providing medical facility to employees of Posts and Telegraphs Department working in rural areas and how expenditure incurred on medical treatment given to them and their children is reimbursed; and

(b) the amount reimbursed to the employees of Posts and Telegraphs Department working in rural areas in Uttar Pradesh on account of medical bills during the last two years ?

The Minister of State in the Ministry of Communications (Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai) : (a) The Central Services (Medical Attendance) Rules, 1944 provide for medical attendance and treatment of employees, both in the urban and rural areas, by Authorised Medical Attendants and medical expenses incurred by the employees are reimbursed to the extent

laid down in those rules. In rural areas where no Central or State Government doctor is available private Registered Medical Practitioners are appointed as Authorised Medical Attendants. The rules also provide for reimbursement upto prescribed limits of medical expenses in cases where treatment is obtained from private practitioners or unrecognised hospitals in the absence of Government/recognised hospital or doctor within a reasonable distance in emergencies.

(b) Separate figures of the expenditure incurred on re-imbursement of medical expenses to the P&T employees in the rural areas of the U.P. Circle are not maintained. However, the total expenditure incurred in this regard during the two years 1975-76 and 1976-77 both in rural and urban areas of U.P. Circle is Rs. 30.91 lakhs and Rs. 23.22 lakhs respectively.

गुजरात में सार्वजनिक टेलोफोन केन्द्र

8370. **श्री हितेन्द्र देसाई** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) गुजरात के कितने गावों में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र की सुविधाएं हैं; और

(ख) इन सुविधाओं को सुधारने के लिये आगामी पांच वर्षों में सरकार का लक्ष्य क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहर प्रसाद सुखदेव साय) : (क) गुजरात में तारीख 1-4-1978 को 786 गांवों में टेलीफोन सुविधायें उपलब्ध थीं।

(ख) ऐसा प्रस्ताव है कि अगले पांच वर्षों में गुजरात राज्य के 500 और गांवों में टेलीफोन सुविधायें दे दी जायें।

सातवां एशियाई तथा प्रशान्त श्रम मंत्री सम्मेलन

8371. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** : क्या संसदीय कार्य तथा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने भी सातवें एशियाई तथा प्रशान्त मंत्री सम्मेलन में भाग लिया था

(ख) यदि हां, तो क्या भारत ने उक्त सम्मेलन में कुछ प्रस्ताव दिये थे ;

(ग) सम्मेलन में क्या निर्णय लिये गये ; और

(घ) सम्मेलन में किन-किन विषयों पर चर्चा की गई ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) वे दो विषय जिन पर इस सम्मेलन में विचार-विमर्श किया गया, ये थे :— (i) सक्रिय रोजगार नीति और (ii) क्षेत्रीय तकनीकी सहयोग। सम्मेलन की समाप्ति पर एक विज्ञप्ति जारी की गई जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ इन दो विषयों के बारे में लिए गये निर्णयों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया। इस विज्ञप्ति से लिये गये संबंधित उद्धरण संलग्न हैं।

विवरण

एशियाई और पैसिफिक श्रम मंत्रियों के सातवें सम्मेलन की विज्ञप्ति से लिए गए उद्धरण

8. सक्रिय रोजगार नीति संबंधी पैनल द्वारा अनेक विशिष्ट लक्ष्यों और सिफारिशों पर विचार किया गया। सम्मेलन ने —

(1) सक्रिय रोजगार नीति के व्यापक सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों को स्वीकार किया। तथापि, सम्मेलन ने यह स्वीकार किया कि ऐसी नीति के लक्ष्य और प्रवर्तन पर बल अलग अलग देशों की दशाओं के अनुसार भिन्न-भिन्न होगा।

(2) राष्ट्रीय आर्थिक और विकास नीतियों को तैयार करने में श्रम मंत्रालयों द्वारा सक्रिय रूप से भाग लेने की आवश्यकता पर बल दिया।

(3) सक्रिय रोजगार नीति की योजना तथा कार्यान्वियन में एक अनिवार्य तथ्य के रूप में त्रिपक्षी सिद्धांत के महत्व को स्वीकार किया।

(4) राष्ट्रीय शिक्षा प्रणालियों के लाभ से वंचित रखे जाने वाले व्यक्तियों के लिये विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था करने पर शीघ्र ध्यान देने के लिये अनुरोध किया गया।

(5) यह स्वीकार किया कि सक्रिय रोजगार नीतियों को सफलतापूर्वक लागू करने के लिये (विशेषकर छोटे देशों में) यह बात महत्वपूर्ण है कि इस क्षेत्र के देशों की उत्पादित वस्तुएं अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में और अधिक आसानी से पहुंच सके।

(6) स्वीकार किया कि श्रमिकों का प्रवसन रोजगार नीतियों का एक महत्वपूर्ण तत्व है।

(7) काम-काज के वातावरण के संबंध में, सदस्य देशों के अनुभवों को सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के क्षेत्रों में नोट किया गया? सम्मेलन ने यह स्वीकार किया कि अधिक अच्छा प्रबन्ध। कर्मचारी संपर्क और अधिक कार्य संतुष्टि, रोजगार सुरक्षा और अधिक उत्पादिता के लिये सहायक है। मंत्रियों ने इन विषयों को 1980 में होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन क्षेत्रीय सम्मेलन की कार्य-सूची में शामिल करने का स्वागत किया।

(8) सम्मेलन ने यह स्वीकार किया कि सांख्यिकीय सूचना का संकलन और विश्लेषण, जिसका नीति निर्धारण से सीधा संबंध है, सक्रिय रोजगार नीति के सफलता के लिये महत्वपूर्ण है।

9. सम्मेलन ने यह नोट किया कि विश्व रोजगार सम्मेलन का अनुवर्तन्न 1979 में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मलन की कार्यसूची में होगा। इस संभावना की ओर ध्यान दिलाया गया कि श्रम मंत्रालय रोजगार और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय मंचों में मूल आवश्यकताओं की संतुष्टि और नई अन्तर्राष्ट्रीय विकास नीति के बनाने के संबंध में कार्यवाही करेंगे।

10. क्षेत्रीय तकनीकी सहयोग के मामलों पर विचार करते हुए पैनल में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन क्षेत्रीय कार्यकलापों और सीमा को स्पष्ट किया जहां तक वर्तमान परियोजनाएं सदस्य देशों की आवश्यकताएं पूरी कर सकीं। सामान्यतया यह महसूस किया गया कि इन परियोजानाओं को ग्रामीण क्षेत्र के विकास, विशेष रूप से रोजगार अवसरों और उपयुक्त प्रौद्योगिकी (विशेषकर श्रम प्रधान प्रौद्योगिकी) के विकास तथा उत्पादिता पर अधिक बल देना चाहिए। यह उचित समझा गया कि अनौपचारिक और ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं का पता लगाने के लिए कार्यवाई की जाए और सामान्य सहमति यह थी कि क्षेत्रीय परि-योजनाओं की प्रभावशालिता में सुधार किया जाना चाहिए।

इस सम्मेलन ने इस क्षेत्र में क्षेत्रीय तकनीकी सहयोग में सुधार के लिये पांच विशेष सिफारिशें की। ये सिफारिशें इस प्रकार हैं :—

(1) वर्तमान क्षेत्रीय परियोजनाओं को सुदृढ़ और समेकित करने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा कदम उठाए जाने चाहिएं।

(2) कि कोई भी आगामी सम्बद्ध परियोजना अधिमानतः वर्तमान परियोजनाओं के ढांचे के अन्तर्गत शुरू की जानी चाहिए।

(3) टी०सी०डी०सी० के विचार का समर्थन करते समय यह सहमति हुई थी कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन परियोजना प्रस्ताव की जांच करने के लिए और समय चाहिए। अतः भाग लेने वाले देश, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बैंकाक स्थित क्षेत्रीय कार्यलय के प्रस्ताव पर अपनी टिप्पणियां एक मास के अन्दर भेजने के लिये सहमत हो गए। यह सिफारिश की गई थी कि टिप्पणियां पर विचार करने के पश्चात् समुचित कार्रवाई की जानी चाहिए।

(4) एशियाई तथा पैसिफिक क्षेत्र की जरूरी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र को संयुक्त राष्ट्र विकास परियोजना तथा अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन निधियों का अधिक भाग आबंटित किया जाना चाहिए।

(5) भविष्य में होने वाले एशियाई तया पैसिफिक श्रम मंत्रियों के सम्मेलनों में विचारणीय विषय पर परिवर्तनीय कार्यसूची मद होनी चाहिये और एक दूसरी स्थायी कार्यसूची मद होनी चाहिए, जिसके दो भाग हों. अर्थात् क्षेत्रीय तकनीकी सहयोग और पिछले सम्मेलनों की सिफारिशों की अनुपालन सम्बन्धी कार्यवाही।

दिल्ली टेलीफोन विभाग के बिल बनाने संबंधी कार्य और वाणिज्यिक कार्यों का विकेन्द्रीकरण

8372. **श्री महेन्द्र सिंह सैयावाला** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली टलीफोन विभाग के बिल बनाने संबंधी कार्य और अन्य वाणिज्यिक कार्यों का विकेन्द्रीकरण किया जाएगा ;

(ख) यदि हां तो इस प्रस्ताव से टेलाफोन प्रयोक्ताओं को मिलने वाले लभ क्या हैं ; और

(ग) कितने स्थानों पर विकेन्द्रीकरण कर दिया गया है और इसके क्या परिणाम रहे ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय) : (क) जी हां।

(ख) विकेन्द्रीकण के बाद जिन टलीफोन उपभोक्ताओं को पहले विभिन्न प्रकार की वाणिज्यिक और टलीफोन बिलों से संबंधित समस्याओं के बारे में जनरल मैनेजर टेलीफोन के कार्यालय जाना पड़ता था, अब इन समस्याओं का समाधान संबंधित क्षेत्रों में स्थित क्षेत्रीय मैनेजर किया करेंगे। यह व्यवस्था उपभोक्ताओं के लिये अधिक सुविधाजनक होगी। और उनकी समस्याओं पर जल्दी ध्यान दिया जा सकेगा प्रशासनिक कार्यों और शक्तियों के विकेन्द्रीकरण से टेलीफोन प्रणाली की कार्यकुशलता में भी सुधार होने की संभावना है।

(ग) यह व्यवस्था केन्द्रीय क्षेत्र में जिसके अन्तर्गत ईदगाह, कनाटप्लेस. राजपथ और सचिवालय एक्सचेंज आते हैं, 16/1/78 से अपना ली गयी है। इसके परिणाम लगभग एक वर्ष के परीक्षण के बाद ही ज्ञात हो सकेगें।

वर्ष 1977-78 में महाराष्ट्र में खोले गए डाकघर

8373. **श्री बसन्त साठे** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977–78 में महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में जिलेवार कितने डाकघर खोलने का लक्ष्य था। कितने खोले गये और वर्ष 1976–77 में खोले गये डाकघरों की तुलना में यह संख्या कैसी है ;

(ख) वर्ष 1978–79 में ग्रामीण क्षेत्रों में जिलेवार कितने डाकघर खोलने का प्रस्ताव है और उन पर कितना खर्च आयेगा ; और

(ग) वर्ष 1978–79 में महाराष्ट्र में कितने और कौन-कौन से डाकघरों का दर्जा बढ़ाने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय) : (क) महाराष्ट्र राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 1977–78 के दौरान 236 डाकघर खोले गए हैं। वर्ष 1976–77 के संबंधित तुलनात्मक आंकड़े क्रमशः 126 और 95 हैं। इनकी जिलेवार स्थिति अनुबन्ध में दे दी गई है।

(ख) महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 1978–79 के दौरान 7.27 लाख रुपये की अनुमानित स्थापना खर्च का 485 डाकघर खोलने का प्रस्ताव है। इनके जिलेवार ब्यौरे अनुबन्ध में दे दिये गये हैं।

(ग) महाराष्ट्र राज्य में वर्ष 1978–79 के दौरान 58 डाकघरों का दर्जा बढ़ाने का प्रस्ताव है। किन-किन डाकघरों का दर्जा बढ़ाया जाएगा, इसकी जानकारी देना फिलहाल इस वजह से संभव नहीं होगा क्योंकि डाकघरों का दर्जा बढ़ाना निर्धारित मानदंडों को पूरा होने और स्थान उपलब्ध होने पर निर्भर करता है।

विवरण

क्र० सं०	जिले का नाम	खोले गये डाकघर 1976–77 लक्ष्य	1976–77 उपलब्धियां	1977–78 लक्ष्य	1977–78 उपलब्धियां	खोले जाने वाले प्रस्तावित डाकघर (1978–79) लक्ष्य	स्थापना का अनुमानित खर्च
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अहमदनगर	3	3	11	11	15	22500
2	अकोला	3	2	3	—	5	7500
3	अमरावती	10	9	15	8	10	15000
4	औरंगाबाद	5	1	9	6	5	7500
5	भण्डारा	2	—	5	4	15	22500
6	भीर	2	2	6	4	10	15000
7	बुलढाना	2	—	3	1	5	7500
8	चन्द्रपुर	5	2	11	8	30	45000
9	धुले	5	4	8	6	40	60000
10	जलगांव	—	—	6	1	10	15000
11	कोलाबा	5	3	11	40	40	60000
12	कोल्हापुर	5	6	21	15	45	67500
13	नागपुर	3	3	8	6	20	30000
14	नांदेड	3	—	5	4	15	22500
15	नासिक	5	6	13	2	30	45000
16	ओसमानाबाद	5	5	3	4	5	7500
17	पारभनी	2	—	4	1	10	15000
18	पुणे	5	2	17	19	25	37500

1	2	3	4	5	6	7	8
19	रत्नागिरि	25	25	15	15	30	45000
20	सांगली	4	3	8	8	5	7500
21	सतारा	5	2	27	39	25	37500
22	सोलापुर	5	3	5	16	5	7500
23	थाना	5	5	14	28	55	82500
24	वर्धा	5	4	4	—	15	22500
25	यवतमाल	7	5	4	—	15	22500
26	बम्बई	—	—	—	—	—	—
	योग	126	95	236	246	485	7,27,500,00

Training of untrained Doctors in rural areas

8374. **Shri Rudra Sen Chaudhury** : Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state whether Government propose to make arrangements to impart training to untrained doctors in rural areas so that they can serve the rural people better ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav) : No, Sir. There is no such proposal.

दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता और बम्बई में टेलीफोन शिकायतें

8375. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) सरकार को दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता और बम्बई में जनवरी, फरवरी, और मार्च, 1978 के दौरान उपभोक्ताओं से टेलीफोन संबंधी कितनी शिकायतें मिलीं ;

(ख) शिकायतों की श्रेणीवार संख्या क्या है;

(ग) कितने मामलों में शिकायतें एक सप्ताह में, एक महीने में और तीन महीने में, पृथक-पृथक दूर नहीं की गईं;

(घ) इन चार शहरों में इस अवधि के दौरान कितने अधिकारी मुअत्तिल किये गये;

(ङ) इन चार शहरों में इस अवधि में देय राशि का भुगतान न किये जाने के कारण कितने टेलीफोन काट दिये गये; और

(च) सेवा में सुधार करने के लिये इस अवधि में क्या नये कदम उठाये गये हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव सय) : (क), (ख) और (ग) वांछित सूचना एकत्र की जा रही है।

(घ) राजपत्रित अधिकारी—कोई नहीं ।

(ङ)	जनवरी 78	फरवरी 78	मार्च 1978
बंबई	3,202	4,150	5,100
कलकत्ता	11,110	—	6,363
दिल्ली	2,069	1,940	2,496
मद्रास	1,400	978	1,058

(च) निम्नलिखित महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं :—

(1) एक्सचेंज उपस्कर की योजनाबद्ध जांच।

(2) सेवा-स्तर प्रेषण परीक्षणों के जरिए एक्सचेंजों के कार्यालय की आवधिक जांच।

(3) टेलीफोन प्रणाली की क्षमता का विस्तार करके विभिन्न एक्सचेंजों में संकुलता कम करना।

(4) क्रासबार एक्सचेंजों का कार्य करण सुधारने के लिए इन एक्सचेंजों का अपग्रेड करना।

(5) उपभोक्ताओं के टेलीफोन यंत्रों और फिटिंग को ओवरहाल करना ताकि वे उचित ढंग से काम करने के योग्य हो जाएं।

(6) प्राइमरी और जंक्शन केबुलों का गैस प्रेशराइजेशन।

किंग्जवे कैम्प, दिल्ली के टी०बी० अस्पताल में सुविधाएं

8376. **श्री शिव सम्पति राम :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि दिल्ली में किंग्जवे कैम्प के टी०बी अस्पताल में सुविधाओं की भयंकर रूप में कमी है; और

(ख) लोगों के स्वास्थ्य के हित को दृष्टि में रखते हुए वहां की स्थिति में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) :** (क) और (ख) सरकार को मालूम हो गया है कि किंग्जवे कैम्प स्थित राजन बाबू टी०बी० अस्पताल में सुविधाओं की कमी है। यह अस्पताल दिल्ली नगर निगम के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है। मेडिकल और पैरा मेडिकल स्टाफ की कमी को नोट कर लिया गया है और दिल्ली नगर निगम से आवश्यक स्टाफ की व्यवस्था करने के लिए अनुरोध किया जायेगा।

लोक नायक जयप्रकाश अस्पताल में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी

8377 **श्री महीलाल :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली स्थित लोक नायक जयप्रकाश अस्पताल में नर्सों, स्टाफ नर्सों, सिस्टरों, मेट्रनों सहायक नर्सिंग अधीक्षकों, नर्सिंग अधीक्षकों की पृथक-पृथक कुल संख्या कितनी है और उनमें से प्रत्येक श्रेणी में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की पृथक-पृथक संख्या कितनी है;

(ख) क्या सभी श्रेणियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कोटा पूरा है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और पिछली कमी पूरी करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क)

वर्ग	पदों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
(1) मेट्रन	1	—	—
(2) नर्सिंग सुपरिटेंडेंट	1	—	—
(3) सहायक नर्सिंग सुपरिटेंडेंट	10	—	—
(4) नर्सिंग सिस्टर	70	2	2
(5) स्टाफ नर्स	427	3	—

(ख) जी, नहीं ।

(ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आरक्षित कोटे में कमी का कारण अपेक्षित अर्हता प्राप्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों का न मिलना है । रोजगार कार्यालय से मांग करते समय यह अनुरोध किया जाता है कि वह इन पदों के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार भेजें ।

दिल्ली प्रशासन को परामर्श दिया गया है कि वह अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की कमी को पूरा करने के लिए आयुक्त, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति; अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के संगठनों से सहायता प्राप्त करें तथा खुले विज्ञापनों का सहारा लें।

खाड़ी के देशों से व्यापार

8378. **श्री के० मालन्ना** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाड़ी के देशों में स्थित भारतीय दूतावासों में अपर्याप्त संख्या में कर्मचारी होने के कारण भारत और खाड़ी के देशों के बीच व्यापार में सन्तोषजनक प्रगति नहीं हो पा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या उपचारात्मक कार्यवाही की है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डु) : (क) खाड़ी के देशों के साथ हाल के वर्षों में व्यापार निरन्तर वृद्धि हुई है। 1976 में इन देशों के साथ लगभग 538 करोड़ रुपये का निर्यात हुआ जबकि आयात बढ़कर 968.17 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। आयात की इस वृद्धि का मुख्य कारण पेट्रोलियम की कीमत में चौगुनी वृद्धि थी ।

यह निर्यात के लिए निरंतर प्रचार की अवश्यकता को दर्शाता है जो पूरे जोरों पर है। निर्यात वृद्धि से तथा विकासशील कार्यक्रमों और परियोजनाओं में भारत की साझेदारी बढ़ जाने से हमारे मिशनों में बहुत काम बढ़ गया है जिसके लिए वहां अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति अपेक्षित है। लेकिन, यह बात इस क्षेत्र के साथ हमारे आर्थिक आदान-प्रदान के विस्तार के प्रयत्नों में बाधा नहीं बनने पाई हैं। हमारे मिशनों में कर्मचारियों की ओर से असहयोग की भी कोई आम शिकायत नहीं मिली है । जब कभी कोई व्यक्तिगत शिकायत मिलती है तो उस पर विचार किया जाता है ।

(ख) इन देशों के साथ हमारे तीव्र गति से बढ़ते हुए व्यापारिक और आर्थिक संबधों को स्थिर करने की विद्यमान भारी क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र में अतिरिक्त कार्मिकों को स्थानांतरित करने के बारे में और बाद में इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में स्थित अपने मिशनों में भारत-आस्थानी तथा स्थानीय पदों की संख्या में वृद्धि करने की दिशा में कार्रवाई की जा रही है। इससे हमारे राजदूतावास विद्यमान व्यापार-क्षमता के अनुरूप अधिक व्यापार पाने में और आर्थिक सहयोग की अन्य संभावनाओं की दिशा में अधिक दक्षतापूर्वक कार्य कर सकेंगे ।

Survey for Minerals in Hill Areas

8379. **Shri Bharat Bhusan : Will** the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether Government have formulated any scheme for conducting a survey for the exploration of hidden mineral wealth in hill areas of the country;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Karia Munda) : (a) and (b) There is no separate scheme for conducting surveys in hill areas of the country. However, geological survey is a continuous process and the annual programme of investigations of Geological Survey of India, as approved by the Central Geological Programming Board includes items of survey in hill areas of the country. During the current field season programme (October 1977 to September 1978) Geological Survey of India proposes to carry out a large number of investigations in the hill areas of the country for minerals like Bauxite, Coal, Limestone, Dolomite, Magnetite, Graphite, Sillimanite, Nickel, Cobalt, Vermiculite, Tungsten, base metals and mineral springs in addition to regional geological mapping.

(c) Does not arise.

भविष्य निधि के मुकदमे वापिस लेने के लिये मार्गदर्शी सिद्धान्त

8380. **श्री राम प्रकाश त्रिपाठी :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भविष्य निधि की बकाया राशि के बारे में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध चलाये गये मुकदमों को वापिस लेने के लिये कोई मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संम्बंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त मार्गदर्शी सिद्धांतों पर ध्यान दिये बिना ही अनेक मुकदमे हाल ही में वापिस ले लिये गये थे; और

(घ) यदि हां, तो उक्त मुकदमों का ब्यौरा क्या है और मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन न करने के क्या कारण हैं ?

श्रम और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्नलिखित सूचित किया हैं :

(क) और (ख) जी हां। भविष्य निधि की क्या बकाया राशि के बारे में दोषी प्रतिष्ठानों के विरुद्ध चलाए गए मुकदमों को वापस लेने के लिए केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा निर्धारित सामान्य मार्ग दर्शी सिद्धांन्त निम्न हैं :

(1) अभियुक्त ने पहली बार अपराध किया हो और उसी अपराध के लिए उसे पहले दण्ड न दिया गया हो ; उसके विरुद्ध और कोई मुकदमा लंबित नहीं होना चाहिए।

(2) अभियुक्त को चाहिए कि वह उन सभी उल्लंघनों को, जिसकें लिए शिकायत दायर की गई गई थी, ठीक करें ।

(3) उन का वर्तमान कार्य निष्पादन, जिसमें सभी बकाया राशि की अदायगी शामिल है, अद्यतन है,

(4) अभियुक्त ने राशि पर देय हरजानों की राशि का निधि से भुगतान कर दिया है जो जमा न कराई गई सम्पूर्ण अवधि के लिए बकाया रहे और मुकदमें के सम्बन्ध में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त कार्यालत द्वारा किए गए कानूनी तथा अन्य खर्चों की भी प्रतिपूर्ति कर दी है।

(5) जिन मामलों में नियोजक ने बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है, तो कुल बकाया राशि उगाही हरजाना की संभावित राशि और कानूनी तथा अन्य खर्चों के लिए उसे अनुसूचित बैंक से बैंक गारंटी देनी पड़ती है। उन्हें वर्तमान बकाया राशियों और किश्तों की राशि का शीघ्रता से भुगतान करने के लिए और सदस्यता छोड़कर जाने वाले सदस्य को बकाया राशि की एक मुश्त रकम अदा करने की भी जिम्मेदारी उठानी चाहिए।

(6) जहां कोई नियोजक बैंक गारंटी देने योग्य नहीं है, केलेकिन वह बकाया राशि और हरजानों तथा कानूनी खर्चों के लिए दुगुनी राशि क लिए समर्थक अणाधारप्रस्तुत करता है, तो वर्तमान बकाया राशियों और किस्तों आदि की अदायगी में तत्परता के संबंध में शर्तों का पालन करने के लिए उसे वचन देना पड़ता है। जैसाकि पिछले पमद में उल्लेख किया गया है।

(ग) और (घ): ऐसे सभी मामलों, जिनमें मुकदमे वापस लिए गए, की विस्तार से जांच की गई थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये मामले, सब मिलाकर, उन पर निर्दिष्ट मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अन्तर्गत आते हैं।

ईरान और अन्य अरब देशों में भारतीय श्रमिकों की दशा

8382. **श्री रामधारी शास्त्री**: क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 5 अप्रैल, 1978 के स्टेट्समैन में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर सरकार का ध्यान गया है कि ईरान और अन्य अरब राष्ट्रों में जाने वाले श्रमिक भुखमरी की हालत में हैं और उनके हितों की देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है;

(ख) क्या कुछ बोगस एजेंसियां भारतीय श्रमिकों को प्रलोभन देकर उन्हें विदेश भेजने में लगी हुई हैं और उन्हें समृद्ध बनाने के नाम पर उनसे रुपया ऐंठ रहीं है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी कम्पनियों के नाम क्या हैं और सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कार्यवाही की जा रही है?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा): (क) भारतीय श्रमिकों की भुखमरी का कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

(ख) और (ग) जब कभी अनधिकृत भर्ती के संबंध में शिकायतें प्राप्त होती हैं, इन को उचित प्राधिकारियों के माध्यम से जांच कराई जाती हैं और जांच के नतीजों को ध्यान में रखते हूए समुचित कार्रवाइ की जाती हैं?

Hunger Strike by agents of Railway Book Stals of A.H. Wheeler

8383. **Shri Ramanand Tiwary**: Will the Minister of **Parliamentary Affairs and Labour** be pleased to state:

(a) whether agents of Railway book stalls of Messrs. A.H. Wheeler had gone on hunger strike from 12th January, 1978 in protest against their exploitation and repression and in support of their 7 point demands and the strike was withdrawn on the 21st January, 1978 on the assurance given by him; and

(b) if so, the assurances given to them and the action being taken to implement these assurances?

The Minister of Parliamentary Affairs and Labour (Shri Ravindra Varma): (a) & (b) According to the information made available by the Ministry of Railways, M/s. A.H. Wheeler & Co. (Pvt.) Ltd., the bookstall contractors on the railways, manage their bookstalls

through bookstall Agents appointed by them. Four ex-bookstall Agents, whose agencies were terminated 4 to 10 years ago on account of alleged misappropriation of funds, are reported to have staged agitation in front of their Head Office at Allahabad from January 13 to January 21, 1978. All of them are reported to have either lost legal cases in High Courts/Lower Courts or have cases against them pending in Courts. At the instance of the State Labour Minister, the Assistant Labour Comissioner, Uttar Pradesh had gone into the grievances of the Agents in detail, and the agitation was finally withdrawn on January 21, 1978.

C.G.H.S. Medicines sold to Private Shops

8384. **Shri Aghan Singh Thakur :** Will the Minister of **Health and Family Family Welfare** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that C.G.H.S. marked medicines are being sold to private shops in the cities around Delhi; and

(b) if so, whether Government will conduct any inquiry into the matter ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav) : (a) The Government has not received any complaint regarding sale of C.G.H.S. medicines in the private chemist shops.

(b) Does not arise.

हैजा

8385. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों में से हाल ही में हैजे के बहुत से मामलों के समाचार मिले हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य तथा कारण क्या हैं और आवश्यक चिकित्सा सुविधायें प्रदान करने तथा इस महामारी को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) दिल्ली नगर निगम द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार दिल्ली की जे०जे० कालोनियों में किसी भी व्यक्ति को हैजा नहीं हुआ है। फिर भी इन कालोनियों में जठरान्त्र शोध से कई व्यक्ति पीड़ित हुए हैं।

नगर निगम, दिल्ली ने हैजा और टाइफाइड के लिए निम्नलिखित निरोधी उपाय बरते हैं :—

(1) सामूहिक रूप से टीके लगाए गए हैं।

(2) पानी की लगातार जांच की जाती है ताकि साफ पीने का पानी मिलता रहे।

(3) लोगों को सलाह दी गई है कि वे पानी उबाल कर पियें और नंगी और कटी हुई वस्तुओं को न खाएं।

सेन्ट्रल कोल वाशरीज आर्गेनाइजेशन के लिये प्रस्ताव

8386. **श्री डी० आमन** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात कारखानों के लिए कोयले की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए एक सेन्ट्रल कोल वाशरीज आर्गेनाइजेशन गठित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

जामनगर में डाकघर भवन का निर्माण

8387 **श्री विनोदभाई बो० शेठ** ; क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जामनगर में वर्तमान डाकघर के पुराने भवन का पुनर्निर्माण किया जाना है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिये अस्थायी रूप से किस वैकल्पिक भवन की व्यवस्था की गई हैं; यदि हां, तो क्या उक्त भवन का कब्जा ले लिया गया है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण; और

(ग) पुनर्निर्माण का कार्य कब आरम्भ होगा और यह संभवत: कब पूरा हो जायेगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय) : (क) जी हां।

(ख) जामनगर डाकघर को अस्थायी रूप से व्यवस्थित करने के लिए चार इमारतों की पेशकश की गई हैं। इनमें से एक इमारत उपयुक्त पाई गई हैं । अहमदाबाद के कार्यपालक इंजीनियर डाक-तार सिविल से कहा गया है कि वे इस इमारत के किराये का मूल्यांकन करें। इसके पश्चात् इस संबंध में तुरन्त अंतिम निर्णय लिया जायेगा।

(ग) आशा है कि यह निर्माण कार्य इस वर्ष में शरू कर दिया जाएगा और वर्ष 1980-81 में पूरा हो जाएगा ।

Medical facilities in Adivasi areas of Gujarat

8388. **Shri Amarsinh V. Rathawa :** Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state :

(a) whether some specific medical facilities are proposed to be provided in adivasi areas of Gujarat and if so, the broad details thereof and the expenditure involved therein;

(b) the details of medical facilities available at the health centres already functioning; and

(c) whether some concrete measures have been adopted to control the increasing incidence of malaria and fever among adivasis and if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav) : (a) There are 53 Primary Health Centres in tribal blocks, 11 Subsidiary Health Units, 7 Upgraded sub Centres with dispensaries, 3 mobile dispensaries, 2 Referral hospitals, 25-bedded Primary Health Centre and 4 Rural hospitals. It covers a population of 27 lakh.

The actual expenditure is as follows :—

1974-75	Rs. 7.73 lakh
1975-76	Rs. 0.81 lakh
1976-77	Rs. 29.88 lakh
1977-78	provision of Rs. 59.95 lakh

(b) The Primary Health Centres provide preventive, promotive and curative health services to the people in the Block.

(c) The following measures have been taken under the modified Plan of Operation in the tribal areas of Gujarat :

(i) A malaria surveillance worker visits house to house every fortnight for search of fever cases, takes blood smears of such cases and gives presumptive treatment in his presence.

(ii) Similarly the blood smears are being collected of all fever cases and given treatment through medical institutions.

(iii) Indoor insecticidal spray operations are being carried out during transmission season on selective epidemiological conditions.

(iv) To achieve better spray coverage the Panchayat are being involved in spray operations.

(v) Radical treatment of cases with 4-Amin quinoline and Primaquine are undertaken. In areas with predominence of P.falciparum, Chloroquine and Daraprim are in use for treatment.

(vi) It has been planned to orient the village Panchayats/teachers in anti-malaria operations. Drug distribution Centres and Fever treatment Depots have been established with the help of village Panchcyats and School teachers for making the anti-malarials available to fever cases.

Non-availability of Trunk Call Tickets in Ujjain Exchange

8389. **Dr. Laxminarayan Pandey** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether the "Trunk Call Tickets" (Form No. PST 1068) are not available in various telephone exchanges in Ujjain Division;

(b) if so, whether there is possibility of many mistakes cropping in as a result thereof and the subscribers have to bear the burden; and

(c) whether the forms have not been available for a long period and if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Communications (Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai) : (a) No, Sir, the Trunk Call tickets (PHT 1068) are available.

(b) Does not arise.

(c) The forms were in short supply for a short period after December, 1977. The forms have since been printed and been supplied to the concerned exchanges.

Payment of interest on amount deposited for Telephone Connection

8390. **Dr. Laxminarayan Pandey** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether according to the rules in force at present deposit of an amount of Rs. 1200/- is compulsory for the persons who want to get new telephone connections;

(b) whether even after depositing the said amount telephone connections are not provided for a long period;

(c) if so, the period after which telephone connections are expected to be provided after deposit of the amount; and

(d) whether no interest is paid by the Department on this amount and if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Communications (Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai) : (a) According to rules the new applicants for a telephone connection are required to make payment of advance deposit of Rs. 5000/-, Rs. 4,000/, Rs. 3,000/- in case of OYT category and Rs. 1,000/- Rs. 800/-, Rs. 600/- and Rs. 400/- for non-OYT category depend ing upon the capacity of an exchange from where telephone connection is required.

(b) The telephones are sanctioned as per turn on the waiting list. The date of prio-rity of each case is fixed from the date of payment of the advance deposit. Since there are long waiting lists in certain exchanges due, to non availability of spare capacity, the applicants have to wait for a long period for their turns to mature in these exchanges.

(c) The period after which a telephone can be given, cannot be specified as it depends, upon availability of spare capacity in an exchange, the number of earlier cases pending availability of stores and technical feasibility.

(d) The advance deposits carry an interest for the period commencing on the date of deposit and ending with the date of sanction of telephone at the rate payable by the State Bank of India on fixed deposits made with such banks for a period of one year.

ईरान और अरब देशों को जाने वाले भारतीयों के लिए बीसा का कठोर शर्तें

8391. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा**: क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि ईरान और अरब राष्ट्रों ने वहां आने वाले भारतीयों के लिए हाल में ही बीमा की कठोर- शर्ते लगा दी हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या ईरान और ऐसे अरब राष्ट्रों की सम्बद्ध सरकारों के साथ सरकार ने बीसा के मुद्दे पर बात की हैं;

(ग) यदि हां, तो ऐसे पत्र-व्यवहार का क्या परिणाम निकला है;

(घ) क्या व्यापार संवर्धन सम्बन्धी गतिविधियों के मामले में, बीसा की ऐसी शर्तें लगाये जाने से विभिन्न भारतीयों और भारतीय संगठनों को गहरा धक्का लगा हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार का मामले को किस प्रकार सुलझाने का वचार है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) से (ङ) अरब देशों और ईरान में भारतीयों के प्रवेश को नियमित करने के लिए इन देशों द्वारा लगाये गये कड़े वीसा विनियमों की सरकार को जानकारी है जिसकी वजह से कभी कभी वीजा प्राप्त करने में कठिनाई और विलम्ब हुआ है। उन भारतीयों को सभी प्रकार की सहायता दी जाती है जो व्यापार-संवर्धन आदि के लिए इन देशों की यात्रा करना चाहते हैं। इन देशों के वर्तमान वीजा विनियमों के परिणामस्वरूप निर्यात बढ़ाने और अन्य कार्यों में कोई विशिष्ट बुरा प्रभाव पड़ा हो, ऐसा नहीं लगा। समय-समय पर वीजा जारी करने से सम्बद्ध विशिष्ट या सामान्य समस्याओं को उस क्षेत्र के देशों के साथ या भारत में उनके मिशनों के साथ उठाया जाता है।

प्राइवेट रोजगार एजंसियों द्वारा कदाचार

8392. **श्री माधवराव सिन्धिया :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्राइवेट रोजगार एजेंसियों के बारे में उन कदाचारों का ब्यौरा क्या है, जो गत दो वर्षों के दौरान सरकार के ध्यान में लाये गये हैं;

(ख) सरकार ने इन एजेंसियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है; और

(ग) इस बारे में कदाचारों को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का प्रस्ताव है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) से (ग) अनुमान है कि संकेत उन रोजगार अभिकरणों की ओर है जो भारत में नियोजन के लिए कार्मिकों का चयन करते हैं। 1977 में एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि एक निजी रोजगार अभिकरण ने किसी पद के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए थे और प्रत्येक आवेदन-पत्र के प्रपत्र को भेजने के लिए 10 रुपये का भुगतान करने को कहा था। किसी अपराधात्मक उद्देश्य के अभाव में प्रपत्रों को आपूर्ति के लिए भुगतान की मांग करना अपराध नहीं है।

टेलीफोन का अन्तरण

8393. **श्री दुर्गा चन्द :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीफोन प्रयोक्ताओं को अपने टेलीफोन अपने रिश्तेदारों के नाम अन्तरित करने की अनुमति दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या नियम हैं ;

(ग) अपने टेलीफोन कनेक्शन अपने नजदीकी रिश्तेदारों को अन्तरित करने के लिए गत वर्ष के दौरान दिल्ली में कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए;

(घ) कितने आवेदन पत्रों का निपटान किया गया और इस समय कितने आवेदन पत्र अनिर्णीत पड़े हैं; और

(ङ) इन आवेदन पत्रों को अनिर्णीत रखने के क्या कारण हैं और इन आवेदन पत्रों का कब तक निपटान किया जायेगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय) : (क) जी हां।

(ख) टेलीफोन लेने वाले व्यक्ति के जीवन-काल में उसके निकट संबंधियों अर्थात् पिता, माता, पत्नी, पति, पुत्र, पुत्री, भाई और बहन, जिसमें सौतेला भाई और सौतेली बहन भी सम्मिलित है, के नाम टेलीफोन हस्तांतरण करने की इजाजत दी जा सकती है किन्तु चचेरे भाई या चचेरी बहिन आदि के नाम टेली-फोन के हस्तान्तरण की अनुमति नहीं दी जा सकती। यह व्यवस्था किसी भी श्रेणी के अन्तर्गन्त मूल रूप से लिये गए टेलीफोन के सम्बन्ध में उपलब्ध है बशर्ते कि मूल उपभोक्ता के नाम में वह कनेक्शन वस्तुत: कम से कम एक साल तक काम करता रहा हो और शर्त यह भी है कि यदि वह कनेक्शन किसी प्राथ-मिक्ता या विशेष श्रेणी के अन्तर्गत मन्जूर किया गया हो तो मूल उपभोक्ता को हस्तांतरण की तारीख से पांच वर्ष के भीतर उस श्रेणी में कोई नया कनेक्शन नहीं दिया जायगा। प्रत्येक कनेक्शन के हस्तांतरण का शुल्क 50 रुपये है।

(ग) 143 अर्जियां।

(घ) 111 अर्जियों पर टेलीफोन कनेक्शन दिए जा चुके हैं और इस समय 32 अर्जियां बकाया पड़ी हैं।

(ङ) आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के लिए इन मामलों के सम्बन्ध में, उपभोक्ताओं के साथ लिखा पढ़ी चल रही है। कार्रवाई की जा रही है।

Constitution of Hindi Advisory Committee

8394. **Shri Nawab Singh Chauhan :** Will the Minister of **Parliamentary Affairs and Labour** be pleased to state :

(a) whether Hindi Advisory Committee has been constituted in the Ministry; and

(b) if so, the names of its members and the number and names among them of those nominated on the recommendations of the Official Languages Department ?

The Ministry of Parliamentary Affairs and Labour (Shri Ravindra Varma) : (a) and (b) The question of constituting a Hindi Advisory Committee is under consideration.

Hindi Advisory Committee

8395. **Shri Nawab Singh Chauhan :** Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state :

(a) whether Hindi Advisory Committee has been constituted in his Ministry; and

(b) if so the names of its members and the number and names among them of those nominated on the recommendations of the Official Languages Commission Department ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Welfare (Shri Jagadambi Prasad Yadav) : (a) Yes.

(b) Composition of the Committee is at Annexure I. Of these five names at Serial Nos. 26 to 30 were suggested by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs.

Statement

Constitution of Hindi Advisory Committee of the Ministry of Health & Family Welfare

1. Minister for Health and Family Welfare	Chairman
2. Minister of State for Health and Family Welfare	Vice-Chairman
3. Secretery, Health and Family Welfare	Member
4. Additional Secretary (Health)	Member
5. Additional Secretary (Family Welfare)	Member
6. Joint Secretary (F.A.)	Member
7. Director General of Health Services	Member
8. Director, National Malaria Eradication Programme, Delhi	Member
9. Director, National Intitute of Communicable Diseases, Delhi	Member
10. Director, Central Government Health Scheme, New Delhi	Member

11.	Medical Superintendent, Willingdon Hospital, New Delhi	Member
12.	Medical Superintendent, Safdarjang Hospital, New Delhi .	Member
13.	Director, National Institute of Health and Family Welfare, New Delhi.	Member
14.	Secretary, Department of Official Language and Hindi Advisor to the Government of India	Member
15.	Representative of Department of Official Language . .	Member
	MEMBERS OF PARLIAMENT	
16.	Dr. Bhagwan Dass Rathor, Member, Lok Sabha .	Member
17.	Shri Govind Munda, Member, Lok Sabha .	Member
18,	Dr. Lokesh Chandra, Member Rajya Sabha	Member
19.	Dr. M.M. Siddhu, Member, Rajya Sabha . . .	Member
	REPRESENTATIVES OF INSTITUTIONS ETC.	
20.	Dr. Jogeshwar, Kashi Vidyapeeth, Varanasi	Member
21.	Dr. Malik Mohd., Professor, Hindi Department Calicut University	Member
22.	Dr. Raghuvansh, Prayag Vishwavidyalaya . . ALLAHABAD	Member
23.	Shri Rajendra Awasthi, Editor, Kadambani, Delhi . .	Member
24.	Shri Narsingh Pandit, Hindi Vidyapeeth, Vaidyanath, Deoghar	Member
25.	Dr. Kumar Vimal, Patna	Member
26.	Dr. Atma Prakash, All India Institute of Medical Sciences, New Delhi.	Member
27.	Dr. R.K. Mishra, All India Institute of Medical Sciences, New Delhi.	Member
28.	Shri Lallan Prasad Vyas	Member
29.	Dr. Vishwanath Ayyar, Head of the Hindi Department, Cochin University.	Member
30.	Pandit Shiv Sharma, Baharistan, 9-A, Boman Petit Road, Kampala Hill, Bombay	Member
31.	Joint Secretary (Administration) .	Member-Secretary

Telephone Exchange at Lath village

8396. **Shri Dharmasin Bhai Patel :** Will the Minister of **Communications** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2249 on the 9th March, 1978 regarding setting up of Telephone Exchanges in Junagarh, Rajkot and Jamnagar Districts and State :—

(a) whether about 18 persons of Lath Village of Upleta taluk in District Rajkot o Saurashtra region in Gujarat had deposited Rs. 800 each in December, 1977 for telephone connections and whether an application to this effect was sent by Lath Ram Panchayat in March, 1978 to the authorities at Ahmedabad, Rajkot and Dholaji etc; and

(b) if so, the time by which a telephone exchange would be established at Lath village and these persons would be provided telephone connections ?

The Minister of State in the Minstry of Communications (Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai) : (a) Yes Sir. 16 persons deposited Rs. 800/- each in Dec., 1977 and two in January, 1978. A letter from Lath Ram Panchayat was also receivied in March.

(b) The exchange is expected to be commissioned and telephone connections provided during current financial year.

Telephone connections to Sitana Village Junagarh District

*8397. **Shri Dharmasinhbhai Patel :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the amount deposited by the Manavadar Taluka Panchayat Kacheri for getting a telephone connection at the residence of the President of Manavadar Taluka Panchaya in Sitana village of Junagarh District in Saurashtra region of Gujarat and when and where this amount was deposited;

(b) the reasons for not providing a telephone connection so far and by what time the same is likely to be provided; and

(c) whether on the 4th January, 1978, the Manavadar Taluka Panchayat Kacheri had addressed a communication to Telephone Department at Ahmedabad and Junagarh and if so, the action taken thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Communications (Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai) : (a) A total amount of Rs. 3750/- was deposited, in Bantwa Post Office on dates shown below :—

1. Rs. 1000/- on 1-7-76.
2. Rs. 750/- on 6-7-77.
3. Rs. 2000/- on 21-11-77.

(b) The connection is required at a distance of about 7 K. Ms. from the exchange and the same involves large quantities of line stores. These are being arranged and telephone is likely to be provided in about 2 months time.

(c) Yes, Sir. The President Taluka Panchayat Manavadar had requested in his letter of 3-1-78 to provide the telephone connection stating that Panchayat is for a public utility service and the demand is to facilitate the execution of development activities.

Record files of patients missing in Willingdon & AIIMS

8398. **Shri Hargovind Verma :** Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state :

(a) whether files containing records of patients are generally found missing in Government hospitals (Willingdon Hospital and All India Institute of Medical Sciences);

(b) if so, how many files were re-prepared during the past three years; and

(c) whether action was taken against the employees responsible therefor and if so, the nature thereof and if not, the reasons therefor?

The minister of State in the Ministry of Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav) : (a) Records of patients are not generally found missing in the Willingdon Hospital and All India Institute of Medical Sciences. In stray cases where such records are found missing suitable action is taken.

(b) and (c) Do not arise.

बैलाडिला लौह अयस्क खानों के श्रमिकों की छंटनी

8399. **श्रीमती पार्वती कृष्णन :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में बैलाडिला लौह अयस्क खानों के हजारों श्रमिकों को छंटनी के नोटिस दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या छंटनी के इन आदेशों को वापस लिए जाने की मांग करते हुए उक्त लौह अयस्क खानों के श्रमिक हड़ताल कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) और (ख) बैलाडिला क्षेत्र की लौह अयस्क की खानों से श्रमिकों द्वारा निकाले जाने वाले लौह अयस्क की सप्लाई करने वाले ठेकेदारों में से एक ठेकेदार--मैसर्स अशोक माइनिंग कम्पनी का ठेका 31-3-1978 को समाप्त हो रहा था इसलिए उसने अपने कामगारों की छंटनी का नोटिस दे दिया था। 31-3-1978 को मैसर्स अशोक माइनिंग कम्पनी में काम कर रहे 1375 कामगारों में से लगभग 1327 कामगारों ने 1 से 3 अप्रैल, 1978 के बीच छंटनी के कारण मिलने वाले लाभ ले लिए थे।

(ग) बैलाडिला लौह अयस्क की खानों के कामगार अब हड़ताल पर नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

Corrupt Officers in Ministry

8400. **Shri Hukmdeo Narain Yadav :** Will the Minister of Steel and Mines be pleased to state :

(a) the total number of officers category-wise of his Ministry against whom corruption and bungling charges were levelled during the last three years; and

(b) the number of those who were awarded punishment and the number of those who were exonerated ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Karia Munda) : The desired information is given below :—

	1975	1976	1977
(a) No. of Officer against whom charges levelled :—			
Gazetted . . .	1		
Non-Gazetted . .		5	
(b)			
(i) *No. Punished*			
Gazetted .		..	
Non-Gazetted . . .		*	
*Three cases are still under consideration.			
(ii) *No. exonerated*			
Gazetted .	1	..	
Non-Gazetted		2	

"सन्स आफ दि साएल" (स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाना)

8401. **श्री ए० के० राय :**

श्री माधवराव सिन्धिया :

क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या उनके मंत्रालय का ध्यान रायबरेली में इंडियन टेलीफोन इंस्टीट्यूट काम्प्लेक्स के एक समारोह की अध्यक्षता करते हुए श्री राजनारायण के कथन "सन्स आफ दि साएल" (स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाना) की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सम्पूर्ण भारत में लागू किए जाने के लिए केन्द्रीय मंत्री श्री राजनारायण द्वारा प्रस्तुत "सन्स आफ दि साएल" की परिभाषा से मंत्रालय सहमत है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य और श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) सरकार ने इस बारे में कुछ समाचार पत्रों की रिपोर्टें देखी हैं।

(ख) यह ऐसा मामला है जिसमें किसी नागरिक के भारत के किसी भाग में काम करने के सांविधानिक अधिकार का स्थानीय व्यक्तियों के पर्याप्त रोजगार अवसर पाने के अधिकार के साथ सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है।

इस्पात और खान मंत्रालय में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जाजनजातियों के कर्मचारी

8402. **श्री आर० एन० राकेश :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समस्त जनता शासन काल में उनके मंत्रालय में इससे सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में जिनमें सरकारी उपक्रम भी शामिल हैं प्रत्येक श्रेणी में कितने पद भरे गए और उनमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की संख्या कितनी थी और प्रत्येक श्रेणी में कितने पदों पर आरक्षण समाप्त किया गया और इसके क्या कारण हैं; और

(ख) प्रत्येक श्रेणी के पदों पर कितनी विभागीय पदोन्नतियां की गईं, पदों का दर्जा बढ़ाया गया और कितने पदों पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी नियुक्त किए गए ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को ठेके/लाइसेंस देना

8403. **श्री आर० एन० राकेश :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनता सरकार के शासन की पूरी अवधि में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों सहित, यदि कोई हों, मंत्रालय, इससे सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा कुल कितने ठेके/लाइसेंस दिए गए और इन ठेकों/लाइसेंसों की प्रत्येक श्रेणी में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों का यदि कोई हिस्सा है तो वह कितना है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक): (क) और (ख) ठेके जाति के आधार पर नहीं दिए जाते हैं बल्कि सामान्यतया अधिकतम अथवा न्यूनतम बोली के आधार पर दिए जाते हैं जो ठेके की किस्म पर निर्भर करता है चाहे ठेका बिक्री के लिए हो अथवा खरीद के लिए। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को दिए गए ठेकों के आंकड़ें रखने की प्रथा भी नहीं हैं।

औद्योगिक लाइसेंस उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक विकास विभाग द्वारा मार्गदर्शी सिद्धांतों में निर्धारित प्रणाली के अनुसार दिए जाते हैं। इस बारे में आवेदक की जाति पर विचार नहीं किया जाता है और न ही लाइसेंसधारी की जाति का रिकार्ड रखने की आवश्यकता है।

आर० एम० एस० विश्राम गृह कलकत्ता

8404. **श्री समर मुखर्जी**: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार का आर०एम०एस० विश्राम गृह 156 एम०जी० रोड, कलकत्ता पर स्थित एक ऐसी इमारत है जो पुरानी अधिगृहीत इमारत है और अधिग्रहण की यह अवधि 1980 तक है;

(ख) क्या वहां के कर्मचारियों और उनकी यूनियन की ओर से कोई मांग की गयी है कि इस आर०एम० स० विश्राम गृह को वहां से कहीं अन्यत्र बनाया जा ;

(ग) क्या पुराना बड़ा बाजार डाकघर के स्थान पर एक बहुमंजिला आर०एम०एस० भवन, बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) क्या डाक तथा तार विभाग कार्यालय और आर०एम०एस० विश्राम गृह दोनों के लिए अभी 1500 रुपये प्रति माह किराया दे रहा है और केवल आर०एम०एस० विश्राम गृह के स्थानांतरण से उसे कम से कम 15000 रुपये प्रतिमाह देना पड़ेगा?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय): (क) और (ख) जी हां।

(ग) और (घ) मौजूदा विश्राम गृह की दशा संतोषजनक नहीं है। हावड़ा रेलवे स्टेशन के निकट वैकल्पिक जगह किराये पर लेने या पुराने बड़ा बाजार डाकघर की जमीन पर एक विभागीय विश्राम गृह के निर्माण के मामले पर विचार किया जा रहा है।

इस समय जिस इमारत में विश्राम गृह और उप अभिलेख कार्यालय स्थित हैं उसका किराया 1500 रुपये मासिक है। विश्राम गृह के लिए 15000 रुपये मासिक किराये पर जगह लेने का डाक-तार विभाग का कोई प्रस्ताव नहीं है।

तारापुर परमाणु संयंत्र के लिए संवर्धित यूरेनियम को सप्लाई करने के बारे में अमरीका से पत्र

8405. **श्री हरि विष्णु कामत**: क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए संवर्धित यूरेनियम की सप्लाई करने के बारे में अमरीका की सरकार से कोई सरकारी पत्र अथवा सूचना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस सप्लाई के साथ प्रत्यक्षतः अथवा अन्यथा कोई शर्तें लगी हैं;

(घ) क्या भविष्य में भी इसकी सप्लाई करने का आश्वासन दिया गया है; और

(ङ) यदि इसका उत्तर 'नहीं' में है, तो इसके लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डु): (क) से (ङ) यद्यपि सरकार को तारापुर परमाणु बिजली केन्द्र के लिए समृद्ध यूरेनियम की सप्लाई के संबंध में हाल में संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार से कोई अधिकारिक सूचना नहीं मिली है फिर भी इस विषय पर 15 अप्रैल, 1978 को लोक सभा में प्रधान मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

प्रधान मन्त्री की अमरीका की यात्रा

8406. **श्री पी० जी० कावलंकर** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री हाल में सरकारी निमंत्रण पर अमरीका जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सबन्धी मोटा ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वह अमरीका की यात्रा के दौरान निरस्त्रीकरण के बारे में संयुक्त राष्ट्र महासभा के विदेश अधिवेशन में भाग लेंगे तथा भाषण देंगे; और

(घ) यदि हां, तो कब ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डु: (क) जी, हां।

(ख), (ग) और (घ) आशा है कि प्रधानमंत्री 8 जून, 1978 को अपराह्न में न्यूयार्क पहुंचेंगे और 9 जून को सवेरे संयुक्त राष्ट्र महासभा के निरस्त्रीकरण विषयक विशेष अधिवेशन में भाषण देंगे। वे अमरीका में 15 जून तक ठहरेंगे। अमरीका प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का ब्यौरा अभी तैयार किया जा रहा है।

सेन्ट्रल काउंसिल फार रिसर्च इन इंडियन मेडिसिन एण्ड होम्योपैथी

8407. **श्रीमती मृणाल गोरे : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेंट्रल काउंसिल फार रिसर्च इन इंडियन मेडिसिन एण्ड होम्योपैथी को चार अनुसंधान परिषदों में विभाजित किया जा रहा है, यदि हां तो इसके क्या कारण हैं और प्रत्येक परिषद् के लिए बजट में कितनी राशि नियत की गई है तथा किन-किन क्षेत्रों/फील्डों में एक ही काम के लिए दो जगह खर्च किया जाता है;

(ख) क्या सरकार सेन्ट्रल काउंसिल फार रिसर्च इन इंडियन मेडिसिन एण्ड होम्योपैथी के कार्यकरण का पुर्नविलोकन करने हेतु उच्च शक्ति प्राप्त समिति गठित कर चुकी है और यदि हां, तो क्या काउंसिल के विभाजन का निर्णय करते समय समिति की सिफारिशों पर ध्यान दिया गया था, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या प्रमुख नीति निर्णय होने के कारण इस निर्णय पर सरकार ने स्वीकृति दी हुई है;

(घ) क्या यह सच है कि जब प्रस्तावित परिषदों के सदस्यों की बैठक हुई तब कार्यावली पर विचार-विमर्श करने से पहले ही एशोसिएशन के ज्ञापन पर उनके हस्ताक्षर के लिए गए थे; और

(ङ) वर्तमान कर्मचारियों पर वरिष्ठता, वेतनमान, पदोन्नति और गत सेवा के लाभ जैसी सेवा-शर्तों के संदर्भ में कहां तक प्रभाव पड़ेगा, और कर्मचारियों की मंजूर शुदा संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि एक ही परिषद् के अधीन विभिन्न पारम्परिक चिकित्सा पद्धतियों में हुए अनुसंधान कार्य से अपेक्षित परिणाम नहीं निकले हैं, इसलिए भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी की केन्द्रीय अनुसंधान परिषद् को निम्नलिखित चार परिषदों में पुनर्गठित करने का निर्णय किया गया है:—

1. केन्द्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद् ।
2. केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद् ।
3. केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद् ।
4. केन्द्रीय योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद् ।

मौजूदा भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी की केन्द्रीय अनुसंधान परिषद् को 1978-79 के दौरान 187.14 लाख रुपये का आवंटन किया गया है किन्तु धनराशि का आवंटन इन चारों परिषदों द्वारा कार्य शुरू किये जाने से पहले प्रत्येक परिषद् की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। किसी भी क्षेत्र/फील्ड में एक ही काम के लिए दो जगह खर्च होने की संभावना नहीं है।

(ख) जी हां। इस समिति को गठित करने का मुख्य उद्देश्य परिषद् के अधीन संस्थानों/केन्द्रों/यूनिटों द्वारा किए गए अनुसंधान कार्य का यह जानने के लिए मूल्यांकन कराना था कि क्या अनुसंधान कार्य के लिए दी गई धनराशि के अनुरूप है। इसके साथ-साथ इन अनुसंधान कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में आने वाली रुकावटों के कारण बतलाना, इन कार्यक्रमों को कारगर बनाने, उन्हें तेज़ तथा समेकित करने के लिए तरीके सुझाना और किफायती तौर पर परिषद् को कारगर ढंग से चलाने के लिए सुझाव देना भी इस समिति को गठित करने का उद्देश्य था। चूंकि इस समिति को गठित करने के उद्देश्य का सम्बन्ध मौजूदा परिषद् को विभाजित करने से नहीं था, इसलिए भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी की केन्द्रीय अनुसंधान परिषद् का पुनर्गठन करते समय इस समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखने का प्रश्न ही नहीं उठता। तथापि, इस समिति की सिफारिशें, जब कभी उपलब्ध होंगी, इन चारों नई परिषदों को अपने अनुसंधान कार्यक्रम कारगर और सार्थक ढंग से चलाने में उपयोगी सिद्ध होंगी।

(ग) चूंकि परिषद् को पुनर्गठित करने का प्रस्ताव वर्तमान पूंजीगत सोसाइटी के पुनर्गठन से संबंधित है, इसलिए इस बारे में मंत्रिमण्डल का अनुमोदन प्राप्त करना जरूरी नहीं है।

(घ) जी नहीं। परिषद् के विभाजन के प्रस्ताव और एसोसियेशन के ज्ञापन में निहित बातों पर विस्तारपूर्वक विचार-विमर्श करने के पश्चात् ही सदस्यों ने एसोसिएशन के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे।

(ङ) यह बात सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए गए हैं कि परिषद् के कर्मचारियों के हितों की रक्षा हो और सभी वर्तमान कर्मचारियों को प्रस्तावित परिषदों में खपा लिया जाए।

Indo-Ireland Cooperation

8408. **Shri Rajendra Kumar Sharma :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether any decision has been taken to increase co-operation between India and Ireland in many fields at bilateral and international levels;

(b) full details of the important decision taken in respect of economic fields; and

(c) the reaction to the talks held between India and Ireland on disarmament?:

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Samarendra Kundu): (a) During the Irish President's visit in January, discussions with the Iirsh Foreign Minister revealed close similarity of views between India and Ireland on many matters and our mutual interest in strengthening Indo-Irish cooperation.

(b) No concrete proposals in the economic field were discussed.

(c) There was a wide-ranging exchange of views between the two sides on a number of subjects, including disarmament. This was considered useful.

सी० जी० एच० एस० होम्योपैथी औषधालय, गोल मार्किट, नई दिल्ली

8409. **श्री डी०जी० गवई :** क्या स्वास्थ्य और पविार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोल मार्केट, नई दिल्ली स्थित केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के होम्योपैथी औषधालय को कार्यात्मिक (फंक्शनल) औषधालय में बदलने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या निर्णय किया गया है और इस प्रस्ताव को कब तक कार्य रूप दिये जाने की संभावना है; और

(ग) यदि अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है तो विलम्ब होने के क्या कारण हैं और इस संबंध में कब तक निर्णय लिया जायेगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अधीन किसी एक होम्योपैथीक औषधालय में दिन में अवकाश के समय में आपाती सेवाओं की व्यवस्था करने का प्रश्न विचाराधीन है। इस मामले में शीघ्र निर्णय लिए जाने की संभावना है।

रक्त दाताओं के लिये चिकित्सा सुविधाओं की योंजनाएं

8410. **श्री पी०जी० मावलंकर :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि विश्व के कुछ देशों में नियमित रूप से रक्त दान करने वालों के लिए चिकित्सा सुविधा की योजनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मोटा ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या सरकार का विचार भारत में ऐसी योजना आरम्भ करने और उसे क्रियान्वित करने का है,

(घ) यदि हां, तो कब और कैसे, और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) विश्व स्वाथ्य संगठन के माध्यम से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) से (ङ) उपर्युक्त (क) और (ख) की सूचना प्राप्त हो जाने पर सरकार इस सम्बन्ध में उपयुक्त योजना लागू करने के बारे में राज्य सरकारों से परामर्श करते हुए विधिवत विचार करेगी।

पृथक टेलीफोन जिलों का प्रशासन

8411. श्री पी० जी० मावलंकर : क्या संचार मंत्री मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद, बंगलौर, हैदराबाद आदि शहरों में पृथक्-पृथक् टेलीफोन जिले हैं जिनके प्रशासन पृथक-पृथक हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या उक्त टेलीफोन जिलों का प्रशासन उन क्षेत्र विशेषों के राज्य सर्किल के प्रशासन से स्वतंत्र होता है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या इस प्रकार के पृथक यूनिटों से अधिक व्यय होता है और प्रशासन अधिक विस्तृत हो जाता है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय) : (क) जी हां।

(ख) इस समय सात ऐसे नगर हैं जहां अलग अलग टेलीफोन जिले हैं जो अलग-अलग महाप्रबन्धकों के प्रशासन के अन्तर्गत हैं। इनके नाम हैं--दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, अहमदाबाद, बंगलूर और हैदराबाद।

(ग) जी हां।

(घ) और (ङ) किसी बड़े नगर की टेलीफोन प्रणाली की एक्सचेंज क्षमता जब 25000 लाइनों या इससे अधिक लाइनों की हो जाती है तो एक बड़ा टेलीफोन जिला बना दिया जाता है। इन बड़ी प्रणालियों की योजना की आवश्यकताओं और पहलुओं, प्रचालनों नियंत्रण, रख-रखाव, राजस्व वसूली, कार्य-जाल, इंजीनियरी आदि ऐसी स्थिति में हो जाती है कि इनका प्रशासन तभी कुशल और प्रभावकारी हो सकता है जब इन्हें राज्य के दूरसंचार सर्किल से, जिस पर अपना ही काम का भार बहुत अधिक होता है, स्वतंत्र रखा जाये।

टेलीफोन सलाहकार समिति का गठन

8412. श्री पी० जी० मावलंकर : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न शहरों में और/अथवा क्षेत्रों में टेलीफोन सलाहकार समितियां बनाई जाती है ;

(ख) यदि हां, तो सदस्यों के नाम तथा कार्यकाल आदि सहित उनका पूरा विवरण क्या है;

(ग) क्या अहमदाबाद शहर में ऐसी कोई समिति रही है और यदि हां, तो समिति में सदस्य कौन हैं तथा वे कब से हैं और कब तक रहेंगे; और

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय) : (क) कुल 50 टेलीफोन सलाहकार समितियों में से 21 का गठन किया जा चुका है। शेष समितियों के गठन विचाराधीन हैं।

(ख) वांछित सूचना अनुबन्ध-क [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए ससंख्या एल०टी०-2210/78**] में दे दी गई है।

(ग) जी हां। अहमदाबाद की टेलीफोन सलाहकार समिति के ब्यौरे अनुबन्ध-क, की क्रम संख्या 20 पर दे दिए गए हैं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

Ayurvedic System

8413. **Dr. Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Ayurvedic system of medicine is considered inferior to Allopathic system of medicine in the matter of surgery; and

(b) if so, the steps taken so far by Government to promote surgery in Ayurvedic system and if stepts taken not been taken, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav) : (a) Yes, Sir.

(b) Surgery is called Shalya Tantra in Ayurvedic parlance. In the curriculum and syllabus for undergraduate education prepared by the Central Council of Indian Medicine and approved by the Government of India for uniform implementation throughout the country' adequate provision for training has been made with a view to develop the Shalya Tantra. The C.C.I.M. has also prepared minimum standards and curriculum for post-graduate studies and trainning in Shatya Tantra.

At present, postgraduate training Shalya Tantra is being imparted in the Postgraduate Department of Indian Medicine, Institute of Medical Sciences, Banaras Hindu University, Varanasi leading to the award of the degree of "Doctorate in Ayurvedic Medicine". With the assistance of Central Council for Research in Indian Medicine and Homoeopathy, the Shalya Tantra Department of this Institute is also conducting researches in several surgical problems according to Ayurvedic principles. Their research work on the operation of fistula-in-Ano (Bhagandara) has produced encouraging results.

P.F. and E.S.I. outstanding against Office Equipment Company of India; Bombay

8414. **Shri Hukam Chand Kachhwai** : Will the Minister of **Parliamentary Affairs and Labour** be pleased to state the amount of the provident fund and ESI contribution of the workers outstanding against Office Equipment Company of India, 10-C, Tulsi Pipe Road, Mahalakshmi, Bombay-13 for the last three years, year-wise and the action taken so far to realise it and if not, the main reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Labour and Parliamentary Affairs (Dr. Ram Kripal Sinha) : The Employees' State Insurance Corporation has reported that the employer has paid the contributions by submission of contribution cards upto the contribution period ending January, 1978 which were due to be submitted by 11-3-1978. A sum of Rs. 78/- detected as a result of inspection of the records of the factory, is, however, payable by the employer who has already been asked to pay the same. The provident fund authorities have reported that no provident fund dues are outstanding against the establishment for the last three year, viz. 1975-76 to 1977-78.

P.F. and E.S.I. Outstanding against Shauhal Engineering Works, Bombay

8415. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Parliamentary Affairs and Labour** be pleased to state the amount of the Provident Fund and E.S.I. contribution of the workers outstanding against Shauhal Engineering Works, 10-C, Tulsi Pipe Road, Mahalakshmi, Bombay-13 for the last three years, year-wise and the action taken so far to realis it and if not, the main reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Labour and Parliamentary Affairs (Dr. Ram Kripal Sinha) : The Employees' State Insurance Authorities have intimated that no factory/establishment in the name and style of Shauhal Engineering Works, Bombay is registered under the Employees' State Insurance Act. There is, however, a factory in the name and style of Sohal Engineering Works at Bhandup which has also another unit at 10-C, Tuls Pipe Road, Mahalakshmi, Bombay-13. These two units of Sohal Engineering Works are covered under the Employees' State Insurance Act and have paid contributions upto and including the contribution period ending November, 1976. They have, however, not paid contribution from contribution period ending January, 1977 onwards. Notice claiming an amount of Rs. 27027/- for contribution period ending January, 1977 to July, 1977 was issued to the employer in December, 1977 which was returned undelivered. Necessary recovery certificate for the said amount is being issued to recover the amount as an arrear of land revenue. For the remaining period, the case is under their examination. The employer had earlier been prosecuted in the year 1976 and another prosecution case has also been filed on the 9th March, 1978.

The provident fund authorities have intimated that no provident fund dues are outstanding against the establishment for the last three years, viz. 1975-76 to 1977-78.

P.F. and E.S.I. Outstanding Against Hamilton Industries, Bombay

8416. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Parliamentary Affairs and Labour** be pleased to state the amount of Provident Fund and Employees State Insurance contribution of the workers outstanding against Hamilton Industries Private Limited, 10-C, Tulsi Pipe Road, Mahalakshmi, Bombay-13, for the last three years, year-wise and the action taken so far to realise it and if not, the main reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Labour and Parliamentary Affairs (Dr. Ram Kripal Sinha) : The Employees' State Insurance Corporation has reported that the employer has paid the contributions by submission of contribution cards upto the contribution period ending January, 1978 which were due to be submitted by the 11th March, 1978. The Provident Fund Authorities have intimated that no provident fund dues are outstanding against the establishment for the last three years vjz. 1975-76 to 1977-78.

Prices of Iron

8417. **Shri Ishwar Chaudhry:**

Shri Mukhtiar Singh Malik:

Shri G.M. Banatwalla:

Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) the prices of iron at present as compared to the prices thereof in March, 1975;

(b) whether the prices of iron registered an unprecedented increase after March, 1977; and

(c) if so, the steps proposed to be taken by Government to check the rising prices of iron?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines Shri Karia Munda): (a) The stockyard price of pig iron (Faundry Grade H.M. IV) is Rs. 914/- per M.T. as compared to Rs. 840/- per M.T. in March, 1975.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

भारत इन्डोनेशिया सांस्कृतिक सम्बन्ध

8418. **श्री समर गुह :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इन्डोनेशिया के बाली द्वीप में भारत और इन्डोनेशिया के बीच सांस्कृतिक सम्बन्धों के लिए बड़ा स्रोत है ;

(ख) यदि हां, तो क्या बाली द्वीप में इन्डोनेशिया स्थित हमारे मिशन का कोई कार्यालय स्थापित किया गया है ;

(ग) यदि हां तो, तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ;

(घ) क्या भारत और इन्डोनेशिया के बीच सांस्कृतिक सम्बन्धों को प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहित करने और मजबूत करने के लिए राजनयिक मिशन ने गतिविधियां आरम्भ की हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्ड) : (क) इन्डोनेशिया और भारत के बीच पिछले अनेक वर्षों से सांस्कृतिक संपर्क हैं और बाली द्वीप, जो कि इंडोनेशिया का एक भाग है, भारत के साथ ऐसे परम्परागत संबंधों का एक उल्लेखनीय उदाहरण है।

(ख) और (ग) बाली में हमारा अलग से कोई कोंसलावास नहीं है। बाली के साथ सांस्कृतिक संपर्क बनाये रखने से संबंधित कार्यों का दायित्व जकार्ता स्थित भारतीय राजदूतावास का है।

(घ) और (ङ) यात्रा पर आने वा विशिष्ट व्यक्तियों को बाली की यात्रा करने का भी निमंत्रण दिया जाता है और पिछले वर्ष भारत से बाली में भारतीय कठपुतली नृत्य का कार्यक्रम भी प्रदर्शित किया गया था। बाली शान्ति सेना को महात्मा गांधी पर और उनके द्वारा लिखित पुस्तकों का अनुवाद करने लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। हिन्दू परिषद् और हिन्दू धर्म संस्थान, जिन्हें स्थानीय तौर पर एक विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दी गई है, को हम पुस्तकों आदि से सहायता कर रहे हैं।

काश्मीर

8419. **श्री चित्त बसु :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 19 मार्च, 1978 को पाकिस्तान सरकार के विदेश कार्यों के सलाहकार श्री आगा शाही द्वारा दिये गये इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि "कश्मीर के बारे में संयुक्त राष्ट्र का संकल्प निष्प्रभावी नहीं हुआ है" और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार महसूस करती है कि जम्मू और काश्मीर के प्रश्न पर शिमला समझौते के भाव और भाषा के अनुरूप द्विपक्षीय रूप से विचार-विनिमय किया जाना चाहिए।

संसद् सदस्यों के टेलीफोनों का ठीक प्रकार कार्य न करना

8420. **श्री ओ० वाई० कृष्णन** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली में संसद् सदस्यों के निवास स्थानों पर लगे टेलीफोनों के ठीक प्रकार से कार्य न करने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो उक्त टेलीफोनों के कार्य में सुधार करने के लिए सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय) : (क) जी हां। केवल 8 शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

(ख) संसद् सदस्यों के घरों में काम कर रहे सभी टेलीफोनों का निरीक्षण किया गया है, बाहरी और भीतरी संयंत्रों की पूरी तरह जांच की गयी है और जो भी खराबियां जानकारी में आई उन्हें ठीक कर दिया गया है। फिर भी, मुख्य रूप से जिन दो एक्सचेंजों से संसद् सदस्यों को टेलीफोन सेवा मिल रही है उन पर ट्राफिक का भार अधिक होने के कारण कुछ कठिनाई है। कुछ इलाकों को जोरबाग एक्सचेंज में अन्तरित करके इन एक्सचेंजों का ट्राफिक का भार कम करने के बारे में एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

उड़ीसा के मयूरगंज जिले के रायरंगपुर में फैरो-वैनेडियामय संयंत्र की स्थापना

8421. **श्री प्रद्युम्न बल** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में केन्द्रीय प्रक्षेत्रीय प्रमुख परियोजना के रूप में प्रस्तावित फैरो-वैनेडियम संयंत्र की स्थापना का कार्य उड़ीसा राज्य सरकार को सौंपा नहीं गया है;

(ख) परियोजना पर पहले कितनी लागत आने का अनुमान था और अब परियोजना पर कितनी लागत आने का अनुमान है;

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस परियोजना को केन्द्रीय क्षेत्रीय प्रमुख परियोजना के रूप में न स्थापित करने का क्या कारण हैं;

(घ) क्या मयूरभंज अधिसूचित पिछड़ा जिला है;

(ङ) यदि हां, तो क्या प्रस्तावित संयंत्र रियायती वित्त सहायता के लिए जिसमें सीधे 15% की राज सहायता शामिल है, पात्र हैं; और

(च) केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त संयंत्र के लिए राज्य सरकार को और क्या सहायता देने का प्रस्ताव है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) और (ग) उड़ीसा सरकार के, फैरो वैनेडियम का एक संयंत्र लगाने के प्रस्ताव की विस्तृत जांच करने के पश्चात् यह निर्णय लिया

गया था कि इसका कार्यान्वयन एक निर्याततोन्मुख परियोजना के रूप में राज्य सरकार द्वारा किया जाये जिसके लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता विदेशों से प्राप्त की जाए। फिर भी, इस बात पर विचार किए बिना कि क्या यह परियोजना राज्य-क्षेत्र में अथवा केन्द्रीय क्षेत्र में लगाई जायेगी, सरकार फैरो-वैनेडियम उत्पादों के लिए दीर्घावधि निर्यात आर्डर प्राप्त करने की सम्भावना के संदर्भ में इस परियोजना की तकनीकी और वित्तीय सक्षमता की जांच कर रही है।

(ख) आरम्भ में इस परियोजना पर 16 करोड़ रुपए खर्च आने का अनुमान था लेकिन अब 1975 के मूल्यों के आधार पर इस पर 18.50 करोड़ रुपए खर्च आने का अनुमान है।

(घ) और (ङ) प्रस्तावित संयंत्र-स्थल उड़ीसा के अधिसूचित पिछड़े जिले मयूरभंज में रायरंगपुर के पास होने से इसे रियायती वित्त सहायता जिसमें 15 लाख रुपए तक की 15% राज सहायता शामिल है, मिल सकेगी।

(च) उक्त कारखाना लगाने के लिए राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार द्वारा अन्य सहायता दिए जाने का प्रश्न तभी उठेगा जब पूंजी निवेश के बारे में निर्णय ले लिया जाएगा।

Meeting of Official Language Implementation Committee

8422. **Shri Nawab Singh Chauhan:** Will the Minister of **Parliamentary Affairs and Labour** be pleased to state:

(a) whether the Official Languages Implementation Committee has been constituted in his Ministry/Department;

(b) if so, the dates on which it held its meetings in 1977 and the decisions taken therein;

(c) the number of decisions, out of them fully implemented; and

(d) the reasons for the delay for implementing the remaining ones?

The Minister of Parliamentary Affairs and Labour (Shri Ravindra Varma): (a) Yes, Sir.

(b) The Committee met on the 11th August, 1977. More important of the decisions taken were:

(i) release of more staff to be trained in Hindi typing ;

(ii) more officers to be trained in the use of Hindi ;

(iii) creation of at least one post for attending to work in Hindi in each office—attached and subordinate ;

(iv) inspection of offices to assess the progress in the use of Hindi; and

(v) maintenance of a complete record of letters sent out in Hindi.

(c) and (d) Of the 14 decisions taken by the Committee 10 were fully implemented or noted for future action and 4 are in different stages of implementation.

Manuals/Forms in Use in the Ministry

†8423. **Shri Nawab Singh Chauhan:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) the total number of manuals and forms in use in the Ministry/Department;

(b) how many of them have been translated into Hindi and how many printed in bilingual form;

(c) the reasons for not translating or printing in bilingual form the rest of them; and

(d) when they are likely to be prepared in bilingual form?

The Minister of State in the Ministry of Communications (Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai): (a) 44 Manuals and over 1700 standard forms.

(b) 20 Manuals have been translated; 5 have already been printed in diglot form while 4 are under print. 10 have been printed in Hindi separately and the remaining one is under revision. In addition, 13 Manuals are under translation.

Of the standard forms, 600 are essential. Out of these essential forms, 581 have been translated; 575 are being printed bilingually and the remaining 6 are under revision.

24 UPU Forms used for dealing with foreign countries are printed in French and English only.

Of the remaining non-essential forms 246 have been translated into Hindi and 157 printed/cyclostyled bilingually and the rest are being printed/cyclostyled.

(c) & (d) Action is being taken to get the remaining Manuals and forms prepared bilingually as soon as possible.

Contract of Publicity of India in U.S.A.

8424. **Shri Yadvendra Dutt:** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether any publicity agency or any particular person has been given contract for publicity of India in United States of America;

(b) if so, the terms and conditions thereof and the names of the firm and person given contract and when it was given; and

(c) the amount paid to the firm or person by the Government of India during the period from 9th January, 1970 to 31st March, 1977?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Samarendra Kundu): (a) & (b) A private agency called Public Relations Attaches International is being utilised by the Economic Wing of our Embassy in Washington. Shri Janki Ganju is the Principal of this firm which was engaged by the Government of India in U.S.A. for the publicity work on the economic side. His contract has been renewed for a period of one year only w.e.f. 1-3-78, instead of three years as was done in the past. According to the terms of the contract P RAI is to be paid an amount not exceeding annually 60,000 dollars. The agency has been in employment since 19-8-1765.

(c) The amounts paid to the firm in the financial years 1970-71 to 1976-77 are as follows:

1970-71	$53,586.58
1971-72	$52,465.57
1972-73	$56,258.74

1973-74	$50,652.02
1974-75 . . .	$56,963.47
1975-76	$57,500.00
1976-77 .	$59,983.91

ईरान में भारतीय श्रमिकों के बारे में बातचीत

8425. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय श्रम मंत्री और ईरान के श्रम मंत्री अमीर घासीन मोइन के बीच 21 मार्च, 1978 को या इसके आसपास ईरान में भारतीय श्रमिकों की भर्ती की समस्या के बारे में बातचीत हुई थी ;

(ख) क्या सरकारी स्तर पर कुशल और अर्द्धकुशल श्रमिकों की भर्ती करने के लिए दलीलें दी गई हैं ; और

(ग) आगामी दो वर्षों में ईरान में कुशल और अर्द्धकुशल श्रमिकों के लिए कितने रोजगार उपलब्ध होंगे ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) विचार-विमर्श के दौरान, ईरान के श्रम और समाज कल्याण मंत्री ने इच्छा प्रकट की थी कि ईरान की कुशल कर्मकारों की आवश्यकताओं के बारे में सरकारी स्तर पर कार्यवाही की जाए।

(ग) दीर्घ कालीन आवश्यकताओं के बारे में अनुमान उपलब्ध नहीं है। तथापि, ईरान के लगभग 30 नियोजक लगभग 2,000 कर्मकारों की शीघ्र भर्ती करना चाहते हैं।

निर्यातकर्ताओं को पाकिस्तान के लिए वीसा प्राप्त करने में कठिनाई

8426. **श्री निर्मल चन्द्र जैन** :

श्री महेन्द्र सिंह सैंयावाला :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार की जानकारी में आई है कि पाकिस्तान से व्यापार सम्बन्ध रखने वाले निर्यातकर्ताओं का अपना व्यापार बढ़ाने अथवा समस्याएं हल करने के लिये उस देश का दौरा करने हेतु वीसा प्राप्त करने में भारी कठिनाई का अनुभव हो रहा है ; और

(ख) इन आरोपों को ध्यान में रखते हुए कि आवेदन पत्रों को या तो अस्वीकार कर दिया गया अथवा उनमें असाधारण विलम्ब किया जाता है, भारत सरकार का उक्त व्यापारियों को शीघ्र और प्रभावशाली ढंग से वीसा उपलब्ध करवाने में सहायता देने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) :(क) और (ख) सम्पर्क किये जाने पर सरकार पाकिस्तानी राजदूतावास को परिचय पत्र जारी करके वास्तविक व्यापारियों को पाकिस्तान के लिए वीसा प्राप्त करने में सहायता देती है। जहाँ तक सरकार को जानकारी है ऐसे मामलों में पाकिस्तानी राजदूतावास द्वारा अविलम्ब वीसा जारी कर दिए जाते हैं।

आपात स्थिति के दौरान नसबन्दी

8427. **डा० वसन्त कुमार पंडित : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने विभिन्न राज्यों के स्वास्थ्य विभागों को, आपातस्थित के दौरान गलत तथा जबरन नसबंदी के ऐसे मामलों का पता लगाने के निदेश दिये हैं जिनमें नसों को पुनः जोडा जा सकता हो,

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में ऐसे युवकों की नसें पुनः जोड़ने के कितने आपरेशन किये गये जो अविवाहित थे अथवा जिनके तीन से कम बच्चे थे अथवा ऐसे ही अन्य मामले थे, और

(ग) क्या सरकार ने नसें जोड़ने के इन मामलों को सफल बनाने आदि के लिए आपरेशन के बाद उपचार करने की कोई प्रणाली अथवा व्यवस्था स्थापित की है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) भारत सरकार ने सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से अनुरोध किया है कि जो-जो व्यक्ति (दोनों पुरूष और महिला) नस को पुनः जुड़वाने (रीकेनेलाइजेशन) की सुविधाओं की मांग करें वे उन्हें ये सुविधाएं तुरन्त मुफ्त मुहेया करा दें, भले ही उनके जीवित बच्चों की संख्या कितनी हो। राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे नस को पुनः जोड़ने की सुविधाओं के प्रबंध के बारे में व्यापक प्रचार करें ।

(ख) अपेक्षित सूचना सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों से एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) तकनीकी प्रकार से नस जोड़ने का आपरेशन तो किया जा सकता है, पर अभी तक इस प्रकार के आपरेशन सामान्यतया 25% से 30% केसों में ही सफल होते हैं। यह आपरेशन शत प्रतिशत लोगों में सफल हो इसके लिए भारत व अन्य देशों में भी शोध कार्य किया जा रहा है।

जाली पारपत्रों का पकड़ा जाना

8428. **डा० वसन्त कुमार पंडित : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुलिस के विशेष केन्द्रीय गुप्तचर विभाग ने किर्की (पुणे) में जाली पारपत्र पकड़े थे, यदि हां, तो कितने ;

(ख) उपर्युक्त मामले में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है ;

(ग) क्या यह सच है कि खाड़ी देशों में नौकरियों के लिये जाने के इच्छुक विभिन्न व्यक्तियों को धोखा देने के लिए कुछ गिरोह काम कर रहे हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) पुलिस ने 6 फरवरी, 1978 तथा 8 फरवरी, 1978 को 15 पासपोर्ट जब्त किये थे किन्तु बताया जाता है कि ये पासपोर्ट अपने आप में जाली नहीं थे। फिर भी यह बताया गया है कि इन पासपोर्टों में से नौ पर कुवैत के लिए जो वीसा जारी किये गये थे वे जाली हो सकते हैं ; शेष छह पासपोर्ट बिना वीसा के थे।

(ख) एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में जिन तीन अन्य व्यक्तियों की तलाश है, वे फरार हैं ।

है (ग) जी, हां। रोजगार के लिए खाड़ी के देशों को जाने के उत्सुक व्यक्तियों को ठगने और धोखा देने के मामलों की सूचना मिली है और जब कभी भी ऐसे मामले केन्द्रीय सरकार की जानकारी में आते हैं, उचित कार्रवाई के लिए सम्बद्ध राज्य प्राधिकारियों को इनकी सूचना दे दी जाती है।

Fall in Production in Hindustan Copper, Khetri and its Causes

8430. **Shri Bhanu Kumar Shastri:** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) whether the production of Copper in Hindustan Copper Ltd., Khetri has fallen; and

(b) if so, the reasons therefore and action being taken by Government against those responsible?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Karia Manda)(a) Yes, Sir.

(b) The fall in production at Khetri during 1977-78 was mainly due to the following reasons :—

(i) Technological problems faced at Khetri Smelter.

(ii) The strike by workmen at Khetri Copper Complex w.e.f. 25.2.78 to 17.4.78.

(iii) Severe power cuts imposed by RSEB.

Hindustan Copper Ltd. have obtained the services of M/s. Furukawa of Japan in September, 1977 to assist them in improving the Khetri smelter operations. As a result of this, distinct improvement has been noticed in the smelter operations from December, 1977 onwards.

As a result of efforts made by the Management and the Government, the strike at Khetri was called off following the signing of a memorandum of settlement on 17.4.78 between the Management and the Unions; this should now ensure industrial peace at Khetri. Efforts have also been made for improving the power supply. In view of the reasons for the decline in output at Khetri, the question of taking action against any persons does not arise.

Telephone Connection to Milk Producers Cooperative Societies, Saldi and Sankarpura

8431. **Shri Motibhai R. Chaudhary:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether the demand made by the Milk Producers Cooperative Societies of Saldi and Sankarpura villages for telephone connection from Langhonj Telephone Exchange has been pending for the last two years and money in this regard has also been deposited; and

(b) whether telephone connection will soon be provided keeping in view that it is not an individual demand but it is the demand of the cooperative Society which is a public body?

The Minister of State in the Ministry of Communications (Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai): (a) & (b): The telephone connections for the Milk Producers Cooperative Societies of Saldi and Sankarpura villages were provided on 26-12-77 and 29-11-77 respectively from Langhnaj exchange.

Telephone Connection to Milk Producers' Cooperative Society of Dela and Tapadia

8432. **Shri Motibhai R. Chaudhary:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) since when the demand made by the Milk Producers' Cooperative Society of Dela and Tapadia villages for telephone connection from Mehsana Telephone Exchange is pending and

(b) whether in the absence of telephone facility in the village the Members of the Society are deprived of the facility of cattle treatment from Mehsana Cooperative Dairy in time as a result of which cattle of the poor persons sometimes die, and whether keeping this fact in view telephone connection will be provided to the Society at an early date as their demand is pending for the last two years?

The Minister of State in the Ministry of Communications (Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai): (a) & (b): Telephone Connection for Milk Producers Cooperative Society of Dela has been provided on 29-3-78. The demand from Milk Producers Cooperative Society, Tapadia is pending since 3-8-1974. The work is held up for want of permission from Railway Authorities to cross the track.

Telephone Connection to Gangte Milk Producers Cooperative Society

†**8433. Shri Motibhai R. Chaudhary:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) when money for a telephone connection from Ghanasya Exchange was deposited with telephone authorites by the Gangte Milk Producers' Cooperative Society ;

(b) the reasons for not giving a telephone connection to them so far ; and

(c) when the same will be provided and whether this will be accorded priority in view of the fact that the demand is from a cooperative sector ?

Minister of State in the Ministry of Communications (Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai): (a) The advance deposit for registering the demand was paid on 28-1-1976.

(b) and (c)

The telephone connection is required at a distance of 5 Kms from the nearest exchange at Ranjuj. It requires large quantities of line stores which are in short supply. There are some earlier long distance demands also pending. All the pending demands will be cleared in turn on availability of stores. No priority is permissible under rules.

8434. Refugee Exodus from Bangladesh (Shri S.S. Somani) Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether a large number of refugees have crossed over to India from Bangla Desh recently ;

(b) if so, the details in this regard ; and

(c) the reaction of the Government of India thereto ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Samarendra Kundu): (a) to (c): Some migration of erstwhile Pakistani and how Bangladeshi nationals into India had been taking place since partition and even earlier and has continued in recent months also. According to the statistics available with the Government of India, the number of Bangladeshis who have been detected while trying to cross over to India without possessing

valid travel documents is about the same as during the previous quarter. Government of India have had the opportunity of explaining their policy during the discussions on this subject in the Lok Sabha on 1st December, 1977. There has been no change in the position since then.

Buildings Hired by C.G.H.S.

8435. **Shri Daya Ram Shakya:** Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state:

(a) the number of buildings in Delhi, Meerut, Kanpur, Calcutta, Bombay hired by the Central Government Health Scheme for their dispensaries and the amount of rent paid every year in respect of them; and

(b) whether Government have purchased land in the aforesaid cities for constructing buildings for their dispensaries during the last 2 years and when construction work is likely to be completed?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav: (a) A statement is attached at Annexure.

(b) During the last 2 years, land has been purchased for the construction of a building for C.G.H.S. Dispensary in Tilak Nagar, Delhi. The preliminary estimates for the building are awaited from the CPWD.

Land has, however, been already purchased for the construction of buildings for the CGHS Dispensaries in the following areas. The position of construction of buildings is shown against each:—

A. *Delhi:*

(i) *Hauz Khas:* Construction work is in progress.

(ii) *Naraina:* CPWD is being pursued to start the construction work.

(iii) *Nangal Rai:* Sanction has been issued and the building plans have been submitted to Urban Arts Commission/Delhi Development Authority for clearance.

(iv) *Hari Nagar:* The preliminary estimates are awaited from the C.P.W.D.

B. *Bombay:*

Worli: The land has been acquired and action for issue of administrative sanction for construction of a building is being taken.

No land has so far been purchased for the construction of buildings for the CGHS Dispensaries at Meerut, Kanpur and Calcutta.

Statement

Sl. No.	Cities	No. of buildings hired by the CGHS for dispensaries	Amount of rent paid every year
			Rs.
1.	Delhi	21	1,49,452.80
2.	Meerut	4	23,220.00
3.	Kanpur	6	77,400.00
4.	Calcutta	4	57,528.00
5.	Bombay	3	25,140.00

बंगला देश में शरणार्थियों द्वारा छोड़ी गई सम्पत्तियों का मूल्यांकन

8436 **श्री प्रसन्नभाई मेहता**: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय राष्ट्रिकों द्वारा शत्रु सम्पत्ति के अभिरक्षकों पर दायर किये गए दावों की सहायता से भारतीय राष्ट्रिकों द्वारा भूतपूर्व पाकिस्तान (अब बंगला देश) में छोड़ी गई सम्पत्तियों की कुल कीमत का अद्यतन मूल्यांकन करने का एक प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन था;

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक मूल्यांकन किया गया है; और

(ग) पुनर्मूल्यांकन के अनुसार कीमत क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेंद्र कुण्डु): जी, हां।

(ख) और (ग): 56,000 भारतीय राष्ट्रिकों ने पहले के पूर्व पाकिस्तान (अब बंगलादेश) में छोड़ी गई अपनी संम्पत्ति के विषय में शत्रु-संपत्ति संरक्षक बम्बई के यहां दावे दाखिल किये हैं। इन दावों का आकलन, जिसमें भारतीय राष्ट्रिकों द्वारा वहां छोड़ी गई समस्त सम्पत्ति स्पष्टतया शामिल नहीं है, किया जा रहा है और उम्मीद है कि इसमें पूरा होते-होते दो वर्ष लग जायेंगे।

Opening of P.C.O's in Gujarat

†8437. **Shri Dharamsinhbhai Patel** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the number of P.C.O.'s for long distance calls opened in Gujarat in 1977-78 and proposed to be opened in 1978-79 ;

(b) the names of villages, Taluka-wise in Vanthali, Manavadar, Kutiyana , Ranavay, Porbandar. Mangrol talukas of District Junagadh and Dhoraji, Kandorna-Jam, Upleta Talukas of District Rajkot and Jam Jodhpur and Lalpur Talukas of District Jamnagar where P.C.O.'s have been opened during 1977-78 indicating the number of P.C.O.'s in each village and the names of villages in the said talukas where P.C.O.'s are yet to be opened ;

(c) the names of villages in talukas of the said theree Districts where P.C.O.'s are proposed to be opened during 1978-79 indicating the total number of P.C.O.'s ; and

(d) the names of villages taluka-wise of the said Districts mentioned in Part (b) where P.C.O.'s are working after their completion as well as the names of villages where work is still going on and when it is likely to be completed ?

Minister of State in the Ministry of Communications (Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai) : (a) 210 long-distance PCO's have been opened in Gujarat during 1977-78, and it is proposed to open 130 PCOs during 1978-79.

(b) to (d) : Imformation is given in the Annexure. All villages other than the ten mentioned in the last column of the annexure do not have PCOs. No work for opening PCOs in any of the districts mentioned in part (b) of the question is in progress at present.

'Statement'

Public Call offices

Name of Distt/ Taluka	Opened during 1977-78	Proposed in 1978-79	Existing as on date
District Junagadh			
1. Vanthali	Dhandhusar	Kanja, Thanapi ; li,	Dhamdhusar
2. Manavadar	Pajod	Limbuda, Sanosara Nandia, Motiyana and Koylana	Pajod
3. Kutiyana	Mahiyari	Devda, Khagoshri	Mahiyari
4. Ranavav	—	Mokad, Vadvalarana	Rana Kandorna.
5. Porbandar	Navinbandar	Shodhana, Khatana, Modhwada, Balcharala, Odder, Bhad, Garaj, Bulej, Kadachh, Mander and Bokhina	Navivandei and Begavadar
6. Mangrol	Juthal	Mekhadi	Juthal
District Rajkot			
7. Dhoraji	—	—	Pipliya
8. Kandornajam	—	—	—
8. Upleta	—	—	Karachia
District Jamnagar			
10. Jamjodhpur	—	—	Rangpur
11. Lalpur	—	—	—

हिन्द महासागर के बारे में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच बातचीत का परिणाम

8438 **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 3 अप्रैल, 1978 के नई दिल्ली से प्रकाशित "पैट्रियट" समाचारपत्र में 'डिस्मेंटल ओशन बेसीन सेज एलीव" शीर्षक समाचार की ओर सरकार का ध्यान गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या इस बारे में संयुक्त राज्य अमरीका और रूस के प्रतिनिधियों के बीच हुई बातचीत के परिणाम की सरकार को जानकारी है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और विदेशी अधिपत्य से "दीएगो गार्सिया" पूर्णतः मुक्त करने को दृष्टि में रखते हुए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (समरेन्द्र कुण्डु) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) हिन्द महासागर में शस्त्र–बपरिसीमन के उपायों से संबद्ध प्रश्नों के बारे में जो बातचीत चल रही है, उसके संबंध में भारत सरकार, संयुक्त राज्य अमरीका और सोवियत समाजवादी गणराज्य कि सरकार से संपर्क बनाये हुए हैं।

इस प्रश्न पर हमारी स्थिति सुविदित है। हम हिन्द महासागर में शांति क्षेत्र की स्थापना लिए और इस क्षेत्र में विदेशी सैनिक उपस्थित को और अड्डों को समाप्त करने की दिशा में काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और यह बात हमने बड़ी शक्तियों की पुन बताई है हमारी नीति इस विषय पर संयुक्त राष्ट्र के संकल्पों के अनुरूप हैं। हम सामान रूप से सोचने वाले दूसरे राज्यों के साथ मिलकर प्रयत्न कर रहे हैं जिसमें हिन्द महासागर के अधिकांश तटवर्ती और पश्च राज्य तथा गुट-निरपेक्ष आंदोलन के राज्य शामिल हैं।

अधिकारियों के निवास स्थान पर टैलीफोन

8439. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पदों के कार्मिकों की संख्या सहित मंत्रालय से सम्बद्ध विभिन्न अधिकारियों के निवास-स्थानों पर कुल कितने टेलीफोन लगाये गये हैं ;

(ख) क्या मोटर गाड़ियों के कुछ ड्राइवरों के निवास-स्थानों पर भी टेलीफोन लगाये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो उनके मंत्रालय से सम्बद्ध ऐसे कुल कितने ड्राइवरों के निवास-स्थानों पर टेलीफोन सुविधा है और उन पर प्रतिवर्ष औसतन कितनी लागत और खर्च आता है; और

(घ) क्या ऐसी सुविधा अन्य मंत्रालयों/भारत सरकार के अधिकरियों से सम्बद्ध ड्राइवरों को भी दी गई है और यदि हां, तो उनके मंत्रालय में काम कर रहे ऐसे आदमियों को यह सुविधा देने के क्या कारण है ?

संचार मंत्रालल में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय) : (क) 219 (डाक-तार) महानिदेशालय के पदाधिकारियों सहित)।

(ख) और (ग) जी हां। टेलीफोन सुविधा रखने वाले ड्राइवरों की संख्या 9 है। ये "सर्विस" कनेक्शन है ।

(घ) सभी मंत्रालयों आदि की जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है।

महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में दूर संचार के लिये दिया गया धन

8440. **श्री बसंत साठे** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में विभिन्न दूरसंचार सुविधाओं के लिए कुल कितना धन स्वीकृत किया गया तथा 1977-78 के दौरान स्वीकृत महत्वपूर्ण परियोजनाओं/निष्पादित की जा रही परियोजनाओं का ब्योरा क्या है ?

(ख) महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए सामान्यतया वास्तविक और वित्तीय दोनों ही अर्थों में वास्तविक कार्य निष्पादन का ब्योरा क्या है और परियोजना-वार ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या आकोला स्थित परियोजना सहित कुछ परियोजनाओं का कार्य निश्चित समय से पीछे पड़ गया है और इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) कार्यक्रम निष्पादन में तेजी लाने के लिए क्या विशेष कार्यवाही की गई है, करने का प्रस्ताव है और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्हें लागू करने के विशेष बल सहित 1978-79 के लिए प्रस्तावित/स्वीकृत कार्यक्रम का ब्योरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय) : (क) और (ख) : (I) महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में दूरसंचार सुविधाएं देने के लिए वर्ष 1977-78 के दौरान अनुमोदित निधियां :—

(1) दी गई कुल निधि	91 लाख 83 हजार
(2) खर्च की गई वास्तविक निधि	60 लाख 30 हजार (अनुमानित)

(II) महत्वपूर्ण परियोजनाएं और उनकी प्रगति :

(1) नागपुर में 2000 लाइनों का ट्रंक आटोमटिक एक्सचेंज स्थापित करना	स्थापना कार्य फरवरी, 1978 में शुरू हुआ।
(2) इतवारी एक्सचेंज में 1200 लाइनों का विस्तार कार्य	300 लाइनों का काम पूरा हो चुका है। आशा है कि 900 लाइनें 1978-79 में चालू हो जायेंगे।
(3) अकोला में आटोमेटिक टेलीफोन एक्सचेंज इमारत का निर्माण कार्य	टेंडर मंजूर कर लिए गए हैं और कार्य आदेश दे दिया गया है। इस बीच मैनुअल एक्सचेंज में 1200 से बढ़ा कर 1320 लाइनें कर दी गई हैं।
(4) यवतमाल आटोमटिक एक्सचेंज में 100 लाइनों का विस्तार कार्य	आई०टी०आे० ने उपस्कर सप्लाई करना शुरू कर दिया है।
(5) मलकापुर मैनुअल एक्सचेंज का विस्तार कार्य	240 से 360 लाइनों का विस्तार कार्य पूरा हो गया है।
(6) देहाती इलाकों में छोटे एक्सचेंज खोलना	10 नए एक्सचेंज चालू कर दिए गए हैं।
(7) देहाती इलाकों में लम्बी दूरी के पी० सी० ओ० खोलना	9 नए पी० सी० ओ० खोले गए हैं।

(ग) जी हां।

(घ) अकोला में इमारत के निर्माण का कार्य सौंप दिया गया है। आई०टी०आई० के 1979-80 के उत्पादनन कार्यक्रम में उपस्कर अलाट कर दिए गए हैं। आशा है कि आटोमैटिक एक्सचेंज 1982 तक चालू हो जाएगा। 1978-79 के लिये नीचे लिखे अन्य कार्यों की स्वीकृति दे दी गई है :—

(1) इतवारी आटोमैटिक एक्सचेंज के लिए 900 लाइनों का विस्तार कार्य।

(2) छोटे आटोमैटिक एक्सचेंजों की क्षमता में 2000 लाइनें बढ़ाना।

(3) देहाती इलाकों में 7 छोटे आटोमैटिक एक्सचेंज खोलना।

(4) देहाती इलाक़ों में लम्बी दूरी के 23 पी०सी०ओ० खोलना।

8441. **श्री दुर्गाचन्द :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में गांधीजी और उनके उपदेशों का किसी न किसी रूप में सम्मान करने के बारे में विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों से सरकार ने सूचना एकत्र की है; और

(ख) यदि हां, तो उन देशों में उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां गांधीजी की प्रतिमा स्थापित करके और उनके उपदेशों का प्रचार करके गांधीजी को सम्मानित किया गया है?

विदेश मंत्रायल में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डु) : (क) गांधी जयन्ती तथा शहीद दिवस के अवसर पर हमारे विदेश स्थित बहुत से भारतीय मिशन या तो अपने आप ही या फिर किसी स्थानीय संगठन/संस्था के माध्यम से उपयुक्त कार्यक्रम आयोजित करते हैं। यह आयोजन व्याख्यान, विचार-गोष्ठी तथा फिल्म प्रदर्शन के रूप में किया जाता है। कुछ देशों में इनमें दिलचस्पी रखने वाले सांस्कृतिक संगठन हमारे मिशनों के सहयोग से विशेष कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं?

(ख) सदन की मेज पर एक विवरण रख दिया गया है जिसमें इस बात का ब्योरा है कि किन-किन स्थानों पर गांधीजी के प्रति आदर के प्रतीक के रूप में उपयुक्त स्मारक बनाकर या प्रतिमा, अथवा किसी अन्य तरीके से उनका सम्मान या उन्हें स्मरण किया गया है।

विवरण

क		ख	
क. गांधीजी के नाम पर	**स्कूल/पुस्तकालय/सड़क**	**ख. गांधीजी की प्रतिमा तथा अर्धप्रतिमा**	
1. एक स्कूल	मोन्टेविदिवो (उग्न्वे)	1. प्रतिमा	मोन्टोविदि ो (उरुग्वे)
2. एक स्कूल एक पुस्तकालय	क़ोरडोबा रोजारिओ (अर्जेन्टिना)	2. अर्ध प्रतिमा	सिंगापुर के स्मारक हाल में
3. एक स्मारक हाल	सिंगापुर	3. प्रतिमा	पनामा सिटी
4. एक सडक	नैरोबी (कीनिया)	4. प्रतिमा	बेंकुवर (कनाडा)
5. एक स्कूल	क़ोनाक्री (गिनी)	5. अर्धप्रतिमा	काराकस (वैनेज्युला)
6. एक सड़क	ट्यूनिस (ट्यूनिसिया)	6. प्रतिमा	टाविस्टाक स्क्वायर लंदन
7. गांधी जी का जन्म दिवस शांति दिवस के रूप में मनाया गया	न्यू जरसी (संयुक्त राज्य अमरीका)	7. प्रतिमा	ब्रसल्स (बेल्जियम)
8. एक सड़क	रबात (मोरक्को)	8. -वही-	लक्जेम्बर्ग
9. एक दवाखाना एक स्कूल कुछ सड़कें	लिविंगस्टोन (जाम्बिया) (लुसाका)	9 -वही-	गुयाना
10. एक एवेन्यू	कराकस (वेनेज्यूला)	10. -वही-	सांतियागों (चिली)
11. एक सड़क	मोगाडिशू (सोमालिया)	11. -वही-	रियो-व-जैनेरियो

12. एक पुस्तकालय	बैंकाक (थाइलैण्ड)	12. -वही-	लीमा सिटी (पैरू)
13. स्मारक संस्थाएं	नानोया, माताली, क़ोलम्बा, उरुथिरापुरम जपना, (श्रीलंका) किलोनोच्ची	13. -वही-	मैक्सिक़ो सिटी (मैक्सिको)
14. एक प्राथमिक पाठशाला	रोम (इटली)	14. तथा	
15. एक सड़क	खारतूम (सूडान)	15. -वही-	1. पोर्ट आफ स्पेन 2. सानफर्नेण्डस (त्रिनीडाड)
16. एक सड़क	ब्लाटायर (मालावी)	16. अर्थ प्रातमा	सुवा (फिजी)
17. एक संस्थान	वाशिंगटन (संयुक्त राज्य अमरीका)	17. प्रतिमा	पारामारिबो (सूरीनाम)
18. एक स्मारक़ संस्थान	निक़ोसिया (साइप्रस)		
19. एक स्मारक़ हाल	रंगून (बर्मा)		
20. एकायार्क़	सांतियागो (चिली)		
21. एक स्क्वैयर	रियो-द-जैनेरियो (ब्राजील)		
22. एक पार्क़	लीमा (पेरू)		
23. एक सड़क़	मैक्सिक़ो सिटी (मैक्सिक़ो)		
24. एक स्क़ूल	सुवा (फिजी)		
25. एक संस्थान	पोर्ट लुई		

ग. विदेश में गांधी जी के उपदेशों के प्रचार में लगे संगठन:

1. गांधी पीस लोग	तोकिया (जापान)
2. दि गांधी फेडारेशन लीग	तोकियो

चीन और पाकिस्तान को सद्भावना मिशन का भेजा जाना

8442. **श्री दुर्गाचन्द** : क्या विदेश मंत्री यह बताने क़ी कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में चीन और पाकिस्तान क़ो सद्भावना मिशन भेजने के बारे में सरकार से निर्णय किया है ।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ; और

(ग) इन देशों क़ो मिशन कब तक भेजे जायेंगे ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डु) : (क) से (ग) इस समय चीन और पाकिस्तान का किसी भी सद्भावना मिशन के भेजे जाने का क़ोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । हाल ही में इन देशों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में यात्राओं का आदान-प्रदान हुआ है और निकट भविष्य में आगे और भी हो सकता है । ऐसा अनुभव किया जाता है कि ऐसी यात्राएं दोनों देशों के बीच परस्पर सद्भावना उत्पन्न करने में सहायक होगी ।

राउरकेला इस्पात नगर के लिये भूमि का अधिग्रहण

8443, **श्री दुर्गाचन्द** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राउरकेला इस्पात नगर हेतू भूमि का अधिग्रहण करने के लिए अनेक लोगों को वहां से हटाया गया था ;

(ख) क्या यह सच है कि उनमें से अनेक लोक़ आदिवासी हैं;

(ग) दि हां, तो इस उद्देश्य के लिए कितने एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया और इस अधिग्रहण का कितने लोगों पर प्रभाव पड़ा, और

(घ) इस संबंध में अभी तक कितने मामले निपटान के लिए अनिर्णित पड़े हैं तथा इसके क्या कारण हैं और इन्हें कब तक निपटा दिया जायेगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया गुण्डा) : (क) से (घ) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

डाक तथा तार विभाग के अधिकारियों का स्थानान्तरण

8444. **श्री सूरजभान** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की हुआ करेंगे कि :

(क) क्या डाक सेवा निदेशक विभिन्न डाकघरों में लोअर सलेक्शन ग्रेड के अधिकारियों का स्थानान्तरण और नियुक्तियां सर्किल आधार पर करता है ;

(ख) क्या ऐसे स्थानानन्तरण और नियुक्तियों से ऐसे सर्किलों जो भिन्न-भिन्न भाषाई क्षेत्रों से मिलकर बनते हैं, अर्थात उत्तर पश्चिमी सर्किल. के अधिकारियों को भारी कठिनाई होती है और स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की शिक्षा में बाधा पड़ती है;

(ग) क्या विभाग ने इन अधिक वेतन न पाने वाले कर्मचारियों क़ी कठिनाइयां दूर करने के लिए कोई कार्यवाही की हैं; यदि हां तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ;

(घ) क्या ऐसे स्थानान्तरणों को विशेष भाषाई क्षेत्र तक सीमित रखना व्यवहार्य नहीं है, यदि नहीं, तो क्यों ; और

(ड) अब जबकि सभी डाक सर्किलों में से एक से अधिक डाक सर्किल निदेशक हैं तो क्या यह संभव नहीं है कि उन्हें क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार प्रदान किया जाये ताकि क्षेत्र क़ी विकास संबंधी आवश्यकताओं के समुचित मूल्यांकन के अतिरिक्त एक ही भाषा वाले क्षेत्र में अधिकारियों क़े स्थानान्तण के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय) : (क) जी हां।

(ख) स्थानान्तरण और नियुक्तियां सर्किल प्राधिकारियों द्वारा पास के डिवीजनों में उपलब्ध खाली जगहों के अनुसार की जाती हैं । ऐसी हिदायतें हैं कि शिक्षा सत्र के मध्य में स्थानान्तरण/नियुक्तियां यथा संभव न की जाए।

(ग) मूल डिवीजन में नियुक्ति संबंधी अर्जियों पर जहां औचत्य होता है हमेशा सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाता है और जैसें ही जगहें उपलब्ध होती हैं मूल डिवीजनों में स्थानान्तरण क़े आदेश जारी कर दिए जाते हैं।

(घ) ऐसे कर्मचारियों की सेवा का क्षेत्र परे सर्किल में फैला है। इस बात के लिए हमेशा प्रयास किए जाते हैं कि ऐसे कर्मचारियों को जहां तक जगहें उपलब्ध हों पड़ोस के डिवीजनों में रखा जाए।

(ङ) डाक सेवा के निदेशकों को क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र दिया जाता है। किन्तु लोवरसेलेक्शन ग्रेड कर्मचारियों का स्थानान्तरण पूरे सर्किल में होता है, क्योंकि यह एक सर्किल काडर है, डिवीजनल काडर नहीं है।

विभिन्न वस्तुओं के पारगमन और उनकी डिलीवरी के लिये सिद्धांत

8445. **श्री सूरज भान :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तथा तार विभाग ने विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के पारगमन और उनकी डिलीवरी के लिये कोई सिद्धांत निर्धारित किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उक्त सिद्धांत कब निर्धारित किये गये और उनका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इन सिद्धांतों का पालन किया जा रहा है या तब से कोई परिवर्तन किया गया है और उसका औचित्य क्या है; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिये क्या व्यवस्था है कि लोगों को पर्याप्त संतोष प्रदान करने हेतु इन सिद्धांतों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय) : (क) जी हां।

(ख) वर्ष 1967 में।

विभिन्न प्रकार की डाक वस्तुओं के लिये वितरण के मानदण्डों के ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

(क) प्रथम श्रेणी की डाक

(i) स्थानीय डाक

यदि प्रातः 8 बजे से पहले डाक में डाली गई हो तो उसी दिन अन्यथा 1 दिन।

(ii) जिले के अन्दर

2 दिन से अधिक नहीं।

(iii) राज्य के अन्दर

3 दिन से अधिक नहीं।

(iv) देश में किसी भी स्थान पर

7 दिन से अधिक नहीं।

टिप्पणी :—रजिस्ट्री डाक वस्तुओं के लिये एक दिन और जोड़ दें।

(ख) पेकेट और पार्सल :

(i) स्थानीय डाक : 1 दिन

(ii) जिले के अन्दर : 3 दिन से अधिक नहीं।

(iii) राज्य के अन्दर : 7 दिन से अधिक नहीं।

(iv) देश में किसी भी स्थान पर : प्रति 300 किलोमीटर के लिये एक दिन।

(ग) मनीआर्डर

(i) स्थानीय --2 दिन

(ii) जिले के अन्दर 3 दिन से अधिक नहीं

(iii) राज्य के अन्दर 7 दिन से अधिक नहीं ।

जिन मामलों में मनीआर्डर किसी देहाती इलाके से जारी किया जाता है या किसी देहाती इलाके में उसका भुगतान करना होता है उनमें 3 दिन और लग सकते हैं

(iv) देश में किसी भी स्थान पर : 8 दिन से अधिक नहीं।

(ग) जी हां । सेवा भंग दुर्घटनाओं और डाक के गलत जगह जाने के मामलों को छोड़ कर इन मानदंडों का यथा संभव पालन किया जा रहा है । कुछ पहाड़ी स्थानों या दूर-दराज के देहाती इलाकों में यांत्रिक परिवहन के अभाव में परिवहन समय अधिक लग सकता है। इनमें अभी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, क्योंकि निर्धारित मानदण्ड संतोषजनक ढंग से काम कर रहे हैं ।

(घ) सभी पर्यवेक्षण अधिकारी नियमित रूप से परीक्षण के तौर पर पत्र पोस्ट करते हैं, ताकि इस बात की जांच की जा सके कि इन मानदण्डों का पालन हो रहा है या नहीं । मानदंडों को बनाये रखने के लिये पर्यवेक्षण कर्मचारियों द्वारा डाक वस्तुओं को एकत्र करने से लेकर उनके वितरण तक लगातार जांच की जाती है ।

दिल्ली में टैलीफोनों की खराबियां दूर करने के लिये सिद्धांत

8446. **श्री सूरज भान** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या टैलीफोन कनेक्शनों और लाइनों की खराबियां दूर करने के लिये कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है और यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये क्या सिद्धांत निर्धारित किये गये हैं ।

(ख) क्या इन सिद्धांतों का पालन किया जा रहा है और यदि नहीं, तो कितने प्रतिशत मामलों में खराबी निर्धारित अवधि के बाद भी बनी रहती है ;

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है कि निर्धारित सिद्धांतों का पालन किया जाये ; और

(घ) दिल्ली के किन एक्सचेंजों और इस समय सर्किलों में खराबियों की शिकायतों की सूची सबसे बड़ी है और किन सर्किलों में यह सूची बड़ी है जिनमें निर्धारित समय-सीम के भीतर शिकायतें दूर नहीं की जाती हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय) : (क) टैलीफोन कनेक्शनों की खराबियां दूर करने के लिये नियंत्रण सीमा औसत रूप में बरसात के समय में 3 घंटे और बरसात के बाद के समय में 2.5 घंटे निर्धारित की गई है ।

(ख) दिल्ली कैंट, तीस हजारी और हौज़ खास एक्सचेंजों को छोड़ कर दिल्ली के बाकी सभी एक्सचेंज इन औसत सीमाओं को बनाये हुए हैं ।

इन एक्सचेंजों में खराबियां कितने प्रतिशत मामलों में निर्धारित अवधि के बाद भी बनी रहती हैं, उसका उल्लेख नीचे किया गया है :—

तीस हजारी	26.2 प्रतिशत
दिल्ली कैंट	18.6 प्रतिशत
हौज़ खास	8.5 प्रतिशत

17 LSS/78—7

(ग) उपभोक्ताओं के कार्यालयों की फिटिंग, यंत्र, वितरण केन्द्रों और उपरले लूपों का नियमित रूप से निरीक्षण किया जा रहा है, ताकि दोष कम किये जा सकें और इस प्रकार मानदण्डों का पालन किया जा सके।

(घ) तीस हजारी एक्सचेंज ।

हड़तालें और तालेबन्दियां

8447. **श्री कंवर लाल गुप्ता :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत चार महीनों से हड़तालों, तालाबन्दियों और कारखाने बन्द होने के कितने मामले हुए और गत वर्ष और उसके पहले वर्ष में इसी अवधि में ऐसे कितने मामले थे ;

(ख) उपर्युक्त अवधि में हिंसात्मक और घेराव की कितनी घटनायें घटीं और गत वर्ष इसी अवधि में ऐसे कितने मामले हुए थे और उक्त दोनों अवधियों में जान-माल की कितनी हानि हुई ?

(ग) गत चार महीनों में हिंसात्मक गतिविधियों और घेराव करने के कारण अलग-अलग कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे ;

(घ) गत चार महीनों में हड़ताल आदि के कारण काम के कितने घंटों की हानि हुई; और

(ङ) सरकार ने उपर्युक्त अवधि में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये क्या विशिष्ट कार्यवाही की ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) से (ङ) अपेक्षित सूचना राज्य सरकारों से एकत्र की जा रही है प्राप्त होने पर सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

Reinstatement of Employees Removed From Service During Emergency

8448. **Shri Surendra Jha Suman :** Will the **Minister of Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether the decision to reinstate the employees removed from service without 'show cause' notice or any enquiry during emergency was communicated to all institutions by Government ;

(b) if so, the date on which this information was communicated to Rourkela Steel Plant ;

(c) the number of Class I officers and employees of other categories, who have been reinstated in the service after the receipt of these instructions and the number of officers and employees who have not yet been reinstated and the category to which they belong ; and

(d) the time by which the remaining persons are proposed to be reinstated by Government ?

The Minister of State in the Ministery of Steel and Mines (Shri Karia Munda) : (a) to (d) : The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

रिकार्ड डिलीवरी सर्विस

8449. **श्री सूरज भान : क्या संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या लगभग तीन वर्ष पूर्व एक्सप्रैस डिलीवरी सर्विस समाप्त किये जाने के बाद डाक में लागू की गई रिकार्डेड डिलीवरी सर्विस लोगों में लोकप्रिय हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो भारत के भिन्न-भिन्न डाक सर्विसों में प्रति मास कितनी वस्तुओं की डिलीवरी की जाती है ;

(ग) विभाग ने उक्त सेवा को लोकप्रिय बनाने के लिये क्या कार्यवाही की है और उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) ऐसी वस्तुओं की डिलीवरी के संबंध में कितनी शिकायतें मिली हैं और शिकायतों के कितने प्रतिशत उत्तर संतोषजनक थे ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय) : (क) रिकार्डेड वितरण सेवा नवम्बर, 1974 में चालू की गई थी । इस सेवा का इस्तेमाल बढ़ रहा है और वह लोकप्रियता प्राप्त कर रही है ।

(ख) विभिन्न डाक सेवाओं में हर महीने जितनी डाक वस्तुओं पर कार्रवाई की जाती है, उनकी संख्या अलग-अलग है जो कि करीब 4,000 से लेकर 1,64,000 तक होती है ।

(ग) इस सेवा को लोकप्रिय बनाने के लिये डाक नोटिसें जारी करके और समय-समय पर समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर इस सेवा का प्रचार किया जाता है । इसके परिणाम उत्साह वर्धक रहे हैं ।

(घ) शिकायतें 3 प्रतिशत से भी कम होती हैं और अधिकांश मामलों में शिकायतों के बारे में संतोषजनक उत्तर देना संभव होता है ।

दरियागंज में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का औषधालय

8450. **श्री महीलाल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी डाक्टर को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय का प्रभारी मैडिकल आफिसर बनाने के लिये क्या मापदण्ड अपनाया जाता है ; और

(ख) प्रभारी डाक्टर को किसी विशेष औषधालय में औसतन कितने समय तक रहने की अनुमति दी जाती है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव): (क) किसी चिकित्सा अधिकारी को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य औषधालय योजना के प्रभारी के रूप में तैनाती वरिष्ठता एवं मैरिट के आधार पर की जाती है ।

(ख) किसी औषधालय में किसी चिकित्सा प्रभारी अधिकारी के रहने का समय साधारणतया 3 से 5 वर्ष तक का होता है बशर्ते कि कुछेक प्रशासनिक कारणों तथा जनहित में इन नियमों के पालन में ढील देने की आवश्यकता नहीं पड़े ।

Telephone Connection to Milk Producing Cooperative Society, Viday.

†8451. **Shri Motibhai R. Chaudhry :** Will the **Minister of Communications** be pleased to state :

(a) whether the Milk Producing Cooperative Society of Viday village has made a demand for telephone from the Kari Telephone Exchange in Gujarat; and

(b) whether this society is in great need of a telephone because it has to make telephone calls in connection with cattle head business repeatedly and keeping in view this fact when the telephone facilities will be provided to it ?

The Minister of State in the Ministry of Communications (Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai) : (a) Yes Sir.

(b) All applicants who register their demands and pay advance deposits are in need of telephone connections. This is a 'General' category telephone registered on 6-5-1976 and is at a distance of about 7 kilometers from Cadi (not Kari) exchange. The provision of this telephone requires large quantity of stores which are in short supply. Telephone will be provided as per turn after receipt of stores. Telephones under this category are given strictly in turn on the waiting list and no priority is admissible under the rules.

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में कानूनी सलाहकार

8452. **श्री राम प्रकाश त्रिपाठी : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का कोई कानूनी सलाहकार है;

(ख) क्या बहुत से महत्वपूर्ण न्यायिक मामलों में कानूनी सलाहकार के विचार नहीं मांगे गये थे और यदि मांगे गये थे तो उनकी उपेक्षा कर दी गई थी ; और

(ग) ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है और उनमें कानूनी सलाहकार की सलाह न लेने के क्या कारण हैं अथवा सलाह लेकर उसकी उपेक्षा करने के क्या कारण हैं ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह): (क) भविष्य निधि प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि उनके यहां एक अंशकालिक कानूनी सलाहकार है ।

(ख) और (ग) चूंकि मुकदमों की पैरवी आम तौर पर केन्द्रीय सरकार के स्थायी वकीलों द्वारा की जाती है , इसलिये अंशकालिक कानूनी सलाहकार की राय सभी मामलों में नहीं मांगी जाती। हाल ही का ऐसा कोई मामला नहीं है जिसमें उनकी राय मांगी तो गई हो परन्तु उसे नजर अन्दाज कर दिया गया हो । तथापि, बिहार खादी ग्रामोद्योग संघ, बिहार के मामले में वहां के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने अपील दायर करने के लिये अनुमति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु 20 सितम्बर, 1977 का जो इस प्रकार का प्रार्थना-पत्र दायर करने के लिये अन्तिम तारीख थी, एक यचिका दायर की थी । कानूनी सलाहकार ने नई दिल्ली में उसी दिन अपनी राय दे दी कि यह अपील दायर करने की सलाह नहीं देते ।

क्षतिपूर्ति के बारे में पुनरीक्षण करने के लिये नीति

8453. **श्री राम प्रकाश त्रिपाठी : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री** क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा दिये गये क्षतिपूर्ति के आदेशों का केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा पुनरीक्षण के बारे में 30 मार्च, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4997 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा दिये गये गये क्षतिपूर्ति आदेशों का उच्च अधिकारियों द्वारा पुनरीक्षण करने की नीति का ब्यौरा क्या है;

(ख)उस अधिकारी का क्या नाम है, जिसने इस नीति की मंजूरी दी;

(ग) क्या उन सभी मामलों में, जिनमें क्षतिपूर्ति की राशि में वर्तमान केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा कमी की गई है और जो मामले केन्द्रीय सरकार के ध्यान में आये है; : उनमें कमी उस नीति के अनुसार की गई है; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या काण है और उक्त नीति का अनुसरण न करने के लिए क्या कार्य-वाही करने का प्रस्ताव है ?

श्रम और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह) : (क) और (ख) परिपत्र संख्या एफ पी/ई 128 (294)/हरजाना 174 दिनांक 24 अक्तूबर, 1975 की, [ग्रन्थालय में रखी गई **देखिए संख्या एल० टी० 2211/78**] जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों को जारी किया था, एक प्रति सभा की मेज पर रख दी गई है।

(ग) और (घ): उपलब्ध सूचना का अध्ययन किया जा रहा है।

कर्मचारी भविष्य निधि और विभिन्न उपबन्धों संबंधी अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत कर्मचारियों के देरी से लाने के बारे में शिकायतें

8454. श्री राम प्रकाश त्रिपाठी :
श्री रामेशवर पाटीदार :

क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या सरकार को कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों में कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीण उपबन्धों सम्बन्धी अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत कर्मचारियों को देरी से लाने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों को इसके अन्तर्गत विलम्ब से लाने सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उक्त अवैध कार्यवाही के लिए कौन-कौन से व्यक्ति दोषी हैं ; और

(ग) सरकार का उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है जिन्होंने अपने निजी स्वार्थ के लिए कर्मचारियों के हितों की अवहेलना की है ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह): (क) से (ग) केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने 1974 में सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलया कि उन्हें केन्द्रीय न्यासी बोर्ड के एक सदस्य से दो पत्र प्राप्त हुए थे जिनमें यह शिकायत की गई थी कि मैसूर (कर्नाटक) क्षेत्र के प्रतिष्ठानों को अधिनियम की परिधि में विलम्ब से लाने के बारे में शिकायतें की गई थीं। इन पत्रों की प्रतियां सदन की मेज़ पर रख दी गई हैं। उनकी जांच करने के बाद तथा जैसा कि सरकार ने चाहा था, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने क्षेत्रीय आयुक्तों को विस्तृत हिदायतें जारी कर दी। इन हिदायतों की एक प्रति सभा की मेज पर रख दी गई है। ग्रन्थालय में रखी गई। [**देखिए संख्या एल० टी०- 2212/78**] ।

भर्ती, स्थायीकरण और पदोन्नति आदि के लिये अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की प्रतिशतता

8455. **श्री आर० एल० कुरील :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: (क) क्या सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की भर्ती, स्थायीकरण और पदोन्नति के लिए कोई प्रतिशतता निर्धारित की है ;

(ख) क्या उक्त निर्धारित प्रतिशतता का डाक-तार सिविल विंग और सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, डाक-तार सिविल सर्किल नई दिल्ली द्वारा पालन किया गया है ;

(ग) क्या सहायक इंजीनियर सिविल और इलैक्ट्रिकल के पदों पर जूनियर इंजीनियर सिविल और इलैक्ट्रिकल की पदोन्नति करते समय डाक व तार निदेशालय द्वारा इस प्रतिशतता का पालन गिया गया है ;

(घ) यदि हां, तो निम्न श्रेणियों—

(एक डी मैन-जी आर II डी(दो) डी मैन लैवल II/III (आरकीट्रैक्चरल साइड) (तीन) ए० ई० एस० (सिविल) । इलैक्ट्रिकल में कुल कितने पद हैं और इनमें कितने कर्मचारियों की भर्ती की गईं, स्थायीकरण किया गया और पदोन्नति को गई; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय): (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां।

(घ) (1) और (2) वांछित सूचना एकत्र की जा रही हैं।

(3) अपेक्षित सूचना संलग्न है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

लोक सभा में श्री आर० एल० कुरील द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 8455 के भाग (घ) (3) के उत्तर में 27-4-1978 को सभा पटल पर रखी जाने वाली सूचना

	पदों की कुल संख्या	भर्ती किए गए कर्मचारियों की संख्या	जिनकी पुष्टि की गई	जिन्हें तरक्की दी गई	
				नियमित आधार पर	तदर्थ आधार पर
सहायक इंजीनियर (सिविल)	339	45	कोई नहीं	233	13
सहायक इंजीनियर (विद्युत)	83	7*	कोई नहीं	42	4

इनमें से 23 को कार्यपालक इंजीनिर (सिविल) के रूप में तरक्की दे दी गई है।

*इनमें से 4 को कार्यापलक इंजीनियर (विद्युत) के रूप में तरक्की दे दी गई है।

एण्टीबायोटिक्स के प्रयोग के बारे में विशेषज्ञ दल

8456. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री एन्टीबायोटिक्स के प्रयोग के बारे में विशेष दल के बारे में 17 नवम्बर, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 641 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस विशेषज्ञ दल ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) क्या उक्त प्रतिवेदन सभा के पटल पर रखा जायेगा; और

(ग) यदि दल की अभी तक कोई बैठक नहीं हुई हो तो क्या सरकार का विचार उसे विघटित करने का है ;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) :

(क) और (ख) विशेषज्ञ दल की सिफारिशें संलग्न हैं और उनकी जाच की जा रही है।

(ग) वह प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

विशेष दल ने जो सिफारिशें की वे इस प्रकार हैं:—

(1) जीवाणुओं में औषधि के हजम करने के पैटर्न का निर्धारण करने और उन पर निगरानी रखने के उद्देश्य से राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया जाए कि वे औषधि सेंसिटिविटी टैस्ट कर रहीं सभी प्रयोगशालाओं (अर्थात जीवाणु विज्ञान प्रयोगशालाएं) को निष्कर्षों का उपयुक्त रिकार्ड रखने के लिए कहें,

(2) संकलित और प्रसारित करने के लिए उपर्युक्त सूचना राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली द्वारा एकत्र की जाए।

(3) पशुओं के आहार में आहार सहयोज्यों के रूप में एण्टीबायोटिक्स मिलाने की प्रैक्टिस को गंभीरता से देखना चाहिए और ऐसे पशु आहार को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के क्षेत्राधिकार में लाया जाए,

(4) एण्टीबायोटिक्स का उपयोग विवेकपूर्वक निम्नलिखित तरीकों से किया जाना चाहिए :—

(क) क्लोरेमफैनिकोल का उपयोग आंत्र-ज्वर और एच० इनफ्लूऐंजा के उपचार तक ही सीमित होना चाहिए।

(ख) स्ट्रेप्टोमाइसिन का प्रयोग क्षयरोग से ग्रसित रोगियों के अलावा अन्य रोगियों के लिए व्यापक रूप से नहीं किया जाना चाहिए,

(ग) बी० कालरे के स्ट्रेन्स में टैट्रासाइक्लिन को हजम करने की शक्ति से संबंधित निष्कर्ष पर ध्यान रखना चाहिए क्योंकि हैजे के इलाज के लिए टैट्रासाइक्लिन को प्रायः तरजीह दी जाती है,

(घ) एण्टिवायटिक का रोगनिरोधी के रूप में उपयोग न किया जाए,

(ङ) एण्टिबायटिक मिलाकर रूटीन रूप से इनका उपयोग न किया जाए,

(ज) चूंकि प्रवाहिका संबंधी रोगों में एण्टिवायटिक का कोई विशेष लाभ नहीं होता इसलिए एण्टिबायोटिक न दिए जाएं जब तक कि इनकी अत्यधिक आवश्यकता न हो।

(छ) ट्राइमथोप्रिम और सल्फामेथोक्सोजौल जैसी औषधियां जिन्हें मार्केट में "सेप्ट्रन" "वैक्ट्रिन", "सल्फाप्रिम" आदि नामों से बेचा जाता है तथा जेन्टानाइसिन सल्फेट जिसे मार्केट में "जेरामाइसिन", "जैन्टीसिन" को "अन्तिम उपाय" के रूप में उपयोग किया जाए, न कि "प्रथम उपाय" के रूप में।

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में सेवा में अधिक्रमण

8457. श्री के० लकप्पा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक के पद पर नियुक्त अधिकारी ने केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना संवर्ग के तीन वरिष्ठ अधिकारियों का अधिक्रमण किया है और चुना गया अधिकारी जिस पद पर नियुक्त था, उसके पद से ऊंचे और अधिक महत्वपूर्ण पद पर ये तीनों अधिकारी नियुक्त थे ;

(ख) क्या एक प्रभावित अधिकारी ने अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर नियुक्ति का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया है और वह विरोध प्रकट करने के लिए छुट्टी पर चला गया है ;

(ग) क्या इस अधिक्रमण से केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में काफी कुंठा और निराशा की भावना पैदा हुई है ;

(घ) क्या स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक के पद पर नियुक्ति के लिए चुने गये अधिकारी को पहले एक बार सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं समझा गया था; और

(ङ) यदि हां, तो स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक के पद पर नियुक्त किये जाने वाले व्यक्ति की क्या विशिष्ट योग्यतायें और अनुभव हैं, जिसके आधार पर उसको नियुक्ति के लिए चुना गया है और इस पद को भरने की क्या प्रक्रिया निर्धारित है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) डा० बालू शंकरन विभागीय पदोन्नति समिति, की सिफारिश पर तथा मंत्रिमंडल की नियुक्त समिति की अनुमति से स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के पद पर नियुक्त किये गये थे। विभागीय पदोन्नति समिति में निम्नलिखित व्यक्ति थे :—

अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग	अध्यक्ष
स्वास्थ्य सचिव	सदस्य

उन्होंने केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के सुपरटाइम ग्रेड-1 के निम्नलिखित अधिकारियों का अधिक्रमण किया था :

1. डा० लाजपत राय पाठक,
   चिकित्सा अधीक्षक,
   विलिंगडन अस्पताल तथा नर्सिंग होम,

2. डा० नन्दलाल प्रमाणिक,
   चिकित्सा अधीक्षक
   सफदरजंग अस्पताल,

(3) डा०

(ख) डा० आर० एम० वर्मा को, जो उप-स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक (ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा) के पद पर कार्य कर रहे थे, अपर स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के पद का प्रस्ताव किया गया था। वे कुछ व्यक्तिगत

कारणों से छुट्टी पर चले गये। उन्होंने राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बंगलौर में निदेशक तथा प्रोफेसर तंत्रिका शल्य चिकित्सा के पद के लिए अपनी पसन्द व्यक्त की जिस पर उन्हें प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त कर दिया गया है।

(ग) इस चयन से केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के कुछ एक अधिकारियों में रोष उत्पन्न हुआ था।

(घ) वर्ष 1972 तक विलिंगडन और सफदरजंग अस्पतालों के लिए चिकित्सा अधीक्षक के पूर्ण-कालिक पद नहीं थे। अस्पताल के सुपरटाइम-1 के अधिकारियों में से वरिष्ठतम अधिकारी को चिकित्सा अधीक्षक का कार्यभार संभालने के लिए कहा जाता था। डाक्टर शंकरन को उक्त पद पर 20-5-1971 को नियुक्त किया गया था। बाद में, जब डा० पी०पी० गोयल, जो डा० शंकरन से सीनियर थे, को सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली में स्थानांतरित किया गया था तो उन्हें उक्त अस्पताल का चिकित्सा अधीक्षक नियुक्त कर दिया गया था।

(ङ) समय समय पर यथा संशोधित केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा नियम, 1963 के अनुसार स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक का पद निम्नलिखित तरीके से भरा जाना है:—

"स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक का पद निम्नलिखित अधिकारी की वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए मेरिट के आधार पर पदोन्नति द्वारा विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर भरा जाएगा।"

(1) अपर स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के पद पर कार्य कर रहा अधिकारी अथवा

(2) 2500-125/2-2750 रुपये के वेतनमान में सुपरटाइम-1 के लेबल-1 के पद पर कार्य कर रहा वह अधिकारी जिसने उक्त श्रेणी में कम से कम तीन वर्ष की सेवा पूरी करली हो।

डा० बी० शंकरन स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, नई दिल्ली के पद पर नियुक्त होने के लिए ये सभी शर्तें पूरी करते थे।

गत दो वर्षों के दौरान उड़ीसा में दिये गये टेलीफोन कनेक्शन

8459. श्री डी० अमात: क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उड़ीसा में गत दो वर्षों के दौरान कितने टेलीफोन कनेक्शन दिये गये ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (नरहरि प्रसाद सुखदेव साय): उड़ीसा में पिछले दो वर्षों में अर्थात् 1976-77 और 1977-78 में दिए गए कुल नए टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या क्रमश: 1660 और 1725 है।

बम्बई में विदेश संचार भवन

8461. श्री लखन लाल कपूर: क्या **संचार** मंत्री 23 मार्च, 1978 के अतारांकित प्रश्न-संख्या 4235 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सब 111 संगमरमर के पत्थरों को बदलने पर कितना खर्च आने का अनुमान है और बदलने का कार्य कब तक पूरा हो जाएगा और क्या ठेकेदार से उक्त खर्च को वहन करने के लिये कहा जायेगा;

(ख) भवन के पूरा होने के बाद संगमरमर के पत्थरों के अपने स्थान से हटने के अतिरिक्त और क्या मुख्य खराबी जानकारी में आई; उक्त खराबी को दूर करने पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई और उक्त व्यय को किस खाते में डाला गया;

(ग) क्या वातानुकूल मशीन/संयंत्र उचित तरीके से कार्य नहीं कर रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो उपकरण में क्या खराबी है और इसकी मरम्मत/बदलने पर कितना खर्च आयेगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय) : (क) संगमरमर के 111 पत्थरों को बदलने का अनुमानित खर्च 19,000 रुपये होगा और यह खर्च ठेकेदार उठाएगा। संगमरमर के 27 पत्थर 1972 में बदले गए थे और शेष 84 पत्थर 31 दिसम्बर 1979 तक बदलने का कार्यक्रम है।

(ख) किसी बड़ी खराबी की जानकारी नहीं मिली है।

(ग) उपस्कर ठीक तरह काम कर रहा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

शास्त्रीय होम्योपैथी

8462. **डा० भगवान दास राठौर** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि होम्यो-सैन्ट्रल काउंसिल ऐक्ट, 1973 का उद्देश्य हर तरह से शुद्ध होम्योपैथी को संरक्षण देना था जब कि इस समय इसके विपरीत कार्य हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्र के लिए शास्त्रीय होम्योपैथी को संरक्षण प्रदान करने हेतु सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ; और

(ग) ऐसी गतिविधियों के लिए उत्तरदायी लोगों के विरुद्ध सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) होम्योपैथी केन्द्रीय अधिनियम, 1973 का उद्देश्य होम्योपैथी शिक्षा का न्यूनतम स्तर निर्धारित करना और होम्योपैथी का एक केन्द्रीय रजिस्टर रखना था । यह किसी पद्धति अथवा प्रक्टिस को संरक्षण प्रदान नहीं करता है । यदि परिषद की जानकारी में अनैतिक प्रैक्टिस का कोई मामला आता है तो वह आवश्यक कार्यवाही करेगी । तथापि, हनेमन द्वारा निर्धारित होम्येपैथिक सिद्धान्तों का पालन न करने पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती ।

(ख) और (ग) : ये प्रश्न नहीं उठते ।

राजधानी में मलेरिया का खतरा

8463. श्री एस० एस० लाल :
श्री मुख्तियार सिंह मलिक :
श्री यादवेन्द्र दत्त :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चिकित्सा अधिकारियों ने यह पता लगाया है कि देश में तथा विशेषकर राजधानी में मलेरिया फैलने का गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो मलेरिया को फैलने से रोकने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ; और

(ग) क्या सरकार एन० एम० ई० पी० के भरसक प्रयासों के बावजूद मलेरिया फैलने के कारणों का पता लगाने के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति नियुक्त करने पर विचार कर रही है ।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी नहीं । दूसरी ओर सारे देश में मलेरिया से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या में 1976 के मुकाबले कमी हुई है । तथापि, दिल्ली में दर्ज किए गए मलेरिया के पाजिटिव रोगियों की कुल संख्या में वृद्धि हुई है ।

(ख) मलेरिया को फैलने से रोकने के लिए सरकार ने एक अप्रैल, 1977 से देश में एक संशोधित कार्य योजना आरम्भ की है । इस संशोधित योजना की मुख्य-मुख्य बातें संलग्न विवरण में दी गई हैं । राजधानी में किए गए उपचारी उपायों का एक और विववरण भी संलग्न है ।

(ग) मलेरिया के फिर से फैलने के कई कारण हैं जो सर्वविदित हैं । सरकार ने पहले ही इस रोग पर नियंत्रण पाने के लिए उपाय सुझाने हेतु दो उच्च अधिकार प्राप्त समितियां नियुक्त कर दी थीं । अतः इसके लिए एक और उच्च अधिकार प्राप्त समिति नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं समझी जाती ।

विवरण

संशोधित कार्य योजना की मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हैं :—

1. राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को वर्तमान यूनिट का जिले की भोगोलिक सीमा के अनुरूप पुनर्गठन किया गया है । पहले जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को इस कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया था लेकिन इन यूनिटों का पुनर्गठन हो जाने के कारण उन्हें जिले में इस कार्यक्रम के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार बनाया गया है ।

2. राज्यों को विभिन्न कीटनाशी दवाइयां डी० डी० टी०, बी० एच० सी०, मेलाथियान की अधिक मात्रा सप्लाई की गई है/की जा रही है । जहां पर रोग वाहकों पर डी० डी० टी०/बी० एच० सी० का कोई असर नहीं होता उन यूनिटों/जिलों को वैकल्पिक कीटनाशक दवाइयां भी उपलब्ध की जा रही हैं ।

3. उन सभी ग्रामीण क्षेत्रों में जहां प्रति हजार जनसंख्या के पीछे दो या इससे अधिक रोगी हैं, कीटनाशी दवाइयों का छिड़काव किया गया है ।

4. राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों को मलेरिया रोधी दवाइयां पर्याप्त मात्रा में सप्लाई की गई हैं/की जा रही हैं । औषधियां आसानी से उपलब्ध करने के लिए लगभग 1.13 लाख से भी अधिक औषधि वितरण केन्द्रों/ज्वर उपचार केन्द्रों की स्थापना कर दी गई है । जिन क्षेत्रों में परिजीवियों पर क्लोरोक्विन का कोई असर नहीं हुआ वहां पर कुनीन जैसी वैकल्पिक मलेरिया रोधी दवाई सप्लाई की गई है ।

5. नगरीय मलेरिया कार्यक्रम के अन्तर्गत लार्वा-रोधी कार्यों को तेज कर दिया गया है । 1977 में इस योजना को वर्तमान 28 शहरों के अलावा 38 और शहरों में लागू कर दिया गया है ।

6. क्षेत्रीय स्टाफ के निगरानी कार्य को तेज कर दिया गय है ।

7. मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के क्षेत्र में सैद्धांतिक और व्यवहारिक अनुसन्धान करने के लिए कदम उठाये गये हैं । भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के तत्वाधान में 14 अनुसंधान योजनायें अर्थात् 8 आपरेशन अनुसंधान के लिए और 6 मलेरिया के प्रयोगशाला अनुसंधान के लिए आरम्भ की गई हैं ।

8. ब्लड स्मीयरों का तत्काल परीक्षण तथा सक्रिय रोगियों का तत्काल इलाज करने के लिए प्रयोगशाला सेवाओं को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर तक विकेन्द्रित कर दिया गया है ।

9. प्लासमीडियन फाल्सीफैरम के संक्रमण को, जिसके कारण मस्तिष्कीय मलेरिया हो जाने से मौत हो जाती है, फैलने से रोकने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता से देश के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के राज्यों में सघन कार्यक्रम आरम्भ किए गए हैं ।

10. रोग के बारे में स्वास्थ्य शिक्षा देने के लिए और इसके नियंत्रण के लिए जनता का सहयोग प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं ।

(1) क्लोरोक्विन की गोलियों के वितरण के लिए पंचायतों और स्कूल अध्यापकों को शामिल किया गया है।

(2) दूर दराज वाले पिछड़े क्षेत्रों में दवाइयों के डिपुओं को खोल दिया गया है । कुछ राज्यों में यह कार्य जनजाति कल्याण विभाग के सहयोग से किया गया है ।

(3) "दि थ्रैट" नामक एक फिल्म जो हाल ही में तैयार की गई थी उसे चोदह क्षेत्रीय भाषाओं में सारे देश में दिखाया जा रहा है ।

(4) इस आशय के पोस्ट "बुखार---मलेरिया हो सकता है---क्लोरोक्विन गोलियां लीजिये" पंचायतघरों, स्कूलों, प्राइमरी हेल्थ सेंटरो और सब-सेंटरों में प्रदर्शित करने हेतु राज्य सरकारों को सप्लाई किए गए हैं ।

(5) क्षेत्रीय भाषाओं में "मलेरिया में क्या-क्या करना चाहिए" नामक एक पेम्पलेट भी तैयार किया गया है, जिसमें मलेरिया के लक्षण, क्लोरोक्विन की मात्रा आदि का उलेख है और उसे पंचायतों, स्कूलों के अध्यापकों और अन्य स्वैछिक एजेन्सियों में वितरित करने के लिए राज्यों को सप्लाई किया गया है ।

(6) पंचायतों के अध्यक्षों और मंत्रियों को मलेरिया के बारे में विषय परिचायक प्रशिक्षण देने का भी विचार है।

(7) चिकित्सा व्यावसायिकों के क्या-क्या कार्य होने चाहिए, इसके बारे में भी फील्डर तैयार करके राज्यों को सप्लाई किये गये हैं ताकि वे उन्हें चिकत्सा व्यावसायिकों में बांट दें । इसी प्रकार एक और पेम्फलेट "मलेरिया फिर क्यों ?" भी तैयार किया गया है और उसे उपायुक्तों, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और खण्ड विकास अधिकारियों में बांटने के लिए राज्यों को सप्लाई कर दिया गया है ताकि उपर्युक्त मलेरिया संबंधी मौजूदा समस्याओं और प्रस्तावित कार्यवाही करने के बारे में जानकारी दिखाई जा सके ।

(8) मलेरिया रोधी संदेश का प्रचार करने के लिए डाक और तार विभाग द्वारा विशेष पोस्टल स्टेशनरी रिलीज की गई है ।

विवरण

मलेरिया को रोकने के लिए निम्नलिखित उपचारी उपाय किये गये हैं :--

1. मलेरिया रोधी उपायों को करने वाली निम्नलिखित एजेंसियों से इस कार्यक्रम को तेज करने के लिए कहा गया है :--

1. दिल्ली नगर गिगम

2. नई दिल्ली नगर पालिका

3. जूलोजिकल पार्क
4. आकाशवाणी
5. राष्ट्रपति एस्टेट
6. इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी
7. उत्तरी रेलवे
8. रक्षा प्राधिकरण

इन विभिन्न एजेन्सियों में ठोस समन्वय स्थापित करने के लिये भारत सरकार के अधीन एक विशेष समन्वय अधिकारी नियुक्त गया गया है ।

2. भारत सरकार ने इन एजेन्सियों को प्रचालन संबंधी खर्च पूरा करने के लिये पर्याप्त मात्रा में सामग्री और उपकरण तथा वित्तीय सहायता दी है। 1977-78 में लगभग 32 लाख रुपये की कुल सहायता दी गई थी और 1978-79 के लिए 38.45 लाख रुपये की रकम इस प्रयोजन के लिये नियत की जा चुकी है।

3. दिल्ली नगर निगम ने लार्वा रोधी कार्यों का क्षेत्र 90 वर्गमील से बढ़ाकर 180 वर्गमील तक कर दिया है । लार्वा-रोधी कार्य के अतिरिक्त पहली जून, 1978 से ग्रामीण और तटवर्ती क्षेत्रों में बी० एच० सी० के छिड़काव का कार्य आरम्भ किया जाएगा ।

4. दिल्ली में 50 मलेरिया क्लिनिक कार्य कर रहे हैं और 50 और क्लिनिक खोले जा रहे हैं । 500 से अधिक ज्वर उपचार डिपो भी स्थापित किये जा रहे हैं ।

5. घरों के आस-पास मच्छर पैदा होने वाले स्थलों का निरीक्षण करने के कार्य पर 40 दलों को लगा दिया गया है ।

6. इस रोग संबंधी स्थिति की समीक्षा करने और विभिन्न संगठनों के कार्यों में तालमेल बैठाने के लिए राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के निदेशक और दिली नगर निगम के आयुक्त समय-समय पर बैठकें बुलाते हैं ।

सेंट्रल काउन्सिल फार रिसर्च इन इंडियन मैडिसिन एण्ड होम्योपैथी से दस्तावेजों का गुम हो जाना

8464. **श्रीमती मृणाल गोरे :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या देश में औषधालय पौधों की उपलब्धता से संबंधित मूल अनुसंधान सामग्री वाले कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज सेंट्रल काउंसिल फार रिसर्च इन इंडियन मेडिसिन एण्ड होम्योपैथी से गुम हैं और काउंसिल ने इनके गुम होने के लिये जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की है ;

(ख) क्या दस्तावेजों के इस प्रकार गुम होने का कारण काउंसिल में कुछ वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जानबूझ कर किया गया षड्यन्त्र है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकारी रिकार्ड ढूंढ़ निकालने के लिए क्या कार्यवाही की गई है तथा इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) से (ग) भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी की केन्द्रीय परिषद् द्वारा औषधीय पादप सर्वेक्षण यूनिटों से प्राप्त की गई विभिन्न रिपोर्टों के संकलन के आधार पर "मेडिको-बोटानिकल फ्लोरा आफ इंडिया" शीर्षक से एक मोनोग्राफ का प्रारूप तैयार किया गया था और वह अब गुम हो गया है । परिषद् इस मामले की जांच-पड़ताल कर रही है और वह अभी तक इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है कि क्या कोई अधिकारी इस के लिए उत्तरदायी है या नही ।

नियम 377 के ग्राधीन मामले

(Matters under Rule 377)

(1) 21.4.1978 को यात्री गाड़ी में डकैती का समाचार

Shri Yuvraj (Katihar) : On 21-4-1978 a passenger train going from Mughalsarai to Lucknow was looted near Rupaman station at about 4.15 A.M. Armed dacoits took away ornaments, costly clothes and watches worth Rs. 25,000 from the passengers of Compartment No.7536 while a dozen jawans of Railway Police force remained sleeping peacefully in the third Compartment. When the train stopped at Raibareilly, then the FIR was lodged with the G.R.P. Office. This incident has created a feeling of unsafety in travelling Public.

(2) बी०ग्राई०टी० मसरा (रांची में विषाक्त भोजन की घटना

Dr. Ramji Singh (Bhagalpur) : There is an engineering institution in Ranchi area of Bihar, named after one Shri Mishra. A strike was going on in that institution for the last one year. As soon as the institution reopened, a feast was organised and 200 students became victim of the poisonous food. It appears to be a case of deliberate conspiracy which is something very serious. The matter should be immediately inquired into and necessary action taken.

(3) ग्रारोविले, पांडिचेरी के विदेशी नागरिकों पर गुंडों द्वारा हमले के समाचार

श्री विजय सिंह नाहर (कलकत्ता-उत्तर-पश्चिम) : ग्रारोविले, पांडिचेरी से प्राप्त समाचारों से देश में ग्रनेक लोगों में ग्रातंक छा गया है। 17 ग्रप्रैल, 1978 को ग्रारोविले के विदेशी निवासियों पर कुछ गुण्डों ने बर्बतापूर्ण ग्राक्रमण किया। ये विदेशी नागरिक गत 10 वर्षों से भारत में हीं रह रहे हैं ग्रौर इन्होंने भारत को हों ग्रपना देश बना लिया है तथा इस देश की संस्कृति ग्रौर दर्शन के महान प्रशंसक बन गये हैं तथा श्री ग्ररविन्द के बताये मार्ग पर चल रहे हैं।

बर्बरतापूर्ण हिंसा की यह घटना भारत निवास में हुई जोकि श्री ग्ररविन्द सोसायटी को केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा दिये गये ग्रनुदान से निर्माणाधीन है। ग्रारोविले के निवासियों ने पोंगल का त्योहार मनाने के लिए उक्त भारत निवास में एक महीने का साँस्कृतिक कार्यक्रम चला रखा था। कार्यक्रम पहले तीन दिन तक तो शाँतिपूर्वक चलता रहा। लेकिन चौथे दिन ग्रर्थात् 17 ग्रप्रैल, 1978 को लाठियों व लोहे की छड़ों से लैस कुछ व्यक्तियों ने उन पर ग्राक्रमण कर दिया। एक जर्मन नागरिक श्री फ्रेडरिक की निर्दयतापूर्वक पिटाई की ग्रौर उसकी सारी सम्पत्ति लूट ली। उसे गम्भीर चोटें ग्रायीं ग्रौर वह बेहोश हो गया। इसी दौरान श्री रिचर्ड उर्फ नारद ग्रौर श्री डेविड, श्री फ्रेडरिक को बचाने के लिए दौड़े। उन दोनों की भी पिटाई की गई ग्रौर वे भी गम्भीर रूप से घायल हुए। ग्राशंका है कि यह एक सुनियोजित ग्राक्रमण था जिसकी तुरन्त जाँच की जानी चाहिए।

ऐसा प्रतीत होता है कि मदर का देहावसान होने के बाद वहाँ पर बहुत ग्रव्यवस्था फैल गई है। केन्द्र तथा राज्य सरकारों से प्राप्त भारी ग्रनुदान राशि खर्च नहीं हुई है ग्रौर उसका कोई लेखा-जोखा भी नहीं रखा गया है। सरकारी लेखापरीक्षाग्रों ने 1977 के दौरान लेखा परीक्षा करते समय बताया है कि 22.64 लाख रुपये से ग्रधिक रकम का गोलमाल है। श्री ग्ररविन्द सोसायटी के ग्रधिकारियों को निदेश दिये जाने चाहिएं कि वे उसका पूरा हिसाब दें ग्रन्यथा उन पर मुकदमा चलाया जायेगा।

संसद सदस्यों का एक दल वहाँ जाकर संस्था का दौरा करे ग्रौर सरकार को ग्रपनी तथ्यपरक रिपोर्ट दे ताकि संस्था की उचित व्यवस्था की जा सके।

(4) बैंकिंग सेवा आयोग की वर्तमान स्थिति

श्री सौगत राय (बैरकपुर) : मैं सभा का ध्यान बैंकिंग सेवा आयोग के वर्तमान स्तर की ओर दिलाना चाहता हूं। यह आयोग संसद् के अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित किया गया था। जनता पार्टी सत्ता में आने के बाद बैंकिंग सेवा आयोग को समाप्त करने हेतु जनता पार्टी की सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया। अध्यादेश को स्थानापन्न करने के लिए एक विधेयक भी संसद् के शरद् कालीन सत्र में पुरः स्थापित किया जा चुका है। विधेयक का हमारे दल ने विरोध किया और अन्ततोगत्वा 23 सितम्बर, 1977 को राज्य सभा में यह विधेयक पास नहीं हुआ।

अनुच्छेद 123(2) (क) के अन्तर्गत संसद् के शरद् कालोन सत्र के समाप्त होने के 6 सप्ताह के बाद अध्यादेश निरसित हो जायेगा और तदनुसार अध्यादेश पहले ही निरसित हो गया है। सरकार बैंकिंग सेवा आयोग का निरसन करने के लिए संसद् के चालू सत्र में नया विधेयक नहीं लाई है। अतः वैधानिक रूप से आयोग फिर से कार्यरत पर बहाल हो गया है लेकिन सरकार ने आयोग के कार्यालय पर ताला लगा रखा है। यह संसद् का जान-बूझकर अवमान है और सरकार द्वारा संसद् की अवहेलना करने का प्रयास है।

श्री वयालार रवि (चिर्रयिकल) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। दूसरे सदन ने विधेयक को अस्वीकार कर दिया है। अब हम उस सदन के निर्णय की सूचना इस सदन में दिये जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन सरकार इस सदन के साथ अवमान का व्यवहार कर रही है और विधेयक के बारे में अपनी मर्जी से कार्यवाही कर रही है और इस तरह बैंकों में भर्ती आरम्भ कर दी है। इस मामले पर अध्यक्ष महोदय का क्या विनिर्णय है।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंडहार्बर) : मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं कि आप राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं की जाँच पड़ताल के लिए संसदीय समिति नियुक्त करने के बारे में क्या कार्यवाही कर रहे हैं क्योंकि ये बैंक न तो सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति और न अन्य संसदीय समिति के नियंत्रण में आते हैं।

श्री सौगत राय : वित्त मंत्री के खिलाफ मेरे विशेषाधिकार प्रश्न के बारे में सरकार से कब तक उत्तर मिलेगा, क्योंकि इस बीच देश भर में बैंकों में भर्ती रुक गयी है और उसमें भ्रष्ट तरीके जारी हैं। इस समय बैंक सेवा आयोग की कानूनी स्थिति क्या है?

अध्यक्ष महोदय : इस समय नियम 377 के अन्तर्गत कार्य है। नियम 222 के अधीन प्रस्ताव अलग से लिये जायेंगे। मैंने नियम 377 के अधीन पाँच वक्तव्यों की अनुमति दी है।

(5) दुर्ग से वाराणसी तक एक एक्सप्रेस गाड़ी चलाने की मांग

Shri Mohan Bhaiya (Durg) : An agitation is going on in the industrial town of Bhilai since 8-4-78 for running an express train from Durg to Varanasi. The people have resorted to hunger strike and are squatting on the railway track in order to disrupt the train services. If timely attention is not paid to this matter, the situation may became explosive.

This is a long standing demand of the people of that area. In support of this demand more than 10,000 signatures have been sent to the Railway Minister. A memorandum signed by 20 members of Parliament have also been sent to the hon. Minister. Let the Railway Minister accord sanction to the running of this service as it will help in commercial, social, educational and cultural development of that area.

सभापटल पर रखे गये पत्र

(Papers laid on the Table)

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मूडा) : श्रीमन्, मैं सभा पटल पर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या साँ०आ० 257 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति रखता हूं जो दिनाँक 10 अप्रैल, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रंथालय में रखी गई। दखिये संख्या एल० टी० 2128/78]

***विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरसिंह यादव)** : श्रीमन्, मैं सभा पटल पर कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 637 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा०साँ० नि० 477 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति रखता हूं जो दिनाँक 15 अप्रैल, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी०-2189/78]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार रूल्ला): श्रीमन्, मैं सभा-पटल पर सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या 90-सीमा शुल्क (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनाँक 27 अप्रैल, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई और व्याख्यात्मक ज्ञापन रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 2189A/78]

लोकलेखा समिति

(Public Accounts Committee)

78वां और 81वां प्रतिवेदन

श्री सी०एम० स्टीफन : मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं:—

(1) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 1975-76 के प्रतिवेदन संघ सरकार (सिविल) राजस्व, प्राप्तियाँ, खंड 2 प्रत्यक्ष कर के वेतन मण्डलों के कार्यकरण से सम्बन्धित पैराग्राफ 49 पर 78वाँ प्रतिवेदन।

(2) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 1975-76 के प्रतिवेदन संघ सरकार (रक्षा सेवायें) के रक्षा मंत्रालय से सम्बन्धित पैराग्राफ 9 और 11 पर 81वाँ प्रतिवेदन।

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

(Committee on Public undertakings)

10वां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही–सारांश

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति का निम्नलिखित प्रतिवेदन तथा कार्यवाही-साराँश प्रस्तुत करता हूं:—

(1) सरकारी उपक्रमों द्वारा अपने मुख्यालयों पर असामान्य रूप से अधिक व्यय के सम्बन्ध में दसवाँ प्रतिवेदन।

(2) उपर्युक्त प्रतिवेदन से सम्बन्धित समिति की बैठक के कार्यवाही-साराँश।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति
(Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes)

21वां और 23वां प्रतिवेदन

श्री सूरज भान : मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (अंग्रेजी तथा हिन्दी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :—

(1) रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) उत्तर रेलवे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण और उनके नियोजन तथा उनको उत्तर रेलवे में छोटे-मोटे ठेके के सम्बन्ध में 21वाँ प्रतिवेदन।

(2) वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग (अप्रत्यक्ष कर प्रभाग) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड तथा उसके क्षेत्रीय कार्यालयों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण और उनके नियोजन के सम्बन्ध में 23वाँ प्रतिवेदन।

कोल इण्डिया लिमिटेड के कर्मचारियों की शिकायतों के बारे में याचिका
Petition *Re.* Grievances of Employees of Coal India Ltd.

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मैं कोल इंडिया लिमिटेड तथा उसकी सहायक कम्पनियों के कलकत्ता स्थित कार्यालयों के कर्मचारियों की शिकायतों के बारे में श्री चित्त राय द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका प्रस्तुत करता हूं।

---

6 अप्रैल, 1978 को काँग्रेस (आई) के कुछ कार्यकर्त्ताओं द्वारा बिना टिकट यात्रा के सम्बन्ध में आकाशवाणी द्वारा प्रसारित समाचार के बारे में वक्तव्य।

Statement *Re.* Reported A.I.R. Broadcasts alleging ticketless travel by some Congress(I) Workers on 6th April, 1978

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगबीर सिंह) : 7 अप्रैल, 1978 को प्रातः अंग्रेजी और हिन्दी में आकाशवाणी द्वारा एक समाचार प्रकाशित किया गया था कि काँग्रेस (आई) के तीन सदस्यों को, जो दल के अध्यक्ष के साथ वातानुकूलित गाड़ी में नई दिल्ली से अलीगढ़ जा रहे थे कथित रूप से बिना टिकट यात्रा करते पकड़ा गया। उन्हें प्रत्येक को 100 रुपये जुर्माना किया गया।

यह समाचार 'समाचार' की रिपोर्ट पर आधारित है जिसे कई समाचार पत्रों ने भी प्रकाशित किया है। आकाशवाणी ने बहुत ध्यानपूर्वक और सतर्कता से समाचार को प्रसारित किया और 'कथित रूप से पकड़े गये' शब्दों का प्रयोग किया है। 'समाचार' द्वारा दिया गया यह स्पष्ट समाचार है जिसमें किये गये जुर्माने की धनराशि का भी ब्यौरा दिया है।

जब काँग्रेस (आई) के महासचिव श्री बूटा सिंह ने इस समाचार का खण्डन किया तो यह खण्डन भी 8 अप्रैल, 1978 को आकाशवाणी द्वारा अंग्रेजी और हिन्दी दोनों भाषाओं में प्रकाशित किया गया था।

यह सच नहीं है कि मूल समाचार को तीन दिन तक प्रकाशित किया गया है। यह समाचार केवल एक बार ही प्रसारित किया गया था। यह भी सही नहीं है कि रेलवे अधिकारियों द्वारा सभा में इस समाचार के खण्डन किये जाने के बाद भी यह समाचार प्रसारित किया गया।

कार्य मंत्रणा समिति
(Business Advisory Committee))

संसद् कार्य और श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 16वें प्रतिवेदन से जो 26 अप्रैल, 1978 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न है :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 16वें प्रतिवेदन से जो 26 अप्रैल, 1978 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(The motion was adopted.)

विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1978

[Appropriation (No. 3) Bill 1978]

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"कि वित्तीय वर्ष 1978-79 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1978-79 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनिर्माण को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

नियम 216(5) के अनुसार मैंने उन बातों पर चर्चा की अनुमति नहीं दी जो माँगों पर चर्चा के समय उठायी जा चुकी हैं। जिन मुद्दों पर चर्चा नहीं हुई है उन्हें इस समय उठाया जा सकता है।

श्री अण्णासाहिब गोटखिंडे (सांगली) : यह महाराष्ट्र, कर्नाटक आँध्र प्रदेश, तमिलनाडु क्षेत्रों के बारे में लेवी चीनी के मूल्य नियतन का एक विशिष्ट प्रश्न था। अतः कोई नहीं कह सकता कि यह पर्याप्त लोक महत्व का विषय नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मुझे पहले भी कई बार विनियोग विधेयक पर बोलने का अवसर मिला है। किन्तु मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि ऐसी टिप्पणी सुनने का मेरे लिए यह पहला मौका है।

श्री बसन्त साठे (अकोला) : उप-धारा (4) और 5 के अधीन दो बातें महत्वपूर्ण हैं। यदि यह लोक महत्व का विषय है तो यदि अनुदानों की माँगों पर चर्चा हो भी चुकी हो और यह उसके पश्चात् उत्पन्न होता है तो इसे अब ही उठाया जाना है। उप-धारा 4 के अधीन इस पर चर्चा बन्द करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। उप-धारा (5) के अधीन सूचना प्रायः 10 बजे से पहले देनी होती है। नियमों में तो यह व्यवस्था है कि सूचना पहले दी जानी चाहिए। आप किसी सदस्य को भाग लेने से वंचित क्यों करना चाहते हैं। मेरे साथ आज यही हुआ है। मुझे आज बैठक में भाग लेने के लिए जाना था।

आप को अपने विवेक से निर्णय करने का अधिकार है। अतः आपको हमें उन माँगों पर बोलने की अनुमति दे देनी चाहिए जिनपर बिल्कुल चर्चा नहीं हुई है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है। मैं नहीं दे सकता।

श्री सी० एम० स्टीफन (इरक्की) : हर सदस्य को यह पता है कि सूचना 10 बजे से पहले देनी होती है किन्तु वाद-विवाद में भाग लेने के लिए 10 बजे की समय-सीमा ठीक नहीं है। इस के बारे में वाद-विवाद से पहले सूचना देने की छूट होनी चाहिए ताकि 10 बजे तक की समय सीमा का कड़ाई से पालन किया जाए। यह नियम वाद-विवाद में एक ही तरह की बातों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए बनाया गया है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : आपका इस बारे में यह विनिर्णय होना चाहिए। यदि किसी सदस्य ने पर्याप्त लोक महत्व के विषय की बात उठाई हो और उस पर सम्बन्धित मंत्री ने चर्चा न की हो तो उसे या किसी अन्य सदस्य को वह बात उठाने की अनुमति दी जानी चाहिए और उसे वाद-विवाद की पुनरावृत्ति नहीं कहा जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : जब हम वास्तव में इस बात पर आएंगे तो उस पर विचार किया जाएगा।

श्री बसन्त साठे : (अकोला) आपका इस पर क्या विनिर्णय है। 10 बजे की समय-सीमा सूचना के मामले पर लागू होती है। नियम 218 के उप-नियम (5) में सूचना का कोई उल्लेख नहीं है। नियमों के अनुसार आप 10 बजे की समय सीमा इसके लिए निर्धारित नहीं कर सकते।

श्री सी० एम० स्टीफन : माननीय सदस्यों ने 10 बजे तक सूचना देने की अपनी कठिनाई जाहिर की है। अतः उन्हें भाग लेने का अवसर दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : लिखित रूप में सूचना दी जानी चाहिए चाहे 10 बजे से पहले दी जाए या बाद में। पहली सूचना श्री ज्योतिर्मय बसु की है। यह सरकार की औद्योगिक नीति के बारे में है। इस पर पहले वाद-विवाद हो चुका है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : : यह पर्याप्त लोक महत्व का विषय है।

अध्यक्ष महोदय : इस पर पहले चर्चा हो चुकी है। दूसरी सूचना हिन्दुस्तान लीवर, फाइजर इत्यादि के बारे में है। इस पर भी चर्चा हो चुकी है और उत्तर दिया जा चुका है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : जी, नहीं।

अध्यक्ष महोदय : पुस्तकालय में जा कर रिकार्ड देखिए।

श्री ज्योतिर्मय बसु : सरकार ने दावा किया है कि खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ा है लेकिन चालू वर्ष के आर्थिक सर्वेक्षण को देखने से पता चलता है कि मोटे अनाज तथा दालों आदि का उत्पादन बहुत कम हुआ है। 19 मार्च, 1978 के 'बिजनेस स्टेंडर्ड' में प्रकाशित रिपोर्ट से भी मंत्री महोदय के दावे का खण्डन होता है। कृषि मंत्रालय का आर्थिक और सांख्यकीय निदेशालय और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् तम्बाकू, पटसन और गन्ने का इस प्रकार मूल्य लगाते हैं कि यह उद्योगपतियों के पक्ष में होता है और किसानों के अहित में। देश के अत्यन्त महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों के दल द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् से सम्बन्धित मामलों की तुरन्त जांच पड़ताल कराई जानी चाहिए। वह दल हमें यह भी बताए कि गजेन्द्र गडकर आयोग की रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गई है।

इंडियन टोबाको कम्पनी को अपने व्यापार का अनियंत्रित विविधीकरण करने की अनुमति दी गई है। इसी कारण वह कम्पनी अपने व्यापार को होटलों, मत्स्यपालन तथा अनेक कम महत्वपूर्ण और मुनाफा कमाने वाले व्यापार में बदल सकी है। इस वर्ष तो इस कम्पनी ने आन्ध्र प्रदेश के तम्बाकू उत्पादकों पर भी अपना जाल फैला दिया है। तम्बाकू उत्पादकों को कम से कम 50,60 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सिग्रेट का मूल्य भी उतना कम कर दिया जाएगा जितना कि तम्बाकू उत्पादकों को नुक्सान हुआ है।

हिन्दुस्तान लीवर्स लिमिटेड ने अपने मुनाफ की बहुत सी रकम स्वदेश भेज दी है। इस कम्पनी के गाजियाबाद स्थित कारखाने में अपमिश्रित तिल के तेल का एक टैंकर भरा हुआ बरामद हुआ है। मैं जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है।

औषध उद्योगों के राष्ट्रीयकरण सम्बन्धी हाथी आयोग की अधिकांश सिफारिशों को कार्यान्वित करने से इन्कार करने के बारे में सरकार की नई औषध नीति बहुत दुखद है।

17 LSS/78—9.

हिन्दुस्तान लीवार लिमिटेड ने अपने मुनाफे में से 3,09,94,385 रुपए की राशि विदेश भेजी है। यह एक रिकार्ड है। ग्लेक्सों ने 86,44,134 रुपए और इंडियन टोबाको कम्पनी ने 2,04,17,637 रुपए की राशि बाहर भेजी है। मैं चाहता हूं कि सम्बन्धित मंत्री महोदय इस बारे में स्पष्टीकरण दें। वित्त मंत्री भी यह बताएं कि वह कापड़िया और कोहिनूर मिलों के बारे में क्या कदम उठाने जा रहे हैं। उसमें 26 करोड़ रुपए की धोखा धड़ी है। क्या उनपर मुकदमा चलाया जाएगा।

Shri Keshavrao Dhondge (Nanded) : The Prime Minister had made a statement the other day about nuclear power. We are surprised to hear that statement. I say it is necessary for us to possess atom bomb for the protection of the country. Our Government should not submit to pressure in this regard. It is necessary for us to self to reliant in atomic energy.

The facilities of Post and Telegraph in the rural areas are inadequate. Government should take necessary steps to make improvements in the rural areas.

The Tourism Department has provided many facilities. But these facilities are so costly that our people cannot avail of these facilities. It is only ihe foreigners who can avail of these facilities. Thus there is necessity to bring about a redical change in this regard.

Nanded is a famous city of Marathwada. It is also a tourist Centre, the National Economic Survey Institute had made a commercial slrvey in 1974-75. It is, therefore, very essential that this place should be linked with air.

A tourist centre should also be set up at Bahadurpura-Shantighat, near Kandhar in Maharashtra.

There is a big scope of making improvements in air service.

A high court bench should be set up in Aurangabad for the benefit of the people of Maharashtra.

Waiting rooms should provided in all the courts of the country.

श्रीमती पार्वती कृष्णन (कोयम्बटूर) : मुझे जो थोड़ा सा समय दिया गया है इसमें मैं केवल दो बातों पर ही बोलना चाहूंगी। जयपुर शूगर कम्पनी एक मामले में अन्तग्रस्त है। इस कम्पनी ने आवश्यक वस्तु अधिनियम का उल्लंघन किया है। इसने चीनी की चोरबाजारी की है। इस चोरबाजारी के लिए उसे केवल 6 लाख रुपए का दण्ड दिया गया है हालांकि इसने चोरबाजारी में 30 लाख रुपए कमाये हैं। यह बात पहले ही मंत्री महोदय के ध्यान में लाई गई है। मंत्री महोदय को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सरकार इनके काले धन को कब्जे में ले और अनेक वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क न लगाएं।

मैं दूसरी बात वृद्धावस्था पेंशनभोगियों के बारे में कहना चाहूंगी। मैं समझती हूं कि पेंशन नियमों पर विचार करने के लिये एक पेंशन आयोग बनाया जाना चाहिये। यह पेंशन आयोग पेंशन नियमों में सुधार करे और विभिन्न पेंशनभोगियों की पेंशन सम्बन्धी विषमताएं दूर करे और उन्हें महंगाई भत्ता भी दिया जाए।

सिगरानी कोलरीज के कर्मचारियों को कुछ राशि देय है। वित्त मंत्री ने उनकी यह राशि रोक रखी है। खमम को तूफान ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है और कर्मकार राशि वापस मांग रहे हैं। उन्हें वह राशि लौटाई नहीं जा रही है। अतः उन्होंने हड़ताल कर दी और कोयले का उत्पादन रुक गया है। मद्रास, आंध्र तथा अन्य स्थानों पर उद्योग ठप्प पड़े हैं। उन्हें वह राशि वापस कर दी जानी चाहिए।

श्री ए० के० राय (धनबाद) : यह बहुत हैरानगी की बात है कि यद्यपि बिहार की बिजली की अधिष्ठापित क्षमता 750 मेगावाट है किन्तु फिर भी वहां पर 250 मेगावाट बिजली ही प्राप्त हो रही

है। इस कारण वहां के सभी उद्योग बन्द हो रहे हैं। ऊर्जा मंत्रालय बिहार की मांगों के प्रति उदासीन हैं। आगामी पंच वर्षीय योजना में चाहे 10,000 मेगावाट की व्यवस्था की गई है किन्तु उस में बिहार का हिस्सा 600 मेगावाट ही रखा गया है। अतः बिहार की ओर अधिक ध्यान दिए जाने की जरूरत है।

अल्पविकसित क्षेत्रों में उद्योग इसलिय स्थापित किय जाते हैं ताकि ग्रामीण क्षेत्रों और आसपास के क्षेत्रों का विकास हो सके। लेकिन जहां तक कोयला उद्योग का सम्बन्ध है इससे ग्रामवासियों के साथ हमेशा झगड़ा ही हुआ है। धनबाद और छोटा नागपुर क्षेत्र में अधिकारियों और ग्रामवासियों के बीच हमेशा झगड़ा ही होता रहता है।

हमें कुछ मालूम नहीं है कि कोकिंग कोयले के आयात की वर्तमान नीति क्या है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि कोकिंग कोल का आयात बन्द कर दिया गया है या स्थगित कर दिया गया है।

मैं कहना चाहूंगा कि यह नीति बहुत ही घातक नीति है। ऊर्जा मंत्री को इस का कड़ा विरोध करना चाहिए क्योंकि हमारे देश में बिहार में तथा अन्य स्थानों में भी 6 या 7 प्रति शत भस्म मात्रा वाली कोकिंग कोल के भंडार हैं। अतः 700 रुपए प्रति टन की लागत से कोकिंग कोल का आयात नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि देश के भीतर ही वह 150 रुपए प्रति टन से उपलब्ध हो सकता है।

श्री अण्णासाहिब गोटखिंडे (सांगली) : आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है इसलिये मैं आपका बहुत आभारी हूं।

देश में हर खण्ड के लिये चीनी की समान लेवी दर निश्चित किए जाने से उद्योग को बहुत धक्का लगा है। उद्योग को यह आशा थी कि चीनी की लेवी दर निश्चित करते समय सरकार उत्पादन लागत को ध्यान में रखेंगी किन्तु सभी खण्डों के लिए सामान्य रूप से दर बढ़ाकर गन्ना उत्पादकों के साथ न्याय नहीं किया गया है। अतः सरकार ने इस सम्बन्ध में मराठे समिति और औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो की सिफारिशों की अवहेलना की है। इस लिए मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि क्या महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र, तमिलनाडू और पांडिचरी जोन के साथ जो अन्याय और भेदभाव हो रहा है उसे दूर किया जाएगा।

श्री पी० अंकीनेडु प्रसाद राव (बापतला) : मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश में धान की क़ीमतों में बहुत गिरावट आई है। पहली फसल 77 रुपए की बजाय 60 रुपए क्विंटल पर बिकी। दूसरी फसल के लिए भी कोई ग्राहक नहीं है। सरकार तथा भारतीय खाद्य निगम धान को कभी नहीं खरीदते। इस लिये धान को मिलें ही कम मूल्य पर खरीद लेती है। कृषी मंत्री को ऐसी नीति अपनानी चाहिये कि चावल मिलों से खरीदने की बजाय किसानों से खरीदा जाए। किसानों को उस के लिए निश्चित मूल्य भी दिए जाने चाहियें। केन्द्रीय सरकार की सहायता से लगभग 200 मिलें स्थापित की जा चुकी हैं। धान सहकारी चावल मिलों को दिया जाना चाहिये तथा भारतीय खाद्य निगम को चावल मिलों तथा व्यापारियों से खरीदने के बजाए इनसे खरीदना चाहिये। इससे कृषकों की सहायता होगी।

मन्त्री महोदय ने कहा था कि धान और गेहूं के मूल्य में केवल तीन रुपए का ही अन्तर है। आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि गेहूं के मूल्य में 100 प्रति शत और धान के मूल्य में 75 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

आन्ध्र प्रदेश के कृषकों को धान का उतना मूल्य भी नहीं मिल रहा है जितना कृषि मूल्य आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है। अतः सरकार को आन्ध्र प्रदेश के तूफानग्रस्त किसानों की सहायता करनी चाहिए। पहली फसल का धान अभी पड़ा है। दूसरी फसल भी आने वाली है। लेकिन कोई ग्राहक नहीं

है। यदि भारतीय खाद्य निगम उनकी सहायता करने के लिये सामने आए और निश्चित मूल्य पर उनका माल खरीदे तो उससे उनको बहुत राहत पहुंचगी।

श्री वसन्त साठे : देश के ऐसे स्थानों पर, जहां हवाई अड्डे तथा विमानों के उतरने आदि की व्यवस्था हो, विमान सेवा का विस्तार किया जाना चाहिये। इससे अधिक लोगों को लाभ पहुंचेगा।

आजकल बड़े-बड़ होटलों में जाने पर पता चलता है कि वहां सुनसान पड़ी होती है। शाम को तो वे बिल्कुकुल खाली देखाई देते हैं। वहां पर कोई नहीं जाता। मैं उन व्यक्तियों में से नहीं हूं जो शराब पीने का समर्थन करने है। लेकिन नशबन्दी से पर्यटन को भी नक्सान हो रहा है और विदेशी मुद्रा की भी कमी होने की सम्भावना है। अतः सरकार को नशाबन्दी नीति पर फिर से विचार करना चाहिये।

श्री वयालार रवि (चिरंयकील) : संचार मंत्रालय देश का एक महत्वपूर्ण अंग है। दुर्भाग्य की बात तो यह है कि इस मंत्रालय से सम्बधित अनेक समस्याएं काफी समय से अनिर्णीत पड़ी हैं। साढ़े चार लाख डाक कर्मचारियों में से ढाई लाख कर्मचारी विभागेतर कर्मचारी हैं। ये कर्मचारी स्थायी कर्मचारी नहीं हैं। उन्हें केवल 85 रुपए दिए जाते हैं। मंगाई भत्ता 15 गुना बड़ चुका हैं किन्तु उन लोगों को ये सभी किस्तें नहीं दी गई हैं। जब श्री बहुगुणा जी संचार मंत्री थे तब ही उन्हें मंहगाई भत्ता दिया गया था। उसके बाद उन्हें कोई महंगाई भत्ता नहीं दिया गया है। उन्हें महंगाई भत्ते की 12 किस्तें दी जानी हैं। मंत्री महोदय को इन लोगों को महंगाई भत्ता देने की ओर ध्यान देना चाहिए। विभागेतर कर्मचारियों को रखने की प्रणाली पूर्ण रूप से समाप्त की जानी चाहिए। यह प्रणाली उस समय लागू की गई थी जब अविभाजित भारत की आबादी 30 करोड़ थी, अब विभाजित भारत में भारत की आबादी 60 करोड़ हो गई है। अतः अब वे डाक व तार विभाग के नियमित कर्मचारी बनाए जाने चाहियें।

टेलीफोन विभाग के कर्मचारी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। टेलीफोन प्रणाली का विस्तार किया गया है किन्तु वहां पर कर्मचारियों की संख्या पर्याप्त नहीं है। हाल में एक परिपत्र जारी किया गया है कि उनकी संख्या 10 प्रतिशत कम कर दी जाए। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। सरकार को ऐसा कभी नहीं करना चाहिय।

अन्त में मैं डाकियों तथा तार कर्मचारियों को जो वर्दिया दी जाती हैं उनके बारे में मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा। इन लोगों को अच्छी वर्दियाँ नहीं दी जाती हैं। छोटे लोगों को बड़ी वर्दियाँ दी जाती हैं और बड़े लोगों को छोटी। इन्हें अच्छी वर्दियाँ दी जानी चाहिएं।

मैं माननीय मंत्री से यह भी प्रार्थना करूंगा कि वह डाक न तार कर्मचारियों को आवास सम्बन्धी अधिक सुविधायें दें।

मुझे आशा है कि मंत्री महोदय मेरे इन सुझावों पर विचार करेंगे।

श्री सौगत राय (बैरकपुर) पश्चिम बंगाल में बिजली की बहुत कमी है। वहाँ पर छोटे-छोटे कारखाने तो बन्द हो रहे हैं और बड़े कारखानों में भी जबरी छुट्टी की जा रही है। राज्य सरकार इस समस्या का समाधान नहीं कर सकी है। राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है कि उन्हें एक गैस टरबाइन मुहैया किया जाए। उन्होंने यह माँग वहाँ पर बिजली की कमी को तुरन्त दूर करने के लिए की है। उनका प्रार्थनापत्र ऊर्जा मंत्रालय में निलंबित पड़ा है। मंत्री महोदय से अनुरोध है कि उनके इस प्रार्थना पत्र पर तुरन्त निर्णय किया जाए।

ऊर्जा मंत्रालय की पश्चिम बंगाल में एक कोयलाकार्बनी करण संयंत्र लगाने की भी एक योजना थी इस पर तुरन्त निर्माणकार्य आरम्भ किया जाना चाहिए।

जहाँ तक फरक्का सुपर तापीय विद्युत केन्द्र का सम्बन्ध है इसका निर्माण कार्य भी तुरन्त आरम्भ किया जाना चाहिए।

दण्डकारण्य के शरणार्थियों की स्थिति ठीक नहीं है जो शरणार्थी सुन्दरवन में रहते हैं उनकी स्थिति तो जानवरों से भी बदतर है। अतः पुनर्वास मंत्रालय को शीघ्र ही कुछ ऐसे काम करने चाहिएं जिससे कि इन लोगों को कम से कम अस्थायी तौर पर शिविरों में बसाया जा सके।

मंत्री महोदय ने टेलीफोन केन्द्रों और स्वचालित टेलीफोन केन्द्रों के कार्यक्रम के सम्बन्ध में घोषणा की है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में केवल दो टेलीफोन केन्द्र है एक बैरकपुर में और दूसरा मापुर में। ये दो केन्द्र स्वचालित नहीं है। इन्हें स्वचालित बनाया जाना चाहिए।

जहाँ तक आणविक शक्ति का सम्बन्ध है मैं तो यह कहना चहता हूं कि सरकार इस ओर बड़ी धीमी गति से काम कर रही है। सरकार ने पहले ही शांतिपूर्ण विस्फोटों और वैज्ञानिक और अनुसंधान उद्देश्यों सम्बन्धी कार्यक्रम का त्याग कर दिया है। यह कार्यक्रम किसी भी हालत में समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। दूसरी ओर इसे अधिक सुदृढ़ करना चाहिए।

श्री जे० आर० डी० टाटा के निकाले जाने से एयर इंडिया के कर्मचारी असंतुष्ट हैं। उन्हें निकालने पहले सम्मानित किया जाना चाहिए।

श्री के० टी० कोसलराम (तिरुचेंडूर): राज्यों में कई विभाग होते हैं। प्रत्येक विभाग का एक अध्यक्ष होता है। किन्तु राज्यों में इन विभागों में कोई समन्वय नहीं है। इन अधिकारियों पर नियंत्रण रखना बहुत कठिन है। इस समस्या को हल करने के लिए कोई तरीका निकालना चाहिए।

मेरे मित्र श्री बीजू पटनायक इस्पात के उत्पादन की बात कर रहे थे। हर रोज सरकार यही कहती है कि छोटे पैमाने के उद्योगों के लोग जिस तरह की सहायता चाहते हैं हम उनको देने को तैयार है किन्तु एल्युमिनियम उद्योग के लोगों का यह कहना है कि उन्हें इस्पात का कोटा नहीं मिल रहा है। सरकार को कुछ ऐसा तरीका निकालना चाहिए जिससे लघु उद्योगों के लोगों को उनकी जरूरत की चीजें उपलब्ध हो सकें।

स्टेट बैंक आफ इंडिया 40,000 लोगों को नौकरी देना चाहता है। यद्यपि इन स्थानों को भरने की स्वीकृति पहले ही दी जा चुकी है किन्तु उन्हें अभी भरा नहीं गया है। ये नियुक्तियाँ तत्काल की जानी चाहिएं।

भूतपूर्व सरकार ने एक परिपत्र जारी किया था कि सभी चपरासी हरिजनों में से लिए जाएं किन्तु स्टेट बैंक में एक भी हरिजन नहीं लिया गया है। इस ओर ध्यान दिया जाए।

वित्त मंत्री (श्री एच०एम० पटेल): माननीय सदस्यों ने कई बातें उठाई हैं। जहाँ तक जयपुर चीनी मिल का सम्बन्ध है उस पर 6 लाख रूपये का जुर्माना नियमानुकूल ही किया गया है।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है कि आपने उन पर अभिभोग क्यों नहीं चलाया।

श्री एच०एम० पटेल: यह उत्पादन शुल्क कलेक्टर का काम नहीं है। यह वित्त मंत्रालय के अन्तर्गत नहीं आता। जहाँ तक वृद्धावस्था पेंशन का सवाल है हमारे पास सीमित संसाधन हैं। सिंगरेनी कोयला खानों के कर्मचारियों को अनिवार्य जमा योजना का पैसा वापस करने की दिशा में कार्यवाही की जा रही है। माननीय सदस्यों ने बहुत से मुद्दे उठाये हैं परन्तु उनका अलग-अलग जवाब देना सम्भव न होगा।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है कि वित्तीय वर्ष 1978-79 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(The motion was adopted)

अध्यक्ष महोदय : अब हम खण्डवार विचार आरम्भ करें ।

प्रश्न यह है कि :

"खण्ड 2 से 4 और अनुसूची विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(The motion was adopted)

खण्ड 2 से 4 और अनुसूची विधेयक में जोड़े गये

(Clauses 2 to 4 and the Schedule were added to the Bill)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि खण्ड अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

(The motion was adopted).

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक, का अंग बने ।

(Clauses 1, the enacting formula and the Title were added to the Bil.)

श्री एच०एम० पटेल: श्रीमन् मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

(The motion was adopted)

वित्त विधेयक, 1978

(The Finance Bill, 1978)

अध्यक्ष महोदय : इस विधेयक के सभी प्रक्रमों के लिए तीन दिन नियत किये गये हैं । यदि यह सदन सहमत हो तो उस पर सामान्य चर्चा के लिए नौ घंटे खण्डवार विचार के लिए दो घंटे और तीसरे वाचन के लिए एक घंटा लगाये जायेंगे ।

अनेक सदस्य : जी हाँ ।

श्री एच०एम० पटेल : मैं प्रस्ताव करता है

"कि वित्तीय वर्ष 1978-79 के लिए केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी कर वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

मैं माननीय सदस्यों और अन्य लोगों के प्रति जिन्होंने बजट प्रस्तावों के बारे में अपने सुझाव दिये हैं आभार व्यक्त करता हूं । इन सुझाओं पर विचार करने के बाद मैंने अपने कुछ मूल प्रस्तावों में संशोधन करने का निश्चय किया है। मैं पहले उन परिवर्तनों के बारे में बताऊंगा जो प्रत्यक्ष करों में करने का विचार है ।

विधेयक में कर योग्य लाभ का हिसाब लगाने में करदाता द्वारा विज्ञापन, प्रथम और बिक्री बढ़ावे पर किये गए खर्च का एक निश्चिय प्रतिशत हिस्सा शामिल न करने की व्यवस्था है । मध्यम और लघु उद्यमों को इससे होने वाले कठिनाई को ध्यान में रखते हुए विधेयक में पहले ही यह व्यवस्था थी कि जिन मामलों में विज्ञापन प्रचार और बिक्री बढावे पर किया गया कुल खर्च एक वर्ष में 20,000 रुपये से अधिक नहीं होगा उसमें छूट दी जाएगी । यह एकक बहुत थोड़ी बतायी गई है । इस व्यवस्था से वास्तविक लघु उद्यमों पर बुरा असर न पड़े इस उद्देश्य से मैंने 20,000 रुपये की सीमा को 40,000 रूपये तक बढ़ाये जाने का प्रस्ताव किया है ।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रस्तावित उपायों के परिणामस्वरूप छोटे समाचारपत्रों की विज्ञापन आमदनी पर न घटे, मेरा यह उपबन्ध करने का विचार है कि किसी ऐसे समाचार पत्र में जिसका परिचालन 15,000 प्रतियों से अधिक का न हो, दिये गये विज्ञापन पर खर्च के मामले में छूट दी जाएगी। मेरा विचार यह उपबन्ध करने का भी है कि साविधिक रूप में दिये गये विज्ञापन या कर्मचारियों की भरती के लिए दिये गये विज्ञापन पर खर्च के बारे में छूट दी जायेगी।

'प्रचार' और 'बिक्री बढ़ावा' शब्दावली की कोई व्यापक परिभाषा देना कठिन है। अतः मेरा यह स्पष्टीकरण करने का विचार है कि खर्चों का कतिपय मदों पर जैसे कि बिक्री सम्मेलनों, प्रेस सम्मेलनों और व्यापारिक अधिवेशनों, व्यापार मेलों, तथा प्रदर्शनियों में भाग लेने पर किये गये खर्च और कर्मचारियों के वेतन, मूल्य सूचियों जैसे स्थापन व्यय के बारे में छूट दी जायेगी। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा नियमों को बनाकर बिजली को भी ऐसे ही खर्च में शामिल किया जा रहा है।

आयकर अधिनियम में इस समय उपबन्ध है कि निर्धारित सीमा से अधिक किया गया स्वागत खर्च कर योग्य लाभ की गणना करते समय उसमें से घटाने नहीं दिया जायेगा। यह स्पष्ट कर देने का विचार है कि प्रचार और बिक्री बढ़ाने के सम्बन्ध में किया स्वागत व्यय कर छूट नहीं देना जारी रहेगा।

विधेयक में 31 मार्च, 1978 के बाद निर्यात मंडी विकास के संदर्भ में किये गये व्यय के लिय छूट देने की योजना बन्द करने की व्यवस्था की गई थी लेकिन इस सम्बन्ध में प्राप्त हुए हैं अनेक अभ्यावेदनों पर भलीभांति विचार करने के बाद मैंने निर्यात मंडी विकास छूट को कुछ परिवर्तन सहित जारी रखने का निर्णय किया है। यह योजना केवल उन्हीं निर्यात संगठनों के लिए है जिन्हें वाणिज्य मंत्रालय ने लघु पैमाने के निर्यातकों और परामर्शदात्री फर्मों ने मान्यता प्रदान कर रखी है। व्यापक पारिवारिक कम्पनियों के मामले में भी कटौती की मात्रा 150 प्रतिशत से घटाकर 133.3 प्रतिशत की जायेगी।

विधेयक में उपबन्ध है कि नई औद्योगिक कम्पनियों के इक्विटी शेयरों में लगायी राशि से 50 प्रतिशत आय कर योग्य आय में शामिल नहीं की जायेगी। मेरा प्रस्ताव है कि इस रियायत को देश में रिहायशी मकानों के बनाने या खरीदने के लिए दीर्घ अवधि के लिये वित्त लगाने वाली मंजूरी शुदा कम्पनियों के इक्विटी शेयरों में लगने वाले धन पर भी दिया जाये।

विधेयक में यह भी व्यवस्था की गई है कि भारतीय जोकि बाहर के देशों में नौकरी कर रहे हैं और देश में कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर आते हैं और 89 दिन से ज्यादा यहाँ नहीं रहते उन्हें देश का निवासी नहीं माना जाएगा। इस विधेयक के उपबंधों के अंतर्गत यह रियायत केवल उन्हीं मामलों में दी गई है जहाँ कि भारतीय नागरिकों की सेवाएं केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित की गई हों अथवा उनकी सेवा शर्तों की स्वीकृति केन्द्रीय सरकार या किसी सक्षम प्राधिकार द्वारा की गई हो। मेरा प्रस्ताव है कि निर्बन्धात्मक शर्त को हटा दिया जाये। मेरा यह भी प्रस्ताव है कि नये करदाता अर्थात् पहले जो आयकर नहीं देते थे वे पहले ही की तरह अग्रिम कर की देय तारीख से पूर्व अग्रिम कर प्राक्कलन भेजते रहें।

वित्त विधेयक में व्यवस्था है कि 28 फरवरी, 1978 के बाद बैंकों में जमा करायी गई राशि को दीर्घावधि पूंजी लाभ के अन्तर्गत कर से छूट के लिए निवेश न माना जाये। अब मैंने निर्णय किया है कि बैंकों में जमा राशि को कुछ शर्तों के साथ ऐसा निवेश मान लिया जाये। इन शर्तों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि करदाताओं द्वारा ऐसी जमा राशि के फलस्वरूप पिछले तीन वर्षों में कोई ऋण अथवा अग्रिम धन तो नहीं लिया गया।

मैंने जो विभिन्न संशोधन रखे हैं उनके परिणामस्वरूप वर्ष भर में 10.5 करोड़ रुपये और 1978-79 में 8.8 करोड़ रुपये की हानि होगी।

अब मैं अप्रत्यक्ष करों के प्रस्तावों पर आता हूं। जहाँ तक विद्युत उत्पादन पर प्रति किलोवाट घंटे पर 2 पैसे उत्पाद शुल्क लगाये जाने की बात है, मैंने सहायक उपयोग में बिजली की खपत को पहले ही छोड़ दिया है। अब मैंने इस समय उत्पादित बिजली में से सहायक उपयोग के लिए बिजली की खपत को निकालकर 10 प्रतिशत की समान कमी कर दी है और अब लेवी 10 प्रतिशत रह गई है।

विद्युत उत्पादन तथा उपभोक्ताओं से पैसा मिलने के बीच समय के अंतर को देखते हुए यह निदेश दिए जा रहे हैं कि उत्पादक दो मास के भीतर शुल्क दे सकता है।

अल्मूनियम जैसे उद्योगों में जहाँ वस्तुओं के उत्पादन में बिजली की बहुत खपत होती है, शुल्क देने के मामले पर विचार किया जायेगा।

विद्युत उत्पादन तथा खानों में उत्पादित कोयले पर शुल्क में 1 प्रतिशत छूट देने का प्रस्ताव है।

हार्ड कोक तैयार करने के लिए प्रयोग किये जाने वाले कोकिंग कोल पर लगे शुल्क के लिए प्रोफार्मा ऋण की प्रक्रिया में व्यावहारिक दिक्कतों को देखते हुए मैं इस शुल्क को हटा रहा हूं। अतः कोकिंग कोल पर शुल्क 7 रु० प्रति टन रह जायेगा और दूसरे किस्म के कोयलों पर यह 5 रु० प्रति टन होगा।

मैंने टैक्सियों के रूप में प्रयोग की जाने वली आटो रिक्शा पर उत्पाद शुल्क को 12 1/2 प्रतिशत एडवेलोरम से घटाकर 10 प्रतिशत एडवेलोरम करने का प्रस्ताव किया है लेकिन ये आटो रिक्शा परिवहन प्राधिकारियों के पास किराये पर चलने वाली टैक्सी के रूप में पंजीकृत होनी चाहिए। मैंने यह शर्त भी हटाने का प्रस्ताव किया है।

मैंने जिन संशोधनों का प्रस्ताव किया है उनसे सारे वर्ष में 17.43 करोड़ रु० तथावर्ष 1978-79 में 16.19 करोड़ रु० की हानि होगी।

मुझे आशा है कि सभा अब विधेयक को पास करेगी।

अध्यक्ष महोदय : श्री वेंकटारमन :

पहले वक्ता को 20 मिनट मिलेंगे।

कांग्रेस (आई) को 1 घंटा 5 मिनट।

कांग्रेस को 1 घंटा, 1 मिनट मिलेगा।

मुझे खेद है कि इसमें कमी की गई।

श्री आर० वेंकटरमन (मद्रास दक्षिण) : अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री ने वहीं ऊंट पर बोझ लादने की पुरानी कहानी की पद्धति अपनायी है।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[Mr. Deputy Speaker in the Chair]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको समय के बारे में बता देता हूं। सामान्य चर्चा के लिए हमने नौ घंटे नियत किये हैं, दो घंटे खण्डवार चर्चा के लिए और एक घंटा तीसरे वाचन के लिए।

श्री आर० वेंकटरमन : मैं वित्त मंत्री का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने रियायतें दी हैं । वित्त विधेयक के बारे में मुझे कुछ शब्द कहने हैं । मैं वित्त मंत्री से यह निवेदन करना चाहती हूं कि वे पुरानी पद्धति जिसमें समाप्त हुए वर्ष के लेखे, संशोधित अनुमान और अगले वर्ष के बजट अनुमान दें । गत वर्ष के लेखे नहीं दिये गये हैं जिससे यह नहीं मालूम होता है संशोधित अनुमानों और वास्तविक व्यय में क्या अन्तर आया है । उदाहरण के लिए 1976-77 के वास्तविक व्यय की कोई जानकारी नहीं है ।

मैंने माननीय वित्त मंत्री को कहा है कि 17 मार्च, 1978 तक भी समाप्त होने वाले वर्ष के लेखे तैयार नहीं हुए हैं । इससे संसद का व्यय के ऊपर नियंत्रण नहीं हो पाता है । संसदीय नियंत्रण के अन्तर्गत पिछले वर्षों के वास्तविक खर्च को ध्यान में रखते हुए यह देखना होता है कि अन्तर कैसे हुआ है । इस बारे में एक प्रश्न पूछा जिसका वित्त मंत्री ने यह उत्तर दिया कि 1975-76 और 1976-77 में अन्तर राजस्व अधिक प्राप्ति के तथा योजना व्यय में कमी के कारण हुआ । यदि यह बजट में दिखाया गया होता तो इसपर चर्चा हुई होती और सभा एवं देश का ध्यान इस ओर आकर्षित किया होता ।

मेरे इस सम्बन्ध में प्रश्न संख्या 446 के उत्तर में वित्त मंत्री ने उत्तर दिया था कि मैं पुरानी पद्धति अपनाने की पूरी कोशिश करूंगा ।

हम बढ़ते हुए खर्च को स्वीकार कर रहे हैं और इस पर कोई चिन्ता व्यक्त नहीं की जा रही है, बजट में मितव्ययता की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है । वित्त मंत्री से यह निवेदन है कि वे प्रशासन में मितव्ययता करें । सचिवालय का प्रसार हो रहा है । मेरा तर्क यह है कि जिस प्रकार सेवाओं का विस्तार हो रहा था व्यय में भी उसी अनुरूप वृद्धि हुई है तथा यह सुनिश्चित करें कि इसमें मितव्ययता हो रही है ।

वित्त मंत्री ने कहा है कि उनका बजट साहस पूर्ण है । जहां तक मैं देखता हूं इसमें अब तक के बजटों में सबसे ज्यादा घाटा दिखाया गया है । घाटे के बजट की पद्धति दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है मुझे ऐसा आभास होता है कि वित्त मंत्री इसमें और भी प्रगति करने जा रहे हैं । यह देश के लिए बड़ी चिन्ता की बात है । घाटे की बात स्पष्ट रूप से तब समझ में आती है जब इसे छटी योजना की पूरी अवधि के दस्तावेज से तुलना की जाती है ।

योजना आयोग के अनुसार सरकारी क्षेत्र की 69,380 करोड़ रुपये की कुल योजना में 2226 करोड़ रुपये की कमी रहेगी । इसमें से बजट के पहले वर्ष 1050 करोड़ रुपये का अन्तर समाप्त हो जायेगा । और 50 प्रतिशत का अन्तर योजना के पांच वर्षों में समाप्त हो जायेगा । कहा गया है कि घाटा दो तरीकों से कम किया जायेगा । पहिले तरीके के अनुसार विदेशी मुद्रा के साधनों से तथा दूसरे तरीके के अनुसार सोने की बिक्री से कम हो जायेगा । जहां तक विदेशी मुद्रा साधनों से लेने का प्रश्न है हमारा यह अनुभव रहा है कि हम 800 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा का उपयोग नहीं कर पाये हैं । अतः इस तरीके का सफल होना सम्भव नहीं है । पूंजीगत माल के आयात की भी आत्मनिर्भरता के कारण सम्भावना नहीं है । परिणाम यह होगा कि घाटा बना रहेगा । योजना आयोग पांच वर्ष में 1180 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा का उपयोग कर सका है इसे दृष्टि में रखते हुए यह स्पष्ट है कि वित्त मंत्री किस प्रकार विदेशी मुद्रा का उपयोग कर पायेंगे ।

जहां तक मेरी जानकारी है रिजर्व बैंक के पास 188 करोड़ रुपये का सोना है जो नोटों के सम्बन्ध आरक्षण के लिए है । वित्त मंत्री के अनुसार 3.5 टन सोना स्टाक में है जो स्वर्ण बांडों की अदायगी के लिए है । अन्य सोना 70 टन है जिसका मूल्य 500 करोड़ होता है । यदि इसका उपयोग 1050 करोड़ के घाटे की पूर्ति करने के लिए किया गया तो इसका परिणाम यह होगा कि 30 वर्षों में जमा किये हुए साधन को 1 वर्ष के घाटे की पूर्ति के लिए किया जा रहा है ।

मेरे विचार से सोने की बिक्री उचित नहीं है। तस्करी को रोकने की दृष्टि से भी यह उचित नहीं है। क्योंकि सोने की स्थानीय कीमत और अन्तर्राष्ट्रीय कीमत में अन्तर है। सोने को अन्तर्राष्ट्रीय कीमत पर बेचना भी उचित नहीं है हमारे पास केवल 70 टन सोने का स्टाक है। अतः वित्त मंत्री इस पर गम्भीरता से विचार करें। लड़ाई की स्थिति का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। यह स्पष्ट नहीं है कि क्यों सोना बेचने का प्रस्ताव है। सोने की बिक्री रोक देनी चाहिए।

वित्त मंत्री ने कहा है कि वह सोने का आयात करेंगे और फिर उसके जेवर बना कर निर्यात करेंगे। विदेशी मुद्रा सोने की खरीद के लिए उपयोग करना अच्छा नहीं है और इसका कोई तर्कसंगत आधार नहीं है।

सार्वजनिक ऋण बढ़ता चला जा रहा है और 1978-79 तक यह 4,117 करोड़ रुपये हो जायेगा अर्थात् एक वर्ष में 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वित्त मंत्री इस पर गम्भीरता से विचार करें।

कर निर्धारण के बारे में वित्त मंत्री ने कहा है कि इससे मित्त व्ययता, जमा आदि में प्रगति होगी। देखना यह है कि क्या यह हो सकेगा। विकासशील देशों में प्रत्यक्षकर बहुत अधिक नहीं होते। प्रत्यक्ष करों से राजस्व का संचय करने की अपेक्षा उसे समाप्त किया जा रहा है। जो रियायतें दी हैं इसकी बजाय उन्हें समाप्त किया जाता। गत वर्ष, उदाहरण के लिए कई सुविधाएं प्रत्यक्ष कर में दी गईं। इस वर्ष वह उन्हें और बढ़ा रहे हैं। अविभक्त हिन्दू परिवार को उन्होंने फिर रियायत दी है।

वांचू समिति के अनुसार अविभक्त हिन्दू परिवार करों का अपवंचन आय-कर एवं सम्पत्ति कर में करते हैं और हिन्दू अविभक्त परिवार का लाभ उठाते हैं। ये परिवार अपनी आय को विभिन्न व्यक्तियों में बांट देते हैं और इस प्रकार बड़ी मात्रा में कर अपवंचन करते हैं। आयकर तथा सम्पत्ति कर में क्रमशः 60 प्रतिशत और 50 प्रतिशत का अपवंचन किया गया। पिछली सरकार ने इस रियायत को समाप्त कर दिया था किन्तु वित्तमंत्री ने फिर से दे दिया है। वांचू समिति के अनुसार हिन्दू अविभाजित परिवार का अपवंचन में लगे हुए हैं। हम सब जानते हैं कि हिन्दू अविभाजित परिवार नाम की कोई चीज नहीं है। यह केवल आय-कर से बचने का एक तरीका रह गया है। हम प्रत्यक्ष करों में इस प्रकार की रियायत कर घोर विरोध करते हैं।

वित्त मंत्री महोदय का प्रस्ताव है कि सम्पदा शुल्क से छूट की सीमा 50,000 रु० से बढ़ कर एक लाख कर दी जाये। इसके पक्ष में दलील यह दी गई है कि रुपये की कीमत घट गई है। क्या हानि हो जायेगी यदि 50,000 रु० या इससे अधिक की सम्पत्ति छोड़कर जाने वाले व्यक्ति से 4 प्रतिशत शुल्क लिया जाये। यह राज्यों के लिए राजस्व प्राप्ति का एक साधन है। राज्यों को पहले ही घाटा हो रहा है। इस वर्ष राज्यों का कुल घाटा लगभग 800 करोड़ रुपए है। अगर उन्हें इससे वंचित करेंगे तो उनका घाटा बढ़ जायेगा। वास्तव में राज्यों को सहायता की अपेक्षा है। झा समिति के अनुसार 15 रुपए मासिक व्यय करने वाले व्यक्ति पर 3 प्रतिशत का भार है, जो कुछ वस्तुओं पर आपके द्वारा लगाये गये 5 प्रतिशत विशेष शुल्क से बढ़ जायेगा, तथा 75 और 100 रुपए मासिक व्यय करने वाले व्यक्तियों पर कर भार 10 प्रतिशत है। एक ओर तो आप 75 से 100 रुपए व्यय करने वाले वर्ग पर 5 प्रतिशत विशेष शुल्क लगाना चाहते हैं और दूसरी ओर हिन्दू अविभाजित परिवार पर सम्पदा शुल्क में 50,000 रुपए की सम्पत्ति की छूट देना चाहते हैं। मेरा निवेदन यह है कि इससे राष्ट्र की अर्थ-व्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा, मूल्यों में वृद्धि होगी और आम जनता पिसेगी।

मैं वित्त विधेयक के उपबन्धों को तीन वर्गों में बांटता हूं, प्रथम ऐसे उपबन्ध जो प्रशंसनीय हैं, दूसरे वे जिनमें संशोधनों की आवश्यकता है और तीसरे ऐसे उपबन्ध जो आपत्तिजनक हैं। 31 मार्च, 1978 के बाद निर्मित मकानों से किराये के रूप में आय की कटौती की राशि 12,000 रुपए से बढ़ाकर 24,000 रुपए करने के प्रस्ताव का स्वागत है, इससे मकानों के निर्माण में तेजी आयेगी। कैंटीन,

अस्पताल आदि के कर्मचारी कल्याण उपायों के बारे में प्रारम्भिक मूल्य-ह्रास 20 प्रतिशत की जगह 40 प्रतिशत करने के प्रस्ताव का भी स्वागत है । मैं खण्ड 14 का भी स्वागत करता हूं । खण्ड 14 के अधीन अग्रिम विनिर्णय का लाभ आयकर कानून के अन्यन्त महत्वपूर्ण क्षेत्र में तथा विदेशी सहयोग के क्षेत्र में दिया जाना चाहिये । ऐसा करने से उद्योगों के विकास में सहायता मिलेगी । खण्ड 16 के इस उपबन्ध का तो मैं स्वागत करता हूं कि दीर्घकालीन बचत के सम्बन्ध में शत प्रतिशत छूट की राशि 4000 रु० से बढ़ाकर 5000 रुपए कर दी जाये परन्तु मैं अधिकतम सीमा 20,000 से 30,000 रुपए बढ़ाने के पक्ष में नहीं हूं क्योंकि एक लाख रुपए की वार्षिक आय वाले व्यक्ति को छूट की कोई आवश्यकता नहीं है । मैं खण्ड 17 का भी स्वागत करता हूं जिसके अन्तर्गत नये उद्योगों में शेयरों की खरीद पर करों में रियायत दी गई है परन्तु साझेदारी फर्मों और अपने निजी व्यवसाय के मामले भी इसे लागू किया जाना चाहिये । खण्ड 18 के अन्तर्गत दुग्ध सहकारी समितियों को कर में छूट का भी स्वागत है ।

मैं वित्त मंत्री का आभारी हूं कि उन्होंने गैर-निकासियों के सम्बन्ध में मेरा संशोधन पूर्णतः स्वीकार कर लिया है । मेरे विचार में खण्ड 9 अनुचित है । इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान "इनकम टैक्स रिपोर्ट्स", खण्ड 100, पृष्ठ 413 पर दिये गये निर्णय की ओर दिलाना चाहता हूं । मेरे विचार में खण्ड 52(2) को हटा ही देना चाहिये । मुझे प्रसन्नता है कि पूंजीगत लाभ के बारे में मेरा संशोधन मंत्री महोदय ने स्वीकार कर लिया है । मैं उनसे सहमत हूं कि फिक्सड डिपाजिट के रूप में जमा किया गया धन तीन वर्ष तक जमा रहना चाहिये । अप्रत्यक्ष करों के बारे में, मैं कोयले और बिजली पर शुल्क के विरुद्ध हूं । सामान्य उत्पादन शुल्क में 5 प्रतिशत की वृद्धि से मूल्य बढ़ेंगे और कुछ विशिष्ट वास्तुओं पर 5 प्रतिशत की अन्य वृद्धि से देश में औद्योगिक और वाणिज्यिक विकास में बाधा उत्पन्न होगी । संभवतः उन्होंने कानूनी राय नहीं ली है । राज्य बिजली बोर्डों के कार्यकरण की जांच करने वाली समिति के प्रतिवेदन के अधीन बिजली पर शुल्क वास्तव में राज्यों के क्षेत्राधीन है । केन्द्र कैसे यह शुल्क लगा सकता है । एक अन्य बात यह है कि यदि आप बिजली की बिक्री पर कर लगाते हैं, तो यह बिक्री कर बन जाता है और केन्द्र को बिजली पर बिक्री कर लगाने का कोई अधिकार नहीं है ।

जहां तक विज्ञापन कर का सम्बन्ध है, संविधान के अनुच्छेद 269 के अधीन समाचारपत्रों का क्रय-विक्रय और उनमें विज्ञापनों पर कर केन्द्र द्वारा लगाया जायेगा और वह राज्यों को बांटा जायेगा । परन्तु आप चालाकी दिखाते हैं और कहते हैं कि यह विज्ञापनों पर कर नहीं है । आप विज्ञापनों की सीमा निर्धारित करते हैं और कहते हैं कि उससे अधिक व्यय की कटौती अनुज्ञेय नहीं होगी । फिर यह आय हो जाती है, जिसपर आयकर लगता है । वास्तव में यह विज्ञापनों पर कर है, जो राज्यों का क्षेत्राधिकार है । कोई भी इसे चुनौती दे सकता है । अन्त में वित्त मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वे अप्रत्यक्ष करों के 400 करोड़ के भार को कुछ कम करें ।

Shri Harikesh Bahadur (Gorakhpur) : Sir, I rise to support the finance Bill. We are thankful to the hon. Finance Minister for the concessions announced by him. It is a positive step in the direction of granting relief to all those persons who felt hardpressed on the preservation of the Budget.

The biggest problem being faced by the society today is the heavy concentration of economic power in the hands of few persons in the country which took place during the Congress regime. The previous Government never bothered to examine its adverse effect on the poor people. The big industrial houses exploited the situation to the detriment of the common man and strengthened their hold on the economy. For example the capital of Birlas, which was less than Rs. 100 crores before independence, has grown to the magnitude of Rs. 1000 crores. I will suggest that our Government should perescribe a ceiling on private capital and take over the capital found in excess thereof so that capitalist are not

able to exploit the people. Vast disparities in income is also a cause and therefore, I plead that a similar ceiling may be imposed on income of big industrial houses and their top functionaries, who are drawing pay even higher than that of the President.

The business community was hitherto indulging in economic offences and adopting various unfair means and practices for tax evasion, whether it be income-tax, excise, etc. I thank the hon. Minister for taking action against Mohan Meakins. Our existing laws in this regard are not very effective and the action to be taken under the existing provisions is time consuming as well. Moreover, there is no provision for suitable punishment. Necessary amendments should be carried out in these laws so that stringent punishment could be awarded to the economic offenders without delay. Separate courts may be set up to deal with the cases of tax evasion expeditiously. I hope government would yield to no pressure in this regard.

As regards workers, I feel that they have been victims of exploitation by the big industrialists. Government have tried to grant some relief to the workers in the public sector but the private sector adopts dubious means to frustrate the effort of government to improve their lot. In order to ameliorate the conditions of workers, necessary control should be exercised on the capitalists. The industries being run by the big business people may be nationalised, if it becomes necessary to achieve the objective of welfare of the working class. I would suggest that the Ministry of Finance takes an initiative in evolving a national wage policy.

Our government have taken many effective steps to check smuggling whereas the previous government had imprisoned a few smugglers to justify its atrocitious regime during the 19 months. Certain political elements were in league with the smugglers. An enquiry should be conducted to identify the political links of smugglers and stringent action should be taken against such persons. I congratulate the government for detaining 150 persons recently under COFEPOSA. They should be prosecuted and I would repeat my in this regard that if needed, the constitution may also be amended for the purpose. It earlier suggestion is gratifying to note that government seized a large quantity of hashish.

Sir, Government have introduced auction of gold. This measure may be appreciated if it helps bring down the prices of gold and other commodities in the country. But its sale may be stopped as soon as the price come down to a desired level so that the remaining stock may be held in reserve for being utilised for this very purpose in the future.

We find that the pace of work of rural development is not satisfactory. It should be accelerated. The villages are still lacking in irrigation, drinking water, educational and medical facilities etc. Another problem which should engaged the attention of government is the problem of unemployment. It should be solved expeditiously.

The sugarcane growers continue to suffer in U.P., Bihar and other sugar producing States. Their plight can well be imagined from the fact that they had to burn their standing crops. The sugar mills are working against the interests of farmers and they are indulging in anti-social activities. They are not taking steps to modernise the sugar mills apprehending their nationalisation. So I would suggest that they be nationalised immediately and modernised. It is in the wider interest of the nation and the farmers.

The opposition has made a issue of plight of Harijans for criticising the government. The House is well aware of the various steps taken by the Janata Government for improving the condition of Harijans. It is the duty of all the high caste persons to see that no injustice

is done to Harijans and *adivasis*. Government should also take effective steps in this direction. The village Head, *Sarpanch* and *Panch* should be made responsible for the purpose. Next attention should be paid to provide electricity, water, roads etc., in Harijan colonies

In the end I will like to draw the attention of Government to the plight of weavers. Government should direct the State governments to arrange for the purchase of cloth from poor weavers through the corporation.

श्री टी०ए० पई (उदीपी) : वित्त मंत्री आशा करते थे कि अब उनके बजट और बजट प्रस्तावों का स्वागत करेंगे । परन्तु दुर्भाग्य से समूचा देश, उनको छोड़कर, बजट से अप्रसन्न है । यदि वे स्वयं विरोधी पक्ष में होते, तो वे भी ऐसे बजट की आलोचना करने से न चूकते ।

गत वर्ष 200 करोड़ रुपए का विनियोजन नहीं किया गया । इसके क्या कारण के और किस योजना पर व्यय नहीं किया गया । मेरा सुझाव है कि भविष्य में मंत्री महोदय वर्ष-प्रति-वर्ष प्रत्येक परियोजना पर व्यय के लिये संसद से अनुमति लें और बतायें कि क्या राशि खर्च की गई, कितनी खर्च की जानी चाहिये थे और व्यय में कमी रही, तो उसके क्या कारण थे । समय पर सरकारी योजनाओं के क्रियान्वित न किये जाने से उनकी लागत बढ़ती है ।

घाटे के बारे में मेरा यह अनुभव रहा है कि जब भी बजट में घाटे की व्यवस्था की गई, बाद में उसकी राशि संसद् से अनुमोदित राशि से बहुत अधिक बढ़ गई । संसद् को बताया जाना चाहिये कि किस मद में और किन कारणों से ऐसा हुआ । इसका पूर्ण विवरण संसद् के समक्ष रखा जाना चाहिये । घाटा तो घाटा ही है चाहे जनता सरकार का बजट हो या कांग्रेस सरकार का । इसका अर्थ-व्यवस्था पर बराबर असर पड़ता है । राज्य सरकारों ने 800 करोड़ रुपए का घाटा दिखाया है, जिसे पूरा करने के लिये इस वर्ष के केन्द्रीय बजट में व्यवस्था है । राज्य सरकारों को अपना बजट बनाते समय मालूम था कि उन्हें कितनी आय होगी, कितना व्यय होगा । फिर यह घाटा क्यों ? हमें तो कुल घाटे पर विचार करना है चाहे वह राज्यों में हो या केन्द्र में ।

बिजली बोर्डों को अब तक कुल 750 करोड़ रुपयें का घाटा हो चुका है और इस वर्ष ही 150 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है । अगर आप देश की अर्थ-व्यवस्था को इस प्रकार चलायेंगे, तो बेचारा गरीब पिसता ही रहेगा । मेरी यह दृढ़ धारणा बन गई है कि राज-सहायता भ्रष्टाचार का एक स्त्रोत बन गई है । हमें एक राज-सहायता आयोग या निगम बनाना चाहिये जो यह जांच करे कि आर्थिक विकास के किस क्षेत्र के लिये और किन वर्गों के लोगों के लिये राजसहायता दी जाये । इसका लाभ गरीब जनता को मिलना चाहिये । अब समय आ गया है कि हम राजसहायता पर व्यय और लाभ का तुलनात्मक अध्ययन करें ।

अतः मेरा सुझाव है कि नियोजित व्यय के सम्बन्ध में अधिक प्रयास किये जाने चाहियें । पहले अर्थशास्त्रियों का कथन था कि यदि एक करोड़ रुपया विनियोजित किया जाये, तो अपने आप इतने व्यक्तियों को रोजगार मिल जायेगा । लेकिन किसी ने यह पता लगाने की परेशानी उठानी गंवारा नहीं की कि क्या रोजगार के अवसर बने हैं । हमें विशेषज्ञों की सलाह लेनी चाहिये कि कहां पैसा लगाने से और कैसे रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं । विनियोजन तभी सार्थक हो सकता है कि जब आप बतायें कि अमुक क्षेत्र में हम अमुक राशि का विनियोजन कर रहे और इससे इतनी संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा । हमारे अनुभवहीन होने के कारण विगत में हमसे गलती हुई होंगी लेकिन हमारा राष्ट्र उन गलतियों को दोहराने की स्थिति में नहीं है ।

मेरे मित्र श्री वेंकटरामन सोने के आयात से सहमत नहीं थे । किन्तु सोने के आयात के पक्ष में होने का मेरा एक कारण है । मध्यपूर्व में मुझे बताया गया कि वहां पर भारत में बने जेवरात की

बड़ी मांग है । अतः यदि हम सोने का आदान करके जेवरात बनाकर उनका निर्यात करते हैं, तो काफी लोगों को रोजगार मिलेगा। भारत गोल्ड और कोलार गोल्ड फिल्ड्स को उनके द्वारा निकाला गया सारा सोना अंतर्राष्ट्रीय मूल्य पर रिजर्व बैंक को बेचना पड़ता है, जिससे इन दोनों कम्पनियों को घाटा होता है । हमारे पास जितने भी स्वर्ण निक्षेप हैं, हमें उनका उपयोग करना चाहिये । ऐसा विश्वास है कि सोने का काला धन जमा करने के लिए उपयोग किया जाता है। लेकिन हमें वास्तविक स्थिति को भी समझना चाहिये । देश में किसी भी समुदाय में मंगलसूत्र के बिना कोई विवाह सम्पन्न नहीं हो सकता है, यदि उसमें एक आउंस सोना भी लगे, तो देखिये कितनी आवश्यकता होती है । यदि कानूनी रूप में यह पूरी नहीं होती है, तो तस्करी से पूरी होगी । इस बारे में मेरी केवल एक शिकायत है कि आपको यह नहीं कहना चाहिये था कि आप रिजर्व बैंक के पास जो सोना है, वही बेचेगें । इसके बाद आप क्या करेंगे । आपको घोषणा करनी चाहिये कि देश में सोने का मूल्य कम करने के लिये आप जब और जितना आवश्यक हो आयात करेंगे । आपको पांच वर्षों के लिए एक आधारभूत आयात नीति घोषित करनी चाहिये अन्यथा लोग सोने की जमाखोरी करेंगे और बहुत पैसा बनायेंगे ।

अप्रत्यक्ष करों के सम्बन्ध में झा समिति नियुक्त की गई थी । कुछ वस्तुओं में काला बाजार रोकने हेतु और अभाव के कारण उत्पादन शुल्क लगाया गया परन्तु काला बाजार खत्म हो जाने पर भी उत्पादन शुल्क बरकरार बना हुआ है । उत्पादन शुल्क युक्तियुक्त पूर्ण नहीं है। झा समिति को इसे युक्तियुक्त बनाना चाहिये । यह बड़े खेद की बात है कि हमने कभी इस बात का पता नहीं लगाया कि किसी कराधान उपाय का हमारे जैसी अर्थ-व्यवस्था पर समय-समय पर क्या प्रभाव पड़ेगा । झा समिति ने कभी भी 5 प्रतिशत की वृद्धि की बात नहीं कही है । प्रतिवेदन को रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है । संसाधन बढ़ाने के लिये आपने 5 प्रतिशत की उनमें वृद्धि कर दी है और विज्ञापन कर लगा दिया गया है । बिजली सम्बन्धी कराधान के द्वारा बिजली बोर्डों को धन दिया जा रहा है किन्तु वे ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं । हमें महान्यायवादी को सभा में बुलाना चाहिये जो हमें बताएं कि क्या बिजली पर लगाया जाने वाला यह कर कानूनी तौर पर उचित है ।

कोयले के सम्बन्ध में हमारी नीति थी कि जहां भी कोयला प्रयोग किया जा सकता है वहां डीजल प्रयोग नहीं किया जाना चाहिये । अब कोयला रेलगाड़ी के स्थान पर ट्रकों से ले जाया जा रहा है, जिनमें डीज़ल का उपयोग होता है । क्या इससे भी ज्यादा बेवकूफी और फिज़ूलखर्ची हो सकती है कि कोयले के परिवहन के लिए डीजल का इस्तेमाल किया जाये । कोयले की जगह सीधे डीजल का उपयोग क्यों नहीं किया जाता ?

जहां तक थोक मूल्यों में बढोतरी का सम्बन्ध है यह कहना मूर्खता की बात है कि वे नहीं बढ़ेंगे । यदि मजदूरी और अन्य चीजों की कीमतें बढ़ती है तो मूल्य स्तर निश्चय ही बढ़ेगा लेकिन उसकी सीमा होनी चाहिए । हमारे पास ऐसी योजना होनी चाहिए जिसके अन्तर्गत हम यह कह सकें कि अमुक सीमा के बाद हम कीमतों को नहीं बढ़ाने देंगे । हमें यह भी देखना होगा कि चीजों की लागत क्यों बढ़ती जा रही है । इस दिशा में पांच वर्ष के लिए कोई ऐसी नीति निर्धारित की जानी चाहिए कि जिससे कम से कम बनियादी कच्चे सामान जैसे कि उर्वरकों की कीटनाशी दवाइयों, इस्पात, तांबा अल्मूनियम आदि धातुओं की कीमतों में स्थिरता लायी जा सके ।

Shri M.P. Sinha (Patna) **:** Bihar has been passing through a very difficult crisis because it appears as if there is no law and order there. It is hoped that the climate of discontentment in the State shall be removed.

It has been stated that prices are coming down, but one can find that coal is being sold in Bihar at the highest rates. Therefore, efforts should be made to bring down the prices. An attempt should also be made to remove casteism and to reduce atrocities on Harijans.

Shri R.C. Ram (Palamu) : No progress has been made so far to introduce land reforms. Government should lay down a period for implementation of land reforms and programme for land ceiling and consolidation of holdings. Before moving in this direction any investment by government in land will lead to more economic disparities.

The project for constructing Kutku dam in Polamu district was sanctioned and it envisaged that the said project would be completed by the end of the Fifth Five year Plan, but so far even its foundation stone has not been laid. The hon. Minister should allot more funds for this dam, since this district lies in rain shadow area and is most backward.

The number of agriculture labourers among Harijans has increased. The hon. Minister should ensure that their number does not increase further.

The present Government has definitely made better performance in curbing the atrocities on Harijans, However efforts should be made to see free the labour from bondage.

(श्री एम० सत्यनारायण राव पीठासीन हुए)

(Shri M. Satya Narain Rao in the Chair)

Disparity in regard to inclusion of people of Muiya caste in the list of scheduled castes in the district of Hazari Bagh should be removed.

Harijan and Adivasi people should also be released among those prisoners who are realeased on remission.

Bihar has so far been neglected very much and therefore adequate attention should be given to its development.

श्री जी० एम० बनतवाला (पोन्नानी) : यदि वित्तीय नीति को गौर से देखा जाये तो उससे स्पष्ट हो जायेगा कि उसमें सामाजिक लक्ष्यों और उद्देश्यों की उपेक्षा की गई हैं। आमदनी के पुन: समान वितरण की दिशा में करारोपण नीति की जो भूमिका होनी चाहिए उसके बारे में वित्त मंत्री ने जो कुछ अब तक किया है वह संतोषजनक नहीं है और और वह लक्ष्य से पिछड़े हुए हैं।

पूंजी-निवेश को बढ़ावा देने के लिए किये गये उपायों में उसके सामाजिक एवं आर्थिक लक्ष्यों की उपेक्षा की गई है। उच्च प्राथमिकता वाली वस्तुओं के उत्पादन में और कम प्राथमिकता वाली वस्तुओं के उत्पादन में पूंजी निवेश के बीच विभेद बरता जाना चाहिए लेकिन सरकार ने पूंजी निवेश पर छूट देते समय इस आर्थिक व सामाजिक लक्ष्य को भुलाया है। पूंजी निवेश के लिए प्रस्तावित कर प्रोत्साहन केवल ऐसी कम्पनियों को लाभ पहुंचेगा जो गैर-आवश्यक या कम प्राथमिकता वाले सामान का उत्पादन करती हैं।

पूंजी-निवेश के सम्बन्ध में हमारी नीति ऐसी होनी चाहिए कि जो कम प्राथमिकता वाली वस्तुओं के उत्पादन की तुलना में ऊंची प्राथमिकता वाली वस्तुओं के उत्पादन में अधिक पूंजी निवेश को प्रोत्साहन दे। वित्तीय नीति ऐसी होनी चाहिए कि जिससे अधिकाधिक श्रमिकों को रोजगार दिलाने में सहायक हो और जो अधिक पूंजी के निवेश को प्रतोत्साहित करे। दूसरे शब्दों में यूं कह सकते हैं कि वित्तीय नीति उद्योगों में अधिक श्रमिकों की आवश्यकता बढ़ाने वाली होनी चाहिए।

यह दावा किया गया है कि बैंकों की ब्याज आमदनी पर कर समाप्त कर देने से मूल्यों में गिरावट आयेगी। वास्तव में, इस सरकार ने बड़े-बड़े पूंजी निवेशकों और पूंजीपतियों के फायदे के लिए पूंजी पर आने वाला खर्च घटाया है। अत: सरकार की यह नीति वास्तव में श्रमिक-विरोधी है। उत्पादन-शुल्क बढ़ाये जाने से जनसाधारण पर बहुत भारी बोझ पड़ा है। इस वृद्धि से निश्चय ही महंगाई बढ़ेगी और उत्पादन शुल्क की इस वृद्धि पर भावी परिणामों को ध्यान में रखते हुए पुनर्विचार किया जाना चाहिये। हम बिजली तथा कोयले

पर उत्पादन-शुल्क लगाने के पूर्णतः विरुद्ध है क्योंकि इससे मंहगाई बढ़ने की सम्भावना है और जनता के हित हैं। मंदी की स्थिति को देखते हुए उत्पादन-शुल्क में वृद्धि एक गम्भीर और परस्पर विरोधी बात है।

विज्ञापन, प्रचार तथा बिक्री बढ़ाने पर होने वाले खर्च के एक हिस्से पर कर छूट न देने का उपबन्ध किया गया है। यद्यपि वित्त मंत्री ने इस बारे में कुछ राहत देने की घोषणा की है लेकिन मैं इस समूचे प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

धागे के दामों में वृद्धि का बुरा असर पड़ा है और हथकरघा तथा बिजलीचालित करघा इन दोनों के सामने भारी संकट आया है। आशा है कि सरकार इस मामले पर गम्भीरता से विचार करेगी।

Shri Chandra Pal Singh (Amroha) : Our government sincerely wants to solve the economic problems being faced by the country, and are trying to take the country on the path of progress and prosperity. But it must be seen that whatever investment is made, it is done in a uniform and appropriate manner.

The problem of Harijans has been exaggerated in an anti-national manner which is very dangerous for the country. Government should pay some attention to it.

Funds earmarked for rural development schemes should be spent in a right manner. Government should fix up a quota for each Member of Parliament that he should get constructed roads upto 8 to 10 km. in rural areas in his constituency. Special attention should be given to the construction of roads in rural areas.

Farmers have so far been neglected very much and it is, therefore, imperative that remunerative price is paid to him for this produce. Government should implement their policies more sincerely and strictly.

There is a great disparity today in the field of education. Government should make efforts to remove ths disparity.

People now do not have confidence in bureaucracy because they have seen the dark days of emergency. After the emergency when we came in power we did not deal with strictly with the bureaucrats. Therefore now bureaucracy should be dealt with more strictly with a view to restoring people's confidence in them.

Government should take a final decision in regard to the ceiling of land. They should announce that in the near future there will be no ceiling. This announcement will be welcome to the people and will yield good results.

There should be ceiling on land and property in the cities also.
Atrocities have been perpetuated on the employees of many departments even after the emergency. They have been thrown in other departments. They should be properly utilised. They should be given a chance to prove their worth.

The Janata government should work honestly. If Janata Government does not remain in power than there cannot be peace in the country.

With these words I close.

Shri Kunwar Mahmud Ali Khan (Hapur) : I find that there has not been proper diagnosis of the ills of our country. For that we will have to go back to the past history of the country. In our country came Mughals, then after that came Britishers. When the Britishers left then Congress came into power. After the Congress now Janata Government is in power. During the Mughal days except the Jagirdars the people were treated shabbily. They then left. The Britishers have also left this country but the bureaucratic set up which they had built has been continuing. We should change this set up to suit the changing situation in the country.

Pandit Jawaharlal Nehru had given the slogan of socialism and welfare state. But may I know whether it is a welfare state ? Is there socialism in our country ? No, not all. We have not been able to establish a welfare state. There are very wide economic disparities in our country. There is a wide gulf between the rich and the poor.

The Britishers created a wedge between Hindus and Muslims. Then after the Britishers came congress. The congress also created divisions among the people on the basis of caste and work. I think there are only two castes in our country riches and poverty. We have to put an end to all divisions on the basis of caste or creed etc. We cannot achieve anything if we will go on dividing the people like that. We will have to bring socialism in our country. We will have to take right steps in this direction. The people of the entire country should live like a family immaterial of the fact to which religion they may belong to.

A ceiling on income and expenditure would have to be imposed to usher in socialism in the country. Similarly we will have to put a ceiling on land both in rural and urban areas. The entire wealth of the country should be equally distributed.

It is said that there is black money in villages. This is not a fact the black money is in the hands of capitalists and businessmen. The ruralites spend their money for stepping up production in the country. Today eighty per cent people of our country live in rural areas. Therefore eighty per cent budget of our country should be spent on rural areas. It is for the first time that forty per cent of our budget has been allocated for rural areas. The Janata Government deserves gratitude of the people for this step.

The government asks the farmers to increase production. The cane growers have increased the production of sugar cane but they are now facing difficulties. They are burning sugarcane. The government should have taken steps to utilise sugarcane, so that it was not burnt. I suggest that more sugar mills should be set up in U.P. so that in case there is more production of sugar cane it could be utilised there. In case there is surplus sugar with the Government and they want to see that sugarcane is utilized them they should decontrol sugar completely. It will help both the producer and the consumer because middlemen will be eliminated thereby.

Fertilizers and tractors are required for stepping up production. Excise duty is not levied if the tractor is less than 12 hors powers. But such low power tractors are of no use. Farmers have liked DT 14 tractor produced by Russia. We should also manufacture similar tractors of 14 or 15 horse power in our country for use by our farmers. There should be no excise duty on tractors, agricultural implements and fertlizers. Farmers should be given diesel and electricity at cheep rates.

Taxi and scooter drivers are experiencing lot of difficulties because of petrol hike. These people should be supplied petrol at subsidized rates upto a certain limit so that general public could have a sign of relief. We had vowed at Rajghat to bring socialisim in the country and we should stand by that.

Uttar Pradesh is a very big State. From the planning and administrative point of view it is necessary that it should be divided into four parts—Western U.P., Central U.P., Eastern U.P. and hilly areas. Problems of these areas are different. This division will help in its development and better administration. As a matter of fact a states reorganisation commission should be set up for the entire country.

There should also be set up a bench of Allahabad High Court in Meerut. I have been a member of Public Service Commission for six long years and on the basis of that experience I want to say that there should be four Public Service Commission examination and interview centres at Banaras, Lucknow, Garhwal and Meerut.

Shri D.G. Gawai (Buldhana) : I am grateful to you for having given me an opportunity to speak on the Finance Bill. I support this Bill and would like to give some suggestions in tlis regard. before the Janta Party came into power it had made certain promises. The Janata Party had told the people that it would usher in a just social order and would raise the living standard of the people by implementing good programmes in rural areas. The people had great expectations from the budget but those expectations have not been fulfilled.

The condition of our farmers is very bad. Many Members have said that the prices of commodities are rising. But the prices of which commodities are rising ? The prices of industrial goods have gone up and the prices of agriculture produce have not increased, The prices of cement, iron, coal and clothes have gone up but the prices of wheat, rice and jawar have not increased. The people therefore want to know as to what steps the Janata Government is taking to improve the lot of these farmers. A provision should be made in the budget for helping the lot of the poor people

One year has passed since Janata Government came into power. When we go round the country then people ask us as to what Janata Government is doing for improving the lot of the poor people. They are not satisfied by programmes merely on paper. They wnat to see that the programmes are implemented actually. There is a feeling among the people that the Janata Government has done nothing during their one year rule. They what to see the results of their programmes. If we want to preserve our parliamentary democracy then we will have to take up programmes to improve the lot of the people and the farmers.

Our Finance Minister is an experienced hand. I would advise him to chalk out some programmes to give incentives to the farmers. The farmers are getting their inputs at a high price. The government should remove excise duty on all things needed by farmers.

Many people have spoken on the problems of Harijans. The Harijans are facing certain problems. They have been suffering for centuries. Many people have said that if injustice will be done to the Harijans then they will try to divide the country. Thus we will have to abolish caste barriers which divide people. Backward people should be given facilities for education and services on economic basis and not on caste basis. This will help in eradicating casteism in our country.

For the lapses we should not blame the previous government. We should do good works so that they may feel ashamed of themselves. People say that if Shrimati Indira Gandhi or Shri Sanjay Gandhi have committed any offences then why are they not punished for that. People say that Janata Party has no guts. One of the reasons is that our I.A.S. Officers have old thinking. In our bureaucracy we have such officers who have misused emergency and have committed excesses on their subordinates. The government should take steps against those officers who are harassing people and are trying to defame Janata Government by their actions.

At the end I would like to say that we hope that the Janata Government will bring about revolutionary changes in the country during its tenure. It is not enough to blame other parties. We will also have to show results by taking concrete programmes.

श्री धीरेंद्र नाथ बसु (कटवा) : आय-कर अधिनियम पर एक संशोधन दिया गया है। यह संशोधन नई औद्योगिक कम्पनियों के ईक्विटी शेयरों में निवेश में कमी करने के सम्बन्ध में है। मैं समझता हूं कि इससे बड़े-बड़े व्यापार गृहों को तो लाभ पहुंचेगा किन्तु जनसाधारण को कोई लाभ नहीं पहुंचेगा। यद्यपि बजट में कृषि क्षेत्र के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में विकास करने हेतु लागभग 71 प्रतिशत राशि की व्यवस्था की गई है किन्तु दुःख की बात तो यह है कि विकासार्थ कोई कार्यक्रम नहीं बनाया गया है। अतः मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

जहां तक विज्ञापनों और विक्रय संवर्धन पर कर लगाने का सम्बन्ध है, मैं मंत्री महोदय को कहना चाहता हू कि वह इस बारे में फिर से विचार करें। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि विज्ञापनों पर कर लगाने से उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में 16 से 17 प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी।

जहां तक दीर्घकालीन पूंजी अभिलाभों के छूट सम्बन्धी उपबन्ध में संशोधन करने का सम्बन्ध है इससे अमीर लोगों को सहायता मिलेगी। इससे जनसाधारण को लाभ होने वाला नहीं है। जनता पार्टी ने अपने घोषणापत्र में कहा था कि जनसाधारण के हितों को प्राथमिकता दी जायेगी। किन्तु यहां हम देख रहे हैं कि बड़े-बड़े व्यापारियों को छूट देने के लिए संशोधन लाया गया है। हम चाहते है कि छोटे निर्माताओं, कुटीर उद्योगों तथा छोटे पैमाने के उद्योगों को इससे लाभ पहुंचे परन्तु इससे तो केवल बड़े व्यापारियों को ही लाभ पहुंचेगा।

यह बड़ी हैरानगी की बात है कि फरक्का पर विद्युत्त संयंत्र के लिए केवल एक लाख रुपए की व्यवस्था की गई है। जबकि इसके लिए करोड़ों रुपए की जरुरत है तो केवल एक लाख से क्या बनेगा।

भूतपूर्व सरकार तथा वर्तमान सरकार ने बड़े बड़े वायदे किए हैं। किन्तु हुआ कुछ भी नहीं है। भिन्न भिन्न स्थानों पर पत्तनों का विकास करने हेतु बहुत ही कम राशि की व्यवस्था की गई है। हल्दिया और कलकत्ता में पत्तनों के विकास के लिए तो कोई भी राशि नहीं दी गई है। इन पत्तनों का तो नाश हो रहा है। बंगला देश के साथ जो फरक्का जल करार हुआ है उससे भारत को नुकसान हुआ है। यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि सरकार ने बंगला देश को खुश करने के लिए यह करार कैसे किया है।

जहां तक उत्पादन शुल्क का सम्बन्ध है उर्वरकों पर उत्पादन शुल्क समाप्त किया जाना चाहिए। क्योंकि हम लघु किसानों और कृषकों को प्रोत्साहन देना चाहते हैं। हमारे देश के 70 प्रतिशत लोग ग्रामवासी और लघु किसान है। उन्हें लाभ पहुंचाया जाना चाहिए। उर्वरकों के वितरण के लिए डीलरों की नियुक्ति भी की जानी चाहिए।

चाहे कृषि विकास के लिए बजट की कुल राशि का 41 प्रतिशत प्रावधान किया गया है तो भी ग्रामीण क्षेत्रों में प्रगति दर शून्य ही रहेगी क्योंकि वहां के लिए कोई ठोस कार्यक्रम नहीं है। ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं बनाया गया है कि यह धन कैसे व्यय किया जाएगा तथा किसानों को कैसे लाभ पहुंचेगा।

मुझे कृषि अनुसधान संस्थान में कई बार जाने का अवसर मिला है। मैंने वहां देखा है कि हमारे इंजीनियरों ने कई उपकरण बनाए हैं। उन्हें अब बेचा नहीं जा रहा है। कोई विक्रय संवर्धन नहीं है। इसी लिए मैं कहता हूं कि हमारी कोई नीति नहीं है।

बैंकों के पास कृषकों के हजारों प्राथनापत्र अनिर्णीत पड़े हैं। बैंकों ने उन्हें ऋण की स्वीकृति नहीं दी है। पंजाब नैशनल बैंक के पास पश्चिम बंगाल से 55,000 आवेदन पत्र, यूनियन बैंक आफ इंडिया के पास कृषकों और लघु किसानों के 36,000 आवेदनपत्र, सैन्ट्रल बैंक आफ इंडिया के पास 21,000 आवेदनपत्र तथा यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक के पास 31,000 आवेदनपत्र हैं। ये आवेदनपत्र लम्बित पड़े हैं जबकि बड़े बड़े उद्योगपतियों को शीघ्रता से ऋण दिया जा रहा है। हमारे माननीय मंत्री को इस बात का पता है। छोटे किसानों तथा छोटे उद्योगों को तत्काल ऋण मंजूर करने के लिए कार्यवाही करनी चाहिए। वर्तमान सरकार के शासन में ही किसानों तथा छोटे व्यापारियों को 60 प्रतिशत से अधिक ऋण दिया जाना चाहिए।

Shri Bharat Bhushan (Naini Tal): Even after 30 years of India's independence, the gap between the Government and the people is persisting and there is a general sense of mistrust and everybody is thinking of others being guilty of corruption. Moreover, there is so much black money in the country that a parallel economy has been created.

It has been said that Janata government had inherited sound economy. I want to Congratulate that Government are taking certain long term measures for taking economic problems like removal of poverty. But the people wanted certain immediate results. They will not wait for 10 years. The people should know that things are moving.

There is a project for construction of a dam at Jimnali. The foundation stone of the project was laid in 1974. Although four years have passed, no progress has been made for constructing the dam, because engineers are not able to take a decision about a technical matter. If our machinery functions in this manner, we will not be able to implement our development projects. Certain persons in our administration have developed a vested interest because they have been at a particular place for a long time. There is a need for a reshuffle of people.

There has been talk of nationalisation of sugar industry since 1967 but it has not been nationalised so far. This has resulted in private mill owners not taking any steps to improve their mills, which have been deteriorating all these years. Government should announce their policy clearly and end this state of uncertainity

[श्री धीरेन्द्र नाथ बसु पीठासीन हुए।
Shri Dhirendranath Basu in the Chair.]

The exemption limit of income tax has been raised to Rs. 10,000 but those whose income will be taxable will have to pay tax on taxable income beyond Rs. 8,000. This will encourage people to conceal their income by resorting to corrupt practices.

It is not proper to imposea tax on all advertisements. Advertisements are necessary in certain caess like tourism, but there are not necessary in the case of Cigarettes and wine. Tax on advertisements would also effect employment of a number of people. So we will have to change the present policy of imposing a blanket tax on all advertisements

People are asked to save money but are advised to invest their savings in post offices or bonds. Those people who put their savings in nationalised banks for a specified period should also be given the same facilities.

We will have to check fragmentation of land holdings. Because, if we have very small holdings, it will not be possible to carry out agricultural operations through modern method and increase production. So steps will have to be taken to stop fragmentation of lands holdings.

The Government should manufacture small tractors. Till it was possible to do that, Government should import them.

Prices of agricultural implements and inputs have gone up but prices of agricultural produce should also be fixed properly. There should be some relationship between prices of agricultural products and prices of goods required by the farmer.

An employee of Modern Bakeries who has been victimised during the emergency and thrown out of job has appealed for justice. About a year has passed and the employee has not been able to get justice. Now his service record is being tempered with. This was the sorry state of affairs in our administration,

The Finance Minister should examine the possibility of doing away with income-tax and instead imposing expenditure tax. That way those people who saved money and invested in developmental activities will get relief and those who spent money on luxurious living will pay tax.

There should be uniform system of education for all children whether they belonged to rich families or poor families. All children should study in similar schools and put on same dress. That will help in ushering in socialism in the country.

Economic policies pursued earlier have created wide economic disparities. Rich have become richer and poor poorer. The Finance Minister should take steps to correct the situation and give a new direction to our economy.

Shri M. Satyanarayan Rao (Karimnagar): Mr. Chairman Sir, Janata Party claimed that their Government was doing much for the agricultural development. Now, the first need of agricultural development is irrigation. We will like to know from the Finance Minister as to what are they doing for irrigation. There are many rivers of which the entire water flowed into the sea and it is not being fully utilised. Perhaps 60 per cent water flows into the sea and only 40 per cent is being utilised.

A former Minister, Shri K.L. Rao suggested that if Ganga water was connected with Cauveri, then it will not go to the sea and will not be wasted. What has been done in that regard ? If this is done, lakhs of acres of land could be irrigated. Government should pay attention to this matter.

What have you thought about the suggestion made by Dr. K.L. Rao regarding linking of the Ganga with the Cauvery (*interruption*). It will be difficult to link the Brahmaputra.

Electricity is also very necessary for agriculture. An announcement was made for the setting up of a super thermal power station at Ramagundam. Nothing has been done in the this regard. The Minister of Finance should provide money for the purpose

There is a steel plant in Vishakhapatnam. As you are aware there has been a widespread agitation in this regard. This matter has been outstanding for the last 10 years and the demand is not being conceded.

Mr. Chairman, Telangana is a backward region. There is only a single railway line. Our demand has been outstanding for a long time. Railway line should be provided there. The Finance Minister should provide money for the purpose.

Banks should advance money to unemployed persons with a view to solve unemployment problem.

The law and order situation in the country is deteriorating. But we should see to the root cause of this problem. The landless persons in the country should be allotted surplus land. There should be land reforms to solve this problem. Along with this land, electricity should also be supplied to the farmers at cheap rates. Seeds and fertilizers should also be supplied to them.

Three project in Andhra Pradesh —Nagarjun Sagar, Pochampar and Shri Shri Salem should be completed. These are incomplete at present. Adequate money should be provided for completion of these projects.

श्री के० गोपाल (कसूर) : सभापति महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप सूची के मुताबिक सदस्यों को बुलायें ।

सभापति महोदय: मैंने सूची के मुताबिक सदस्यों को बुलाया। परन्तु उनमें से यहां कोई नहीं था।

श्री पवित्र मोहन प्रधान (देवगढ) : सभापति महोदय, वित्त विधेयक का समर्थन किया जाना चाहिए। समाज और प्रशासन में मेरा अनुभव यह रहा है कि केवल केन्द्रीय सरकार ही नहीं बल्कि राज्य सरकारें भी पचास प्रतिशत धनराशि की फिजूलखर्ची करती हैं। अतः सरकार को इस बारे में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए कि समूची धनराशि समुचित रूप से खर्च होती है। सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह प्रशासन को अकर्मण्यता, अनुशासनहीनता, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और नौकरशाही से मुक्त करके उसमें पर्याप्त सुधार करे। मुझे आशा है कि सरकार इस ओर ध्यान देगी और इस सुझाव को कार्यन्वित करेगी। सभी राजनीतिक दलों को एक जुट होकर इसके लिए सरकार को बाध्य करना चाहिए।

सरकार को गम्भीरतापूर्वक और ईमानदारी तथा निष्ठा के साथ सभी विभागों में होने वाले व्यय पर नियंत्रण रखना चाहिए। मेरे विचार में सरकारी निगम या उपक्रम ही ऐसे संस्थान हैं जहां सबसे अधिक अपव्यय या फिजूलखर्ची की जाती है। इन निगमों ने अभी तक ऋण की राशि और ब्याज का भुगतान नहीं किया है और ये किसी व्यक्ति को लाभांश भी नहीं दे रहे हैं। किसी भी निगम को मुनाफा नहीं हो रहा है। यदि इनके लेख अच्छी तरह देखे जायें तो पता चलेगा कि ये निगम किसी न किसी तरह हमें धोखा देते हैं।

अनेक लोग गरीबी और बेरोजगारी दूर करने की बातें करते हैं। मेरे विचार में इस विश्व में कोई भी किसी व्यक्ति की गरीबी नहीं मिटा सकता है। यदि सरकार यह कहती है कि वह गरीबी दूर करेगी तो वह ऐसा कभी नहीं कर सकती। इसके लिए काफी धन व्यय किया गया है फिर भी लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सका है। जब तक कोई व्यक्ति अपनी गरीबी मिटाने के लिए ईमानदारी के साथ प्रयास नहीं करेगा तब तक गरीबी मिट नहीं सकती है। जब भारत का विभाजन हुआ था तब देश के एक भाग में आए शरणार्थी 5 या 7 वर्षों के भीतर ही आत्मनिर्भर हो गए थे और वे अपना स्वयं निर्वाह करने लगे थे जबकि एक अन्य भाग में वे आत्मनिर्भर नहीं बन सके, क्योंकि उनमें इसकी भावना नहीं थी।

जहां तक बेरोजगारी का सम्बन्ध है, प्रतिवर्ष बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। यदि वर्तमान सरकार कहती है कि वह इसे दूर कर सकती है तो यह उसकी गलती है। जब तक सरकार कालेजों से निकलने वाले व्यक्तियों की संख्या पर नियंत्रण नहीं रखा जाएगा तब तक कोई भी सरकार प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति को रोजगार नहीं दे सकती।

नमक पर कतई कर नहीं लगाया जाना चाहिए चाहे यह यहीं बनाया जाता हो अथवा इसका आयात किया जाता हो। इस पर बिक्री कर भी नहीं लगाया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री इस पर ध्यान देंगे और इस पर कर नहीं लगायेंगे।

इस विधेयक को पारित करके हम सरकार को 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान आने वाले प्रभारों को चुकाने का अधिकार दे रहे हैं। सरकार को प्रशासन, वित्त, व्यय पर नियंत्रण रखना चाहिए और रिश्वत तथा फिजूलखर्ची को समाप्त करना चाहिए। सरकार को स्वच्छ प्रशासन रखना चाहिए जिसमें भाई भतीजावाद, पक्षपात, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और नौकरशाही को कोई स्थान न मिले।

Shri Ram Naresh Kushwaha (Salempur) : Mr. Chairman, Sir, I support this Bill. It is heartening to note that the Janta Party Government are gradually proceeding to fulfil the promises and assurances given by the Janta Party. The Janta Party is committed to bring about legal equality and the success of the present budget depends upon as how far they are successful in bringing about this equality.

The existing law is completely ineffective, because it provides for no investigation if the theft committed is relating to amount less than Rs. 250. Section 379 has absolutely

no meaning. It appears that there is full freedom to cut down the crops in farms, because there is no provision for keeping any watch on them. The police do not provide any protection to poor or weaker people. Therefore, there is no use in saying that law and order situation is deteriorating. No rich person has ever been hauled up for any offence whereas poor people are being harassed even for the most petty things, because they will neither go to courts and they cannot afford to enter into litigation. The bureaucratic machinery and even the judiciary of the present Government have totally failed to provide any protection to the weaker sections of community and implement the law in the real sense. Corruption and bribery are still rampant on a large scale in the bureaucratic machinery.

So far as reservation of seats is concerned, a question is raised as to what basis should be there for reservation of seats for backward classes. But there is a decision of the Supreme Court that there can not be reservation for more than 50 per cent seats. One can agree if it is done on the basis of economic considerations but it is not convincing that 50 per cent seats are reserved only for 2 per cent people.

सभापति महोदय : वह अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं।

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 28 अप्रैल, 1978, 8 वैशाख, 1900 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Friday the 28th April, 1978/ Vaisahka 8, 1900 (Saka).

MGIPRRND—Sec. I Day—17 LSS/78—19-10-78—210